खण्ड-260, अंक-7
सोमवार, 29 भाद्रपद, शक संवत् 1887
(20 सितम्बर, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 260 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २० सितम्बर, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७६

अक्षयवर्रासिह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल सभी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री

गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चंपावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री

जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
तिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रिपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खांन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री

नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह, चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूरसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री

रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहायक कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआनन्त पांडेय, श्री
रामआवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह श्री, (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुक्मांगदसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखपतसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री

शिवसंपत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--गृह मंत्री, श्री हरगोविंदसिंह तथा वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २० सितम्बर, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बुन्देलखंड में युद्ध समाचार प्रसार करने का सुझाव

**१--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या सूचना मंत्री यह बतायेंगे कि जब देश व प्रदेश संकटकालीन परिस्थितियों में गुजर रहा है व युद्ध की ज्वालायें नगरों में भी प्रवेश कर रही हैं, उस दशा में भी देश की सुरक्षा व फौजों की वीरता की जानकारी, गरीब जनता के लिए बुन्देलखड के (झांसी, ललितपुर, मऊ) चौराहों पर सूचना विभाग द्वारा रेडियो स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

विद्युत उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--

सूचना केंद्र मऊ, झांसी एवं ललितपुर में रेडियो सेट पहले से ही लगे हैं जिससे जनता समाचार सुन सकती है। चौराहों पर सेट स्थापित करने की योजना पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

**२--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या सूचना मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के पिछड़े इलाकों में जनता को लड़ाई की खबरों से अवगत कराने के लिए ताकि उसका मनोबल ऊंचा व मजबूत रहे नगरों के प्रमुख चौराहों पर शीघ्र रेडियो सेटों की स्थापना की जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

वर्तमान साधनों को देखते हुए यह संभव नहीं प्रतीत होता, किंतु जनता को समाचार सुनने के लिए जिला सूचना केंद्रों एवं तहसील सूचना केंद्रों में सेट पहले से ही लगे हैं ।

श्री लखपतराम शर्मा--

इस बात को देखते हुए कि सूचना केंद्र आबादी से बहुत दूर पर हैं और उनसे जनता को उतना लाभ नहीं पहुंच पाता, क्या सरकार वहां से रेडियो हटाकर उन्हीं को आम चौराहों पर लगवाने का प्रबंध करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जहां तक उनको वहां से हटाने का प्रश्न है हम इसको देख लेंगे, वैसे अगर कोई हमको डोनेट कर दे तो हम उसको लगवा सकते हैं ।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार ने इस प्रकार की कोई योजना बनायी है कि युद्ध के समाचार सही-सही रूप में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में पहुंचें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

उसकी तो एक बहुत बड़ी योजना है ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

सरकार ने अभी प्रश्न के उत्तर में बताया है कि एक बड़ी योजना है, तो क्या उस योजना में जनता से चन्दा लेकर रेडियो की व्यवस्था आदि करने की भी योजना है क्योंकि अभी मंत्री जी ने कहा कि अगर चन्दे की व्यवस्था हो जाय तो वे रेडियो लगवा दें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

चन्दे की बात मैंने नहीं कही । मैंने कहा कि अगर कोई माननीय सदस्य रेडियो सेट डोनेट कर दें तो हम लगवा देंगे । वैसे हमने जितने सेट लगवा रखे हैं वे तो हैं ही । दूकानदारों ने भी बहुत से सेट्स लगवा रखे हैं जिनसे खबरें लोग सुनते हैं । अगर माननीय सदस्य कुछ सेट्स दिलवा दें तो हम लगवा देंगे ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर भी विचार करेंगे कि गांवों और तहसीलों में भी बहुत बैट्री सैट दिए गए थे लेकिन वे इसलिए नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि सूचना विभाग जैसी सहायता पहले देता था वह अब नहीं देता है । इसके अलावा, तहसील हेडक्वार्टर्स पर जो बैट्री सेट दिए गए थे उनको चालू करने की भी कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इस बात का तो प्रयास है कि सब सेट चलें लेकिन बैट्री लाने का काम गांव सभा का है या जो आदमी रखता है उसका है । अगर वे बैट्री-सेट का रेडियो लगायेंगे तो हम बैट्री देने का इंतजाम कर देंगे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, अदालती पंचायतों में जो रेडियो सेट देने की योजना बनी है उसमें कुछ-कुछ सबसिडाईज करके इस योजना को प्रचारित करने की सरकार कृपा करेगी जिससे हर अदालत में रेडियो सेट हो सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

रेडियो सेट देने की स्कीम सबसिडाईज्ड है ही। जो खर्चा आपको देना पड़ता है इससे उसमें कम पड़ता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देहातों में और बड़े-बड़े गांवों में, अभी जो हमारा आपत्तिकाल चल रहा है, इसके विषय में जानकारी अच्छे तरीके से नहीं करा पा रहे हैं। हमारी सूचना विभाग की जो प्रचार मोटरें हैं, उनके अधिकारियों को वहां ले जाकर वहां पर रेडियो द्वारा खबरें सुनाने की व्यवस्था करेंगे ताकि सबको इन खबरों का पता चल सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

यह व्यवस्था तो पहले से है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वस्तुस्थिति का पता बताया जाय।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि देवरिया में एक रेडियो की जगह से तमाम शहर में लाउडस्पीकरों के जरिए से खबरों को फैला दिया गया है जिससे लोग तमाम चौराहों पर खबरें सुन लेते हैं, तो क्या सरकार उसी तरह से सभी शहरों और नगर-पालिकाओं, ब्लाक्स तथा उनसे संबंधित बाजारों में इसी तरह की व्यवस्था करेगी जिससे एक-एक रेडियो सेट से तमाम जगहों में सहूलियत से खबरें सुनने को मिल सकें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

देवरिया में इंतजाम बहुत अच्छा है लेकिन वह म्युनिसिपल बोर्ड ने किया है। इसके अलावा और भी ऐसी म्युनिसिपैलिटीज हैं जिन्होंने ऐसा इंतजाम किया है। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि अगर म्युनिसिपैलिटीज पैसा दे दें तो हम भी ऐसा तजाम करा देंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि ८ बजे, सवा आठ बजे और जब न्यूज टाईम होता है लोग पानवालों की दूकानों पर खबरें सुनते हैं और जहां जगह मिलती है वहां सुनते हैं लेकिन पुलिस वाले उन्हें हटाते हैं ? क्या आप मैजिस्ट्रेट्स को आदेश देंगे कि ऐसे वक्त, न्यूज टाईम में कम से कम उन्हें न हटाया जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

अगर आप कहते हैं तो यह भी बात कर देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि लोग वहां से हटाये जाते हैं।

ललितपुर सब डिवीजन में अभाव स्थिति

**३--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या सरकार यह बताएगी कि ललितपुर सब-डिवीजन (झांसी) को जिलाधीश झांसी द्वारा हाल में सरकार में प्रस्तुत रिपोर्ट के उपरान्त भी अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित न किए जाने के क्या कारण हैं व ललितपुर की सब-डिवीजन की जनता को किस-किस प्रकार की सरकार द्वारा संकट के समय में दी गयीं ?

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)---

ललितपुर सब-डिवीजन में अगस्त के अन्तिम तथा सितम्बर के प्रथम सप्ताह में वर्षा की स्थिति को देखते हुए ललितपुर सब-डिवीजन को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहायता के रूप में १८ अगस्त, १९६५ से माल गुजारी, सिंचाई शुल्क और सब प्रकार की तकावी की वसूली स्थगित कर दी गई है। यू० पी० लोन रूल्स और डेवलपमेंट ऐंड प्लानिंग के अन्तर्गत दिए गए ऋण की बकाया और कृषि बीज गोदाम की बकाया की वसूली भी स्थगित कर दी गयी है। जिलाधिकारी को ३,१३,००० रुपये की धनराशि आपत्तिक लोन तकावी के रूप में और ९३,००० रुपये की धनराशि अहेतुक सहायता के रूप में वितरणार्थ आबंटित की जा चुकी है। ललितपुर और तालबेहट में सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जा चुकी हैं। यहां ग्राम्य जन-शक्ति योजना भी चालू कर दी गई थी जिसके अन्तर्गत १३८ मैट्रिक टन गेहूं वितरित किया जा रहा है और २७६ मैट्रिक टन गेहूं की और स्वीकृति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त इस सब-डिवीजन में १,४०,४०० रुपये की लागत के ८ टेस्ट वर्क प्रस्तावित हैं जिनको आवश्यकतानुसार खोल जायगा।

श्री लखपतराम शर्मा---

मैं जानना चाहता हूं कि ललितपुर सब-डिवीजन के मामले में झांसी के जिलाधीश की क्या रिपोर्ट है और वास्तविक स्थिति क्या है?

श्री रामकुमार शास्त्री---

कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, झांसी की इसी प्रकार की रिपोर्ट है जैसे वहां पर दो तारीख से लेकर २२ तारीख तक वर्षा नहीं हुई थी, जिसके कारण सारा क्षेत्र ललितपुर का सूखा ग्रस्त हो गया था, चारे का अभाव था, जिस कारण वहां पर मवेशी वगैरह भी मर गए थे। इनकी सहायता के वास्ते जो कुछ भी सम्भव हो सकता है, जिलाधिकारियों को उसका पूरा इन्तजाम करने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया था।

श्री लखपतराम शर्मा---

यह जो आपने टेस्ट वर्क चालू किया है उसमें प्रति औरत, प्रति मर्द और प्रति बालक को प्रति दिन किस हिसाब से मजदूरी देते हैं?

श्री रामकुमार शास्त्री---

अध्यक्ष महोदय, जब सूखे की वहां स्थिति सम्भालने लगी तब टेस्ट वर्क के लिए जो रुपया जिलाधिकारियों को दिया गया था उसका उपयोग वहां पर उन्होंने नहीं किया।

श्री लखपतराम शर्मा---

कुछ तो आपने वहां पर काम कराया होगा।

श्री अध्यक्ष---

वह तो कह रहे हैं टेस्ट वर्क का उपयोग ही नहीं हुआ ।

श्री लखपतराम शर्मा---

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय भी ललितपुर की परिस्थिति काफी गम्भीर है, जो वर्षा हुई उससे लोगों को ज्यादा लाभ नहीं हुआ है, तो आपने जो सिर्फ ललितपुर और तालबेहट जैसी बड़ी जगहों में ही सस्ते गल्ले की दुकानें खोली हैं, वह सस्ते गल्ले की दूकानें पूरे क्षेत्र में और उसके बड़े-बड़े देहातों में भी खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

सस्ते गल्ले की दुकानों का तो जो जवाब मैंने दिया था उसमें जिक्र कर ही दिया गया है।

श्री लखपतराम शर्मा---

आपने कहा कि तालबेहट और ललितपुर में ये दुकानें खोली गई हैं, मैंने प्रश्न किया था कि वहां की हालत में वर्षा से ज्यादा सुधार नहीं हुआ है उसको देखते हुए महरौनी आदि बड़े-बड़े देहातों में भी सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने का आदेश देंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे कि अमुक स्थान पर सस्ते गल्ले की दूकान की आवश्यकता है तो उस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---

माननीय मन्त्री जी ने सूखे के सम्बन्ध में पहले जो वक्तव्य दिया था उसके बाद वर्षा होने के पश्चात् भी कहीं-कहीं अब भी अभाव की स्थिति है, इस दृष्टिकोण से क्या सारे प्रदेश में इस बात की जांच करायेंगे कि कौन-कौन से क्षेत्र अभावग्रस्त घोषित किए जायं और वहां लोगों को सहायता पहुंचायी जाय ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

यह प्रश्न झांसी जिले से सम्बन्धित है और विशेषकर ललितपुर सब-डिवीजन से, और उसका सारा का सारा ब्योरा दे दिया गया है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---

हम नीति के बारे में पूछते हैं तो वह असंगत कैसे हो गया ?

श्री अध्यक्ष---

हमारे नियम भी ऐसे हैं कि जब विशिष्ट स्थान के बारे में प्रश्न हो तो वहीं की बात पूछी जाय तो ज्यादा अच्छा है।

श्री लखपतराम शर्मा---

क्या माननीय मन्त्री जी की जानकारी है कि ललितपुर में जनता द्वारा और राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक ललितपुर संघर्ष समिति बन चुकी है जिसमें कांग्रेसी लोग ही विशेषकर सर्वेसर्वा हैं और उसकी ओर से बार-बार सस्ते गल्ले की दूकानों की और और बातों की मांग की गई है ? यदि हां, तो उनकी ओर से क्या-क्या मांग की गई है और क्या सहायता दी गई है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो जानकारी नहीं है कि संघर्ष समिति ने क्या सुझाव दिया था, लेकिन जो वहां की विषम परिस्थिति है उसको सुधारने के लिए सरकार पूरे तरीके से जागरूक है।

अलादादपुर ग्राम में हताहत हरिजन

**४---श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद जिले के अन्तर्गत थाना कायमगंज क्षेत्र के ग्राम अलादादपुर में दिनांक ५/६ सितम्बर, १९६५ की रात्रि में एक हरिजन परिवार के ऊपर निर्दयता पूर्वक गोली वर्षा की गई जिससे ८ या १० आदमी, औरतें और बच्चे मरे और कुछ लोग घायल हुए ? यदि हां, तो यह गोली किन व्यक्तियों ने चलाई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी हां, ५--६ सितम्बर, १९६५ की रात्रि में ग्राम अलाहादपुर, थाना कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के एक हरिजन परिवार पर कुछ व्यक्तियों ने गोलियां चलाई और हथगोले फेंके जिसके फलस्वरूप १० व्यक्तियों की, जिनमें स्त्रियां व बच्चे भी थे, मृत्यु हुई और ३ व्यक्तियों को चोटें आयीं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित अपराधियों के नाम संलग्न तालिका में दिए हुए हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६८८ पर)

**५--श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस घटना का क्या कारण है और पुलिस को इस बारे में कोई पूर्व सूचना थी? इस पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह घटना पुरानी रंजिश के कारण हुई। इसकी सूचना पुलिस को ६--९--६५ को प्राप्त हुई। घटना के पूर्व पुलिस को कोई सूचना नहीं मिली थी।

**६--श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस घटना में किन व्यक्तियों का हाथ है और उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

प्रथम सूचना रिपोर्ट मे अंकित अपराधियों के नाम संलग्न तालिका में दिए गए हैं। मामले की जांच हो रही और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६८८ पर)

श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

पहले प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि इस घटना में हथगोलों का इस्तेमाल हुआ और जो रिपोर्ट लिखाई गई है उसमें आसपास के लोगों के ही नाम लिखाए गए हैं, तो क्या इसकी जांच माननीय मन्त्री जी करायेंगे कि यह कोई आर्गेनाइज्ड गैंग आया था और उसने हथगोलों का इस्तेमाल किया?

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

जांच हो रही है। दो गोले तो ऐसा कहा जाता है कि चलाए गए। फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है और एक गोला वहां मिला भी जो कि उस वक्त तक फूटा नहीं था। वह एक तौलिया में लिपटा हुआ मिला, तो उसकी भी जांच कराई जा रही है कि गोला कहां का बना हुआ है और विस्फोटक था या नहीं था?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

यह भी बताया गया कि पुरानी रंजिश है तो वहां की लोकल पुलिस ने जब इस तरह की रंजिश चल रही थी तो वहां जो पार्टियां थीं उन पर क्या कार्यवाही की, १०७, १५१ की, कोई गिरफ्तारी की गई या नहीं?

श्री हरगोविन्दसिंह---

नहीं, ऐसी कोई कार्यवाही तो वहां नहीं की गई। गांव में पार्टीबन्दी थी, दो कत्ल उसके पहले हो चुके थे, ऐसा जरूर इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने आक्रमण किया उन लोगों का खयाल यह था कि रामस्वरूप का इसमें हाथ है, यह कत्ल उन्हीं की वजह से हुआ और रामस्वरूप के ऊपर कत्ल का मुकदमा भी चल रहा है।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव--

फर्रुखाबाद जिले में गत वर्ष ऐसी ही एक घटना हुई जिसमें पांच व्यक्ति दरवाजे से बाहर पकड़कर मारे गए थे और इस वर्ष दस व्यक्ति मरे हैं तो क्या फर्रुखाबाद की विशेष परिस्थिति को देखते हुए गृह मन्त्री इसकी जांच करायेंगे ताकि इस तरह की घटनायें जो गैंग बुलाकर करायी जाती हैं उनकी रोकथाम हो सके ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसके पहले की घटना की सूचना तो हमारे पास नहीं है इस वक्त । अब इस गांव में पी० ए० सी० लगा दी गई है जिसमें कि लोगों के दिल में थोड़ा साहस भी आवे और ढाढस भी बंधे लेकिन और अगर कहीं ऐसी आवश्यकता होगी तो उसका जरूर इन्तजाम किया जायगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस रंजिश का क्या कारण दिखाया गया है और इस बात को देखते हुए कि इस घटना में हथगोलों का भी प्रयोग किया गया था जिससे दस व्यक्ति मरे हैं तो पुलिस ने जो जांच पड़ताल की है उसमें क्या कोई हथगोले वगैरह निकले हैं जिनसे कि इतने बड़े पैमाने पर हत्या की गई है ?

श्री अध्यक्ष--

इनका सजेशन मन्त्री जी, यह है कि क्या कोई गैंग ऐसा है जो वहां कार्य कर रहा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट में तो उसी गांव के लोग हैं लेकिन ऐसा समझा जाता है कि वहां बाहर से भी उन्होंने कुछ बदमाशों को इस कत्ल के लिए बुलाया था।

श्री चन्द्रजीत यादव--

जब पुलिस को तहकीकात से यह पता चला कि इसमें हथगोले का प्रयोग किया गया है और आपसी रंजिश के लिए बाहर के लोगों को भी बुलाया गया तो क्या पुलिस ने उन लोगों की भी खोजबीन करके पकड़ने का प्रयास किया है जो कि बाहर से आते हैं और हथगोले इस्तेमाल करके लोगों की हत्या करते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसकी तो जांच हो रही है और जांच के उपरान्त मालूम हुआ कि बाहर के कौन लोग बुलाए गए थे तो कार्यवाही तो की ही जायगी।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

प्रथम उत्तर में कहा गया है कि पुरानी रंजिश के कारण ये दस कत्ल हुए और गृहमन्त्री ने भी कहा कि इसके पहले दो कत्ल आपसी बैर विरोध के कारण हो चुके थे, तो जब इस गांव में आपसी रंजिश थी और दो कत्ल हो चुके थे तो उस रंजिश की जानकारी तो पुलिस को होगी ही और पुलिस ने इस कत्ल के पहले १०७, ११७ या १५१ में कोई कार्यवाही नहीं की तो इससे भी जाहिर है कि पुलिस की अकर्मण्यता है, तो क्या माननीय मन्त्री जी वहां के स्थानीय पुलिस के दरोगा और पुलिस कप्तान के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

श्रीमन्, इस वक्त इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। इन्फार्मेशन रिपोर्ट में ही यह है कि पहले वहां दो कत्ल हो चुके थे और यह समझा जाता था कि जिन लोगों की मृत्यु इसमें हुई है इन्हीं लोगों ने वह कत्ल कराया था और एक आदमी पर उसमें मुकदमा भी चल रहा है तो इस कारण इसका तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि पुलिस पहले से जानती थी। यों तो कत्ल होते हैं लेकिन इस बात को आवश्यकता तो नहीं समझी गई कि वहां कोई खास तरीके का इन्तजाम किया जाय।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

क्या यह सही है कि इस घटना के दो दिन पहले ही वहां के थाना इन्चार्ज छट्टी पर चले गए थे और वहां पर यह आम भावना है कि इस घटना के कृत्य में उनका हाथ था और क्या मन्त्री जी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

छुट्टी जाने की सूचना तो मुझे नहीं है। लेकिन यह सूचना है कि जब सुबह रिपोर्ट हुई तो एक थानेदार पुलिस वालों को लेकर वहां पहुंचे और दूसरे थानेदार जो किसी दूसरे मुकदमे की तफतीश में थे उनको वहां मालूम हुआ तो वह भी सीधे वहां पहुंच गए।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि एटा जिले के दुर्जनसिंह और महाबीरसिंह के गैंग का इस घटना में हाथ है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट में १३ आदमियों के नाम दिए हुए हैं और यह कहा गया है कि २५, ३० थे जिन्हें देखकर पहचान सकता हूं।

श्री रघुनाथसिंह—

२ कत्ल पहले हुए और रंजिश थी और इसकी भी पूर्व सूचना होने पर भी थाने के अधिकारियों ने पहले कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

एक कत्ल सन् ६२ या ६३ में हुआ और एक ६५ में हुआ। ६५ के कत्ल का मुकदमा चल रहा है। उसमें एक मुलजिम उस घर का है जो मारे गए हैं। एफ० आई० आर० में यह लिखा है कि उस रंजिश के कारण गांव वालों ने बाहर के लोगों को बुलाकर यह काम किया।

(श्री मैनेजरसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रघुनाथसिंह—

पूर्व सूचना के बाद भी पुलिस ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री अध्यक्ष—

यह बाद में पूछ लीजिएगा।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या मन्त्री जी यह देखते हुए कि ६५ के कत्ल के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया और अकर्मण्यता की, इस मामले की जांच गुप्तचर विभाग से कराने की कृपा करेंगे कि इसमें पुलिस की अकर्मण्यता और साजिश थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

तफतीश हो रही है, फिलहाल गुप्तचर विभाग की जरूरत नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

इसकी रिपोर्ट किसने और किस समय लिखाई और नामजद आदमी उस गांव से कितनी दूरी के हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

रिपोर्ट, जिसके घर में यह वाक़या हुआ उसके दयाराम ने लिखाई सुबह को और यह कहा कि चूंकि ६, ७ मील का फासला था इसलिए रात में आने से डर लगता था।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिए गए तारांकित प्रश्न]

बाराबंकी जिले में कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत पशुपालन

*१--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले की तहसील हैदरगढ़ में दुग्ध उत्पादन, पशु चिकित्सा, नस्ल सुधार सम्बन्धी चल रहे विभागीय कैश प्रोग्राम के लिए चुने गए हसवापुर, कबूलपुर, फतेहगंज सेन्टरों के अतिरिक्त भविष्य में अन्य स्थानों पर भी सेन्टर बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन स्थानों को चुना गया है ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--

बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील में दुग्ध उत्पादन, पशु चिकित्सा, नस्ल सुधार सम्बन्धी विभागीय कैश प्रोग्राम के लिए हसवापुर, कबूलपुर, फतेहगंज सेन्टरों के अलावा सिधौर ग्राम में कृत्रिम गर्भाधान और छितौरा ग्राम में पशु सेवा एवं कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र इसी वर्ष में खोलने की व्यवस्था की जा रही है। उपरोक्त सेन्टरों के अतिरिक्त हैदरगढ़ तहसील के अन्य किसी स्थान पर कोई सेन्टर बनाने की योजना इस समय विचाराधीन नहीं है।

*२--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि परगना सुबेहा जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, कमेला, सुबेहा, गेरावां में भी उक्त सेन्टरों तथा अहिरगांव, सुकुलपुर, रेहुरा शरीफाबाद में इनके अन्तर्गत उप-सेन्टरों की स्थापना कर कैश प्रोग्राम चालू करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत उन्हीं स्थानों पर सेन्टर खोलने पर विचार किया जाता है जहां से लखनऊ दुग्ध सहकारी संघ को दूध प्राप्त करने में सुविधा हो। इस समय लखनऊ दुग्ध सहकारी संघ ने परगना सुबेहा के अन्य किसी स्थान पर केन्द्र खोलने का न तो कोई सुझाव दिया है और न तो इसके लिए कोई धनराशि है। अतः इन क्षेत्रों के लिए और अधिक सेन्टर खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रोजेक्ट इस वर्ष चल रहे हैं उस पर कितना रुपया व्यय किया जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

परगना सुबेहा के पिछड़ेपन को देखकर क्या मन्त्री जी आदेश देंगे कि वहां के लिए उत्पादन बढ़ाने और नस्ल सुधारने के लिए कोई योजना बनाई जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

परगना सुबेहा में एक पशुपालन केन्द्र पहले से है और एक बुर्रा सांड है। ऐसा कहना सही नहीं है कि वहां कुछ नहीं हो रहा है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

भविष्य में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मन्त्री जी सुबेहा में एक सांड रखे हुए हैं क्या व एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भी खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

यह तो भविष्य की बात है, जैसे-जैसे साधन उपलब्ध होते जायेंगे, वैसे-वैसे आगे बढ़ने पर विचार करते जायेंगे।

सिविल लाइन, बरेली में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*३--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार को ज्ञात है कि सिविल लाइन, बरेली में गवर्नमेंट नजूल की भूमि बंगला नं० १५१, १५२, १५३ जोकि चौकी चौराहे के सामने है और जो लाखों रुपए मूल्य की है उस पर कुछ व्यक्तियों ने बिना किसी प्रकार की आज्ञा लिए गत १ वर्ष के अन्दर पेट्रोल की पक्की दुकानें बना ली हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

यह सही है कि गत १ वर्ष के अन्दर श्री विद्या भूषण चौधरी ने बंगला नं० १५१, १५२ सिविल लाइन, बरेली की भूमि पर एक नया कमरा नगरपालिका बरेली की बिना आज्ञा के निर्माण किया है और आराजी नजूल २४.७-९ वर्ग गज पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है। नगरपालिका ने उनके विरुद्ध अभियोग न्यायालयों को भेजा है जिसका निर्णय अभी नहीं हुआ है।

*४--श्री हरीश कुमार गंगवार--

क्या यह सही है कि बरेली इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने सन् १९६४ में उपरोक्त भूमि के संबंध में यह प्रस्ताव पास किया था कि सरकार कुल भूमि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के प्रबन्ध में दे दे, ठेके का नवीनीकरण न किया जाय और भूमि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के कार्यालय के लिये सुरक्षित रखी जाये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

यह सही नहीं है कि बरेली इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने सन् १९६४ में उपरोक्त भूमि के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव पास किया था। २९ अगस्त, १९६३ को एक प्रस्ताव नम्बर ६ पास किया था कि जिलाधीश से निवेदन किया जाय कि वह सरकार को लिखें कि कुल इम्प्रूवमेन्ट म्युनिसिपल नजूल इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को देखभाल के लिये दे दी जाय। २७ नवम्बर, १९६३ को प्रस्ताव नम्बर १११ पास किया कि उपरोक्त भूमि का पट्टा नवीकरण न किया जाय। उक्त किसी भी प्रस्ताव में यह नहीं कहा गया कि इस भूमि को ट्रस्ट के कार्यालय के लिये सुरक्षित रखा जाय।

*५--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या यह सत्य है कि जिलाधीश, बरेली ने जो कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, उपरोक्त प्रस्ताव को सरकार को नहीं भेजा बल्कि नगर पालिकाध्यक्ष के उपरोक्त भूमि के पट्टे की मियाद बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को पिछले वर्ष भेज दिया ? यदि हां, तो किस कारण से ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जी नहीं। इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के प्रस्ताव जिलाधीश के पत्र दिनांक २४ अप्रैल, १९६५ और नगरपालिका का प्रस्ताव जिलाधीश के पत्र दिनांक २८ मई, १९६५ के द्वारा शासन के पास भेजे गये। उक्त प्रस्ताव शासन के बिचाराधीन है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह नया कमरा जो माननीय मंत्री जी ने बताया, कब बनना शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ और नगरपालिका ने मुकदमा कब दायर किया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

एक साल हुआ, जब यह कमरा बिना नगरपालिका की इजाजत के निर्माण करा लिया गया। जब नगरपालिका को मालूम हुआ तब उसने कार्यवाही की। लेकिन उन्होंने नगरपालिका के आदेश का पालन नहीं किया, तब विवश होकर अदालत की शरण लेनी पड़ी।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, कमरा एक दिन में तो तैयार नहीं हो गया। इसलिये माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से यह बतायें कि वह कब बनना शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ और नगरपालिका ने मुकदमा कब दायर किया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

मेरे पास इस समय केवल एक तारीख है। ६-५-६५ को नगरपालिका ने नोटिस दिया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट बतायेंगे कि कितने दिन के बाद नगरपालिका को यह मालूम हुआ कि कमरा बन रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब उसकी लीज की अवधि समाप्त हुई तो वह क्यों बढ़ाई नहीं गयी ? वह कब समाप्त हो रही थी और सरकार ने उसको तब तक स्वीकृति प्रदान क्यों नहीं की ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

इसकी लीज २८-७-२७ को की गयी थी और उसकी पहली अवधि ३० वर्ष की थी। चूंकि वह लीज बेगम जमशेदी के नाम से था और वह पाकिस्तान चली गईं और उनकी प्रापर्टी कसटूडियन के पास आ गई और उन्होंने इसको इन ३ व्यक्तियों को बेचा और इन तीनों की अवधि ५८ तक समाप्त होती थी और उन्होंने ५५-५६ के दरम्यान में यह अराजी बेची और वह कसटूडियन के द्वारा जो बेची गई थी उसकी अवधि ५७-५८ के लगभग समाप्त होती थी। उसी वक्त उन्होंने लीज को रिन्यू कराने का प्रार्थना-पत्र दिया और जिलाधीश ने उसको सरकार के पास भेजा और वह सरकार के विचाराधीन है कि उसको रिन्यू किया जाय या नहीं।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

यह लीज सन् ५६-५८ के बीच का था और जब वह एक्सपायर हुआ तो उसके बाद अवधि बढ़ाने का प्रार्थना-पत्र आया लेकिन सरकार ने ७ वर्ष में भी लीज नहीं बढ़ाया तो कब तक उस पर विचार हो जायगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

कारण यह है कि उस जमीन पर अब बंगले बन गये हैं और कुछ कानूनी अड़चने हैं इसलिये उस पर विचार में विलम्ब हो रहा है और शायद अभी कुछ और समय लगेगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या मंत्री जी यह देखते हुए कि जिस प्रकार अनधिकृत कब्जा नजूल भूमि पर बरेली में किया जा रहा है और एक जगह बिलकुल नगर के अन्दर कई एकड़ जमीन पर श्री गिरीश चन्द्र कब्जा किये बैठ हैं और अभी तक उन्हें ने लीज के लिये दरख्वास्त भी नहीं दी है और किराया वसूल करते हैं तो ऐसी अवस्था में प्रदेश भर की नजूल भूमि के प्रबन्ध के लिये अलग से किसी एक नजूल बोर्ड का प्रबन्ध करेंगे जिससे कि सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग न हो ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

ऐसी नजूल की भूमि के एन्क्रोचमेन्ट के केसेज और जिलों से भी आते हैं लेकिन इनके लिये सरकार हमेशा सचेत रहती है और जिलाधीश द्वारा जब भी ऐसे अनधिकार कब्जे की सूचनायें आती हैं तो तुरन्त कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया जाता है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि अगर अनुचित रूप से कोई मकान या कमरा बनाया जाता है तो नगरपालिका को अधिकार है कि नोटिस देने के बाद बनाने वाले के खर्च पर उसको गिराया जाय तो फिर नगरपालिका ने अदालत में जाने का रास्ता क्यों ढूंढ़ा और नगरपालिका ने खुद उसको गिराने की कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

नगरपालिका ने अनधिकृत तामीर करने वालों के खिलाफ वही कार्यवाही की जो उसको करना चाहिये थी लेकिन जब कामयाबी हासिल नहीं हुई होगी तभी अदालत की शरण ली होगी ।

श्री उग्रसेन--

उत्तर साफ होना चाहिये । ली होगी, यह कहना कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष--

आप ठीक कहते हैं, वह साफ होना चाहिये ।

[२० सितम्बर, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आटा मिलें

*१--श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितनी आटा मिलें ऐसी हैं जिनमें सरकारी गेहूं देकर १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में कितना कितना आटा पिसाया गया ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)---

उत्तर प्रदेश सरकार आटा नहीं पिसवाती। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*२---कल्याणचन्द मोहिले---

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन मिलों में सरकारी आटा पीसा जाता है उनमें किन-किन मिलों में अनियमितता की शिकायत सरकार के पास १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में आई तथा सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

प्रश्न के पूर्व भाग का प्रश्न नहीं उठता। शेष के लिये सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्रीमन्, इसमें अभी सूचना एकत्र की जा रही है क्योंकि सूबे भर में १९ आटे की रोलर मिल्स हैं और ४ और मिलें हैं। तो इतनी ज्यादा मिलें हैं और यह प्रश्न २८ तारीख को हमारे पास पहुंचा है।

श्री अध्यक्ष---

क्या वांछित सूचना आगामी सप्ताह में आ जायगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

हम आशा करते हैं कि आ जायगी।

गोरखपुर कमिश्नरी में पंजाबी गेहूं का वितरण

*३---श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६३ और १९६४ में प्रान्त से या किसी अन्य प्रान्त से उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना टन गेहूं खाने के लिये खरीदा है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

सन् १९६३ और १९६४ में प्रदेश में या किसी अन्य प्रान्त से राज्य सरकार ने देशी गेहूं खाने के लिये नहीं खरीदा।

*४---श्री सोहनलाल धुसिया---

उक्त गेहूं अपने ही प्रदेश के लोगों को खाने के लिये दिया गया अथवा कहीं बाहर भेज दिया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

प्रश्न नहीं उठता।

*५---श्री सोहन लाल धुसिया ---

क्या सरकार बतायेगी कि कितने वर्षों से गोरखपुर कमिश्नरी के अन्तर्गत कंट्रोल की दुकानों में देशी गेहूं देने में वह असमर्थ रही है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

सन् १९६२-६३ से राज्य सरकार के पास देशी गेहूं उपलब्ध न होने के कारण दुकानों को वितरण हेतु नहीं दिया गया। लेकिन बीज के हेतु मंगाय गये पंजाब के गेहूं के बचे हुए स्टाक में से इस वर्ष फरवरी से मई की अवधि में लगभग ८०० टन देशी गेहूं गोरखपुर कमिश्नरी में सस्ते गल्ले की दुकानों को वितरण हेतु दिया गया है।

श्री सोहनलाल धुसिया--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि राज्य सरकार ने देशी गेहूं खाने के लिये नहीं खरीदा, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार खरीदना चाहती थी पर गेहूं उसे नहीं मिला या खरीदने के लिये ही उसकी मंशा नहीं थी ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

पहले तो केन्द्रीय सरकार ने हमारे यहां पर लैवी लगा दी थी। पिछले वर्ष उन्होंने यह नहीं की। लेकिन पिछले साल हमने खरीदा। पर ज्यादा खरीदने पर बाजार में कीमतें बहुत बढ़ जातीं।

श्री सोहनलाल धुसिया--

१९६२-६३ में विदेशी गेहूं खाने को मिला पिछले साल जब कि बम्पर क्राप हुई उस वर्ष भी विदेशी गेहूं ही खाने को मिला। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जो होर्डेड गेहूं है उसको नहीं निकलवा सकती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

पिछले साल तो बम्पर क्राप नहीं हुई थी। इस वर्ष हुई है और हमने बाजार से खरीदा भी है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब पब्लिक एक्सचेकर का पैसा विदेशी गेहूं के लेने में लगता है और आपके यहां पर बम्पर क्राप हुई है तो आपके द्वारा गेहूं न खरीदने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

कौन कहता है कि हमने नहीं खरीदा है। हमने हजारों टन खरीदा है।

श्री उग्रसेन--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि गोरखपुर कमिश्नरी को पंजाब वाला गेहूं दिया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो पंजाब वाला गेहूं बीज के काम का नहीं है और जो रखा हुआ है उसे वे देवरिया की राशन की दुकानों पर बंटवाने के लिये आज्ञा देंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जो गेहूं रखा गया है, वह बंटवाने के लिए ही रखा गया है। जिलाधीश उसके लिए देखेंगे कि कहां जरूरत है और कहां जरूरत नहीं है।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी आदेश देने की कृपा करेंगे कि वह गेहूं बंट जाय ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

१९६२-६३, १९६३-६४, १९६४-६५ में और आगे भी यह गल्ले का मामला बड़ी अहमियत का है और विशेष कर अब और भी, तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जो स्टेट ट्रेडिंग खोलने की बात कही गयी थी उसके बारे में क्या हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने खोल ली है। दक्षिण भारत में वह कायम भी हो गया है। अपने प्रदेश में अगली रबी की फसल से स्टेट ट्रेडिंग की तैयारी की जायगी और सीधे काश्तकारों से गल्ले की खरीद की जायगी।

श्री जे० पी० मिश्र—

अभी खरीफ की फसल है और माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगली रबी की फसल से कार्पोरेशन की बुनियाद पड़ेगी तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को अभी खोलने में क्या आपत्ति है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं प्रश्न समझा नहीं, किसको खोलने के विषय में कह रहे थे ? गवर्नमेंट तो खरीदेगी और आगे चलकर के काश्तकारों से सीधे भी लेगी।

श्री रघुनाथसिंह—

उग्रसेन जी के प्रश्न के उत्तर से मालूम हुआ कि पारसाल बोने के लिए गेहूं का जो बीज आया था वह बोने लायक नहीं था इस लिए उसको छांट करके रख दिया गया। मन्त्री जी ने कहा कि बांटने के लिए ही रखा है। तो ९, १० महीने हो गये हैं अब तक उसे न बांटने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हम यह देख रहे थे कि किस वक्त आपत्तिकाल हो। और पहले तो लोगों को मिल रहा था। अब जैसा कहा कि बराबर बंट रहा है और सब एक साथ तो नहीं बांटा जा सकता है क्योंकि अभी कई महीने और हैं।

श्री अध्यक्ष—

उग्रसेन जी यही चाहते हैं कि क्या सरकार ने आदेश दे दिये हैं बांटने के ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं कह चुका हूं कि देवरिया को अकेले ४ सौ टन के करीब दे चुके हैं। परन्तु वह चाहते हैं कि जो और जिलों का हिस्सा है उस को भी दे दिया जाय।

श्री उग्रसेन—

उस गेहूं को आप कहीं बांटें इस से हमें मतलब नहीं है। हम तो यही जानना चाहते हैं कि बांटने का आदेश दे चुके हैं ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बंट नहीं रहा है, तो मन्त्री जी के दोनों उत्तरों में से कौन सा उत्तर सही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

करीबन ४, ५ हजार टन के बांटने के आदेश दे दिये हैं और बंट रहा होगा।

इलाहाबाद कुम्भ मेले में यात्री-कर

*६—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद में होने वाले आगामी कुम्भ मेले के लिए यात्री करों की नयी दरें सरकार द्वारा क्या स्वीकार की गयी हैं तथा गत ४ मेलों में यात्री कर की दरें क्या थीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

रेल द्वारा यात्रा करने वालों पर यात्री कर भारत सरकार लगाती है और इलाहाबाद में होने वाले आगामी कुम्भ मेले के सम्बन्ध में अभी उनका निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है, मार्ग द्वारा यात्रा करने वालों पर कर की दरें तभी निश्चित की जाती है जब रेल यात्री कर की दरें तय हो जाती हैं ।

गत ४ मेलों, अर्थात १९४८ के अर्द्ध-कुम्भ, १९५४ के कुम्भ, १९६० के अर्द्ध-कुम्भ तथा १९६५ के माघ मेलों में यात्री-कर की जो दरें निर्धारित की गयी थीं, उनका ब्योरा संलग्न विवरण-पत्रों में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६८९-६९० पर)

*७--श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत ३ मेले में सरकार द्वारा प्रति मेले में कितना-कितना रुपया व्यय हुआ तथा कितनी आमदनी हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६९१ पर)

महापालिकाओं के चुनाव में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र

*८--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि महापालिकाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्र आगामी चुनाव में एक सदस्यीय रखे जायेंगे अथवा द्विसदस्यीय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

नगर महापालिकाओं के आगामी चुनाव के लिए एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र रखे जायेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार बतायेगी कि एक मर्तबा पहले भी परिसीमन का प्रश्न उठा था और सरकार उसे कर रही थी तो आपत्तियां इनवाइट की गयी थीं ? यदि हां, तो यह जो निर्णय हुआ है कि एक मेम्बर बोर्ड बनेगा तो पहले वाले परिसीमन पर जो आब्जेक्शन हुये थे उस के निर्णय के अनुसार निर्णय लिया गया है या कोई इन्डिपेंडेंट निर्णय लिया गया है ? अगर स्वतंत्र निर्णय लिया गया है तो वह किस आधार पर ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

महापालिका ऐक्ट के अनुसार सरकार को यह अधिकार है कि वह इस प्रकार का निर्णय कर सकती है। अतः महापालिका में एक सदस्यीय सीट के निर्वाचन का निर्णय मन्त्रि परिषद् ने लिया।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

किस आधार पर ?

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न यह है कि पहले निश्चय कुछ हुआ था, उस पर जब आपत्तियां हुई थीं, उसके अनुसार परिसीमन बना । तो वही आधार जो पहिले थे रखे गये हैं या कोई नये आधार हैं?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

यह जो परिसीमन किया गया था, चूंकि पहिले महापालिका का निर्वाचन, १९५१ की जनगणना के आधार पर था, अब हम को १९६१ की जनगणना के आधार पर निर्वाचन के लिए सीटों को निश्चित करना था इस लिए परिसीमन का कार्य ही हुआ। आपत्तियां भी आयीं। उसके बाद विधान परिषद् में एक गैर सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, उस पर यह वाद विवाद हुआ कि हम डबल सीट के बजाय सिंगिल सीट कर दें तो ज्यादा सुविधा होगी। क्षेत्र छोटे हो जायेंगे तो सदस्यों को कार्य करने में ज्यादा सुविधा होगी, मतदाताओं को भी अपने उम्मीदवार से कार्य कराने में सुविधा होगी। इस प्रकार का सुझाव जब मन्त्रि-परिषद् के समक्ष आया तो उस पर विचार विमर्श होने के पश्चात् मन्त्रि परिषद् ने यह निर्णय लिया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

ये चुनाव जून में होने वाले थे, इसी साल, उस वक्त परिसीमन भी हो चुका था और आपत्तियां मांगी गयी थीं और एक सदस्यीय क्षेत्र उस समय भी बन गया था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह सब हो चुका था, तो पुनः इस पर फैसला क्यों लिया गया?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

माननीय सदस्य भी कह रहे हैं कि एक सदस्यीय कार्य होने के लिए बहुत कुछ कार्य सम्पादन हो चुका था और एक ही सदस्यीय निर्वाचन होने के लिए निश्चय भी हुआ तो अन्तर कहां आता है?

श्री ऊदल--

कन्फ्यूजन यह हो रहा है कि एक बार आपत्तियां आ चुकीं...

श्री अध्यक्ष--

वह कह रही हैं कि जो आपत्तियां आयीं, उन के ऊपर परिसीमन हुआ और वही अभी तक लागू है।

श्री ऊदल--

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पुनः आपत्तियां मांगी जा रही हैं?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जो ५ महानगरियां हैं उन सब में पूरा कार्य नहीं हुआ था और यह बतलाया गया कि एक, दो महानगरियां परिसीमन के कार्य को पूरा नहीं कर सकी हैं जिससे चुनाव की तारीखें कुछ बढ़ा दी गयी थीं। अब सभी महानगरियां ने उस कार्य को पूरा कर लिया है और शासन के पास यह सूचना आ गयी है। आपत्तियों के लिए भी लिस्ट प्रकाशित हो गयी है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

महापालिकाओं में वन मेम्बर कांस्टीटचुऐंसी स्थापित की गयी हैं तो क्या सरकार अगले चुनाव में नगरपालिकाओं में भी चुनाव वन मेम्बर कांस्टीटुएंसी के आधार पर कराने की व्यवस्था करेगी?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

यह तो महापालिकाओं के चुनाव का प्रश्न है। नगरपालिकाओं का चुनाव तो सन् ६४ में हुआ है। अभी तो उनके लिए बहुत समय है।

वाराणसी कारागार से श्री वासुदेव सिंह को छोड़ने की सिफारिश

*९—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न संख्या ३, ४ तथा ५, दिनांक १९ अप्रैल, सन् १९६५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ७० और ९० वर्ष के बीच की आयु वाले कुल १८६ बन्दियों में से जो बन्दी शारीरिक दृष्टि से बेकार माने गये हैं, क्या वे छोड़ दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

ऐसे सब बन्दी नहीं छोड़े गये हैं। उन में से केवल एक छोड़ा गया है। और बन्दी इसलिए नहीं छोड़े गये, क्योंकि वे नियमानुसार छोड़े जाने के योग्य नहीं समझे गये।

*१०—श्री बृजबिहारी—

क्या सरकार वाराणसी केन्द्रीय जेल के कैदी, श्री बासदेव सिंह, जिनकी रिहाई दो वर्ष पूर्व आगामी दो वर्षों के लिए स्थगित कर दी गयी थी, अब रिहा करने के प्रश्न पर पुनः विचार करने की कृपा करेगी क्योंकि अब उक्त दो वर्षों की अवधि समाप्त हो गयी है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां। इस बन्दी का स्थगित फार्म (ए) शासन को १७-९-६५ को प्राप्त हुआ है।

श्री बृजबिहारी—

चूंकि यह मान लिया गया है कि ७० से ९० वर्ष की आयु के १८६ बन्दी ऐसे हैं जो शारीरिक दृष्टि से बेकार हैं, तो एक को ही क्यों छोड़ा गया, बाकी लोग क्यों नहीं छोड़े गये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

प्रश्न के उत्तर में बतला दिया गया है कि नियमानुकूल छोड़े जाने के योग्य नहीं थे, इसलिए नहीं छोड़ा गया। ये जो १८६ बन्दी ७० और ९० वर्ष की बीच की आयु के हैं जेल मैनुअल की की धारा १९५, १९६ और १९७ में यह प्राविधान है कि अस्वस्थता के कारण, असाध्य रोग होने के कारण या उनकी मृत्यु का समय नजदीक होने के कारण उन को छोड़ा जा सकता है और उस के लिए फार्म आते हैं और उन पर विचार किया जाता है लेकिन इन बन्दियों का कोई रोल स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐसा नहीं था, इसलिए छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता था।

श्री बृजबिहारी—

क्या माननीय मन्त्री जी यह मानते हैं कि सारे के सारे बन्दी शारीरिक दृष्टि से बेकार हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

डाक्टरों की रिपोर्ट है उस से ऐसा मालूम होता है कि सभी स्वस्थ हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार के पास ऐसा कौन-सा आला है जिस से वह जानती है कि वे मरने के नजदीक पहुंच गये हैं ?

(मन्त्री को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया।)

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

क्या मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि कमजोर और बूढ़े कैदियों को न छोड़ा जाय ताकि वे भूखे न मरें ?

(मन्त्री को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया।)

श्री बृजबिहारी--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि श्री बासुदेव सिंह जिन की अवस्था ९० वर्ष की है और वे शारीरिक दृष्टि से बेकार हैं, वे न देख सकते हैं, न चल सकते हैं, और न सुन सकते हैं और इनके बारे में एक बार प्रश्न आया था तो वह दो वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब आप ने कहा है कि १७-९-६५ की रिपोर्ट आयी है, तो अब उन को छोड़ने के प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

श्रीमन्, पहला प्रश्न तो यह है कि उन की अवस्था ९० वर्ष की न होकर ७० वर्ष की है। दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य ने पहले भी पूछा था कि वह सुन नहीं सकते, हंस नहीं सकते और चल नहीं सकते। ऐसी कोई बात नहीं है, वह सुन सकते हैं, हंस सकते हैं, और चल सकते हैं। तीसरी बात यह है कि चूंकि शासन ने दो वर्ष की अवधि बढ़ा दी थी जो समाप्त हो गयी है। उनका फार्म आ चुका है और जो जिलाधीश की रिपोर्ट है उस को देखकर शासन फिर से इस पर विचार करेगा।

*११-१२--श्री घूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

[स्थगित किये गये।]

फतेहपुर में हाउस एलाटमेंट कमेटी

*१३--श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में कोई ऐसी भी कमेटी का गठन शासन द्वारा किया गया है, जो पचास रुपये तक के किराये के मकानों का एलाटमेंट करती है ? यदि हां, तो कमेटी का गठन कब हुआ और उसके सदस्य किस हैसियत के हैं तथा तत्सम्बन्धी कमेटी ने अपने कार्यालय में कितने एलाटमेंट (२८ फरवरी, ६५ तक) किये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां, लगभग डेढ़ वर्ष पहिले फतेहपुर जिले में एक खाद्य सलाहकारिणी समिति का गठन हुआ। इस समिति को पचास रुपये तक के किराये के मकानों के एलाटमेंट के मामलों में जिलाधीश को राय देने का अधिकार है। इस समिति में जिले के समस्त एम० एल० ए०, एम० पी०, सभी राजनीतिक पार्टियों का एक एक प्रतिनिधि, नगर महापालिका तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष, व्यावसायिक वर्ग का एक प्रतिनिधि तथा शासन द्वारा मनोनीत चार सदस्य रखे गये थे। उक्त समिति के दिनांक ११-१०-६४ की बैठक में, जिस में माननीय सदस्य (प्रश्नकर्त्ता) भी उपस्थित थे यह निर्णय लिया गया था कि चूंकि एलाटमेंट के मामले कानूनी हैं अतः इन्हें रेंट कन्ट्रोल आफिसर ही करें तो अच्छा रहेगा। अतः उक्त समिति की राय पर एलाटमेंट करने का प्रश्न नहीं उठता।

*१४--श्री रामकिशोर वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि कमेटी के निर्माण के पश्चात् भी कुछ एलाटमेंट वर्तमान जिलाधीश जी ने स्वयं किए और कमेटी से कोई राय भी नहीं ली ? यदि हां, तो किस-किस के लिए कब और क्यों ? तथा कमेटी की राय की उपेक्षा के मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी नहीं, वर्तमान जिलाधीश ने स्वयं कोई भी एलाटमेंट नहीं किए।

*१५--श्री रामकिशोर वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मन्त्री ऐसे एलाटमेंट निरस्त करने का आदेश देंगे, जो बिना राय कमेटी के जिलाधीश ने स्वयं किए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और कठिनाई क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

उक्त उत्तर को दृष्टिकोण में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरनगर जिले में बिना लाइसेंस का भट्ठा

**१६---श्री शिवलमिटराम, श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर) तथा श्री उदल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम रलम, तहसील मुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर में श्री दिलावरसिंह (रिछपाल सिंह, राजेन्द्रसिंह) ने हाल ही में नए भट्ठे का निर्माण किया है जिसका लाइसेन्स उनके पास ८-१० साल से है, ग्राम से दो फर्लांग से कम दूरी पर लगाया गया है और एक हाई स्कूल की बिल्डिंग से भी जुटा हुआ है, और चार-पांच बाग भी उससे मिले हुए हैं? यदि हां, तो ऐसी शक्ल में, इस भट्ठे के लगाने की इजाजत क्यों दी गई?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

श्री दिलावरसिंह (सर्वश्री रिछपाल सिंह, राजेन्द्र सिंह) ने लाइसेन्स प्राधिकारी की आज्ञा के बिना भट्ठा लगाया है तथा लाइसेन्स प्राधिकारी को उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दे दिए गए हैं।

श्री रघुवीरराम---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि ये आदेश कब दिए गए हैं?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

श्रीमन्, इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री उदल---

क्या मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे कि ये आदेश नहीं दिए गए हैं और यदि दिए गए हैं तो उनका पालन नहीं हो रहा है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

श्रीमन्, मैंने स्पष्ट कहा है कि कार्यवाही करने के आदेश दे दिए गए हैं।

श्री अध्यक्ष---

उनका कहना है कि आदेश का पालन नहीं हो रहा है। क्या आप इसको देखेंगे?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

जरूर देखेंगे इसको।

श्री मैनेजरसिंह---

श्रीमन्, इस प्रकार से नियमों की अवहेलना की जा रही है। बलिया जिले के गांधी आश्रम से सटे एक भट्ठा चलाया जा रहा है जिसको हटाने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो क्या मन्त्री जी समस्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आदेश देंगे कि भट्ठों के लाइसेन्स में नियमों का पालन सख्ती से किया जाय?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

श्रीमन्, जहां तक बिना लाइसेन्स के भट्ठे चलाने का सवाल है उनके खिलाफ कार्यवाही होती है। बाकी जो और नियम हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अथारिटी है और उनके डिसक्रीशन पर होता है। अगर आप उनके नोटिस में लायेंगे तो वे स्वयं देख लेंगे।

नोट---तारांकित प्रश्न १६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*१७—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

[स्थगित किया गया ।]

*१८—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

[स्थगित किया गया ।]

उद्यान अनुविभाग में गजटेड पदों पर नियुक्तियां

*१९—श्री बब्बन सिंह, श्री विष्णुप्रतापसिंह (जिला गोंडा) तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग के उद्यान अनुविभाग में ११ गजटेड पदों पर नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग ने जिन अभ्यर्थियों की जिन पदों पर अभी हाल ही में नियुक्ति की सिफारिश की है उनकी नियुक्ति उन्हीं पद पर की गई या कोई हेर फेर किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? और क्या इस हेर फेर के लिए लोक सेवा आयोग की अनुमति प्राप्त कर ली गई है ?

कृषि मन्त्री (श्री गेंदासिंह)—

लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर अभी कोई नियुक्ति नहीं की गई है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

झांसी तहसील में पकड़ी गई शकर

*२०—श्री ब्रह्मदत्त मायर तथा श्री लखपतराम शर्मा—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिनांक २१ जुलाई, १९६५ को झांसी तहसील द्वारा जरबां बरूआ सागर के सरकारी राशन की दुकान के ठेकेदार जो शक्कर भी वितरण करते हैं उन्हें १० बोरे शक्कर वितरण हेतु दी गयी ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त १० बोरे शक्कर गांधी रोड झांसी के शक्कर (बतारो) के बड़े दुकानदार के यहां सप्लाई विभाग, झांसी के इन्सपेक्टर द्वारा मौके पर पकड़ी गई ? यदि हां, तो दिनांक २२ अक्तूबर, १९६५ को उपरोक्त शक्कर के बोरों को छोड़ दिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, दोनों ही बातें सत्य हैं। पकड़े हुए दसों बोरों के छोड़े जाने का कारण यह है कि उक्त बोरों को पकड़ते समय पूर्ति निरीक्षक को इस बात का शक था कि यह माल अनधिकृत रूप से रखा जा रहा है परन्तु उसके बाद की जांच से यह स्पष्ट हो गया कि यह दुकानदार माल परमिट पर पाए हुए था तथा माल ले जाने का उचित प्रबन्ध न कर सकने के कारण झांसी के दुकानदार के यहां माल रख रहा था। अतः दूसरे दिन माल छोड़ दिया गया।

कारागार महानिरीक्षक कार्यालय के कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्रवाही

*२१—श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष १९६४–६५ में कारागार महा-निरीक्षक का एक कर्मचारी बिना विभागीय आज्ञा के विश्वविद्यालय की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध इस अनुशासनहीनता के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

*२२—क्या यह भी सही है कि इस प्रकार की शिकायत किसी स्थानीय सज्जन ने की थी ? यदि हां, तो शिकायत के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। सम्बन्धित कर्मचारी की चरित्रपंजिका में सेन्सर व चेतावनी कारागार महानिरीक्षक ने दी थी।

*२३—श्री मेड़ीलाल—

विद्यालय सत्र के अन्त में उनका परीक्षाफल भी घोषित हुआ था। इससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें अन्ततोगत्वा आज्ञा दे दी गई। यदि नहीं, तो शासन पुनः क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इजाजत नहीं दी गई थी। इस मामले में कार्यवाही करने के उचित अधिकारी कारागार महानिरीक्षक स्वयं हैं। शासन द्वारा कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बदायूं जिले में टीन का वितरण

*२४—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६५) के ५वें सोमवार के लिए निर्धारित श्री उल्फतसिंह यादव द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर से सम्बन्धित क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब ग्राम सभा, दहगवां की भूमि की अभी रजिस्ट्री तक नहीं हुई है तो भवन निर्माण के लिए टीन दे देने का क्या कारण है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ग्राम सभा दहगवां को १५ तख्ते टीन श्री अशर्फी लाल, प्रधान ग्राम सभा, दहगवां के प्रार्थना-पत्र पर दी गई। इस प्रार्थना-पत्र पर क्षेत्रीय विकास अधिकारी, दहगवां ने ३० तख्ते नालीदार टीन के स्कूल शेड के लिए सिफारिश की थी और यह भी लिखा था कि स्कूल का शेड जिला परिषद्, बदायूं ने स्वीकार कर लिया है।

*२५—श्री उल्फतसिंह यादव—

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६५) के ५वें सोमवार के लिए निर्धारित श्री उल्फतसिंह यादव के तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के उत्तर से सम्बन्धित क्या माननीय खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अवधि के भीतर ही अपील क्यों नहीं की गई?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिलापूर्ति कार्यालय की असावधानी के कारण।

सहसवान तहसील में भट्ठे

*२६—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में जिला बदायूं की तहसील सहसवान में किस-किस को नए भट्ठे को लगाने की अनुमति दी गयी है तथा वह भट्ठे सीरदारी की भूमि पर लगे हुए हैं अथवा भूमिधरी पर?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना निम्न प्रकार है—

नाम	भूमि
१—श्री अशर्फीलाल, पुत्र लाला गोबिन्द राम, निवासी दहगवां, भट्ठा, मुस्तफाबाद, जनेठा।	न सीरदारी न भूमिधरी बल्कि बंजर।

नाम	भूमि
२--श्री सेवाराम, पुत्र राजाराम, निवासी भोजीपुर भट्ठा दानपुर।	भूमिधरी।
३--विनोद प्रकाश खण्डसारी, पुत्र लाला राम निवास वैश, मुहल्ला सैफुल्लागंज, सहसवान, भट्ठा नगेला मिश्र।	भूमिधरी।

महापालिकाओं के सदस्यों की संख्या

*२७--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), तथा श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि महापालिकाओं के सदस्यों की संख्या आधी की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां।

एक सदस्यीय कक्ष के आधार पर निर्वाचन करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि प्रत्येक महापालिका के सदस्यों की संख्या आधी कर दी जाय ताकि कक्ष बड़े हो जायं। नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ६ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अन्तर्गत सभासदों की संख्या निर्धारित करने का शासन को अधिकार है।

जिला टेहरी गढ़वाल में पेय जल योजनायें

*२८--श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल और उत्तरकाशी)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उपशाखा स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल) ने जिला टिहरी गढ़वाल की कितनी पेय-जल योजनाओं को अपनी संस्तुति के साथ शासन के सम्मुख रखा है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह उपशाखा १४-५-६५ को स्थापित हुई थी। इसने अब तक तीन पेयजल योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं का विभाग द्वारा परीक्षण हो जाने पर मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग उन्हें अपनी संस्तुति के साथ शासन को भेजेंगे।

*२९--श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इन पेय जल योजनाओं में कबीला पेय जल योजना भी शामिल की गई है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

कबीला इन योजनाओं में शामिल नहीं है।

*३०--श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को यह भी मालूम है कि कबीला पेय जल योजना को जिले के नागरिकों को पेय जल सम्बन्धी आवश्यकता की दृष्टि से बनी प्राथमिकता में तीसरा स्थान मिला था और यह भी कि जिले में इस योजना की चर्चा एक लम्बी अवधि से है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं।

नैनी एवं वाराणसी कारागार में अम्बर चर्खा शिक्षकों का वेतन

*३१—श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय कारागार, नैनी एवं वाराणसी के अम्बर चर्खा शिक्षकों को वेतन कब से और क्यों नहीं दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अम्बर चर्खा शिक्षकों को वेतन दिया जा चुका है और उनका कोई वेतन बाकी नहीं है ।

मथुरा जिले में सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं न मिलना

*३२—श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा शहर में सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं इस समय उपलब्ध नहीं है, जिसका वितरण कब से प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मथुरा शहर में सस्ते गल्ले की दूकानों से कुछ समय पूर्व गेहूं का आटा वितरित किया गया था परन्तु गत मास से गेहूं वितरित किया जा रहा है ।

मथुरा में पेय जल की कमी

*३३—श्री केदारनाथ भार्गव—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा शहर के नलों में पानी बहुत कम आता है और कभी-कभी बिलकुल ही नहीं आता है ? नगर की बिजली फेल होने पर पानी उपलब्ध नहीं होता और नगरपालिका का अपना इंजिन होते हुये भी बिजली फेल होने का बहाना बना दिया जाता है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार कोई उचित कदम उठायेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मथुरा शहर के नालों में पानी कम आने का मुख्य कारण पानी का अपव्यय है क्योंकि अधिकतर कनेक्शन बिना मीटर के हैं और स्टैन्ड पोस्टों की संख्या जन-संख्या के अनुपात से अधिक है ।

आजकल वाटर वर्क्स से नगर को पानी देने के लिये ९ पम्पिंग प्लान्ट मथुरा बिजलीघर से प्राप्त बिजली से चलाये जाते हैं । बिजली फेल होने पर सब पम्पिंग प्लान्टों का बन्द होना स्वाभाविक है ।

नगरपालिका के पास केवल एक ही इंजन है । आरम्भ में जब पानी की मांग थोड़ी थी और नलकूप की संख्या भी कम थी तो इस इंजन द्वारा पम्पिंग प्लान्ट से पम्प किया गया पानी काफी होता था परन्तु इस समय ९ नलकूप चालू हैं जिनके लिये इस इंजन की क्षमता पर्याप्त नहीं है । इसलिये बिजली बन्द होने पर सब जगह पानी नहीं पहुंच पाता है ।

पेय जल की कमी को दूर करने के लिये स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा ३१ लाख रुपये की लागत से जल वितरण की योजना कार्यान्वित की जा रही है । यह योजना सम्पूर्ण होने पर पानी की कठिनाई दूर हो जायगी ।

जिला बुलन्दशहर को सीमेंट का कोटा

*३४—श्री बसन्त सिंह (जिला बिजनौर) तथा श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में १९६२-६३, १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में सिविल सप्लाई में सीमेंट का कोटा कितना था और अब क्या यह सच है कि वह कम कर दिया गया है ? कमी करने के क्या कारण ह ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सीमेंट के कोटे से संबंधित सूचना संलग्न है । अप्रैल-जून, ६५ की तिमाही में सिविल कोटा लघु सिंचाई योजना के कार्यान्वित करने में प्राथमिकता देने के कारण कम कर दिया गया था परन्तु जुलाई–सितम्बर, १९६५ की तिमाही में यह कोटा पुनः बढ़ा दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ. ६९२ पर)

*३५--श्री बसन्तसिंह, तथा श्री हिम्मतसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो कमी की गई और वहां की जनता की बढ़ी हुई मांग को देखते हुये वहां के कोटा को पुनः बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

कोटा बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस तिमाही में सिविल कोटा बढ़ा ही दिया गया है

कृष्णानगर, लखनऊ में पकड़ी गयी मैदा की ट्रक

*३६--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि जुलाई, १९६५ में किसी दिन लखनऊ नगर के थाना कृष्णानगर द्वारा कानपुर से अवैधानिक रूप से मैदा लाती हुई एक ट्रक पकड़ी गई तथा लगभग १८ दिन तक थाने में खड़ी रखी गई ? यदि हां, तो वह ट्रक किसकी थी ? अवैधानिक मैदा किसके यहां से कहां आ रहा था ? तथा उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां । २/३ जुलाई, १९६५ को रात १०/११ बजे एक ट्रक जिसका नम्बर यू० एस० क्यू० ९७३४ था, थाना कृष्णानगर में पकड़ी गई । इस ट्रक में ८३ बोरी मैदा कानपुर से लाया गया था । यह ट्रक सरदार जोगेन्द्र सिंह पुत्र सरदार चन्द, मुजफ्फरपुर (बिहार) तथा ३०३, मोतीनगर, लखनऊ के नाम था । मैदा कानपुर से लाया गया था । श्री रूपचन्द्र ने अदालत में इस मैदा को अपना बताया पर कोई वैधानिक सबूत नहीं दिया है । पुलिस की जांच अभी जारी है ।

बदायूं म सफाई मजदूरों की कथित हड़ताल

*३७--श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)--

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि बदायूं नगरपालिका के सफाई मजदूरों की कई दिन की पुरानी आम हड़ताल के कारण नगर में बड़ी गन्दगी व्याप्त है ? यदि हां, तो हड़ताल का कारण क्या है तथा उनकी मांगों को पूरा कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई जिले में सस्ते गल्ले के दूकानदारों के विरुद्ध शिकायतें

*३८--श्री पंचमदास (जिला हरदोई) तथा श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका हरदोई में जनवरी, १९६४ से ३१ जुलाई, १९६५ तक किन-किन सस्ते गल्ले के दूकानदारों के विरुद्ध अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुईं और वह किस प्रकार की शिकायतें थीं, उनकी जांच हुई तथा क्या परिणाम हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ. ६९३-६९४ पर)

*३९--श्री पंचमदास तथा श्री मोहनलाल वर्मा--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि एक-एक वर्ष से शिकायतें पड़ी हुई हैं, जिनकी जांच तक नहीं हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

ऐसी कोई शिकायत नहीं है जो एक वर्ष से पड़ी है और उस पर जांच नहीं हुई है ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने का आदेश

*४०--श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये जून या जुलाई, १९६५ में किसी विशेष प्रकार की व्यवस्था करने का आदेश जिले में गया है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ? और यदि नहीं गया है, तो क्यों ?

श्री गेंदासिंह--

जी हां । पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :

कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में नत्रजन खाद तथा उर्वरक की कमी का जो अनुभव हो रहा है उसको पूरा करने की दिशा में कम्पोस्ट खाद तैयार करने पर बल दिया गया है । इसी प्रकार लघु सिंचाई के कार्यों पर भी अधिक बल दिया गया है जो कृषि उत्पादन में कम महत्व नहीं रखते ।

जायद अभियान के अन्तर्गत एम० पी० चैरी, नाक चैरी, बाजरा, मक्का, ज्वार तथा उनके मिश्रित उत्पादन हेतु सिंचाई कार्यों पर अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है ।

प्रदेश के चौदह जिलों में डीजल तेल द्वारा चलने वाले राजकीय नलकूपों पर ३३ १/३ प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गई है जो फरवरी २८, १९६६ तक अथवा उक्त नलकूपों के बिजली द्वारा चलने तक (जो भी पहले होगा) दिया जावेगा ।

*४१--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश में कुल कितना उर्वरक वर्ष १९६२-६३, १९६३-६४ में बांटा गया है और १९६४-६५ में बांटने का आयोजन है ?

श्री गेंदासिंह--

वर्ष १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में क्रमशः २,३८,५४६ टन व ३,८१,५८३ टन उर्वरक बांटा गया । १९६४-६५ में ६.२० लाख टन उर्वरक बांटने का आयोजन था ।

*४२--श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लियें कृषि विभाग द्वारा कितना रुपया उपरोक्त वर्षों में खर्च करने का प्राक्कलन किया गया था और किस किस मद में तथा कितना-कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री गेंदासिंह--

वांछित सूचना संलग्न तालिकाओं में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ट ६९५-६९६ पर)

हरदोई जिले में सीमेंट के लिये स्टेट लोन

*४३--श्री मोहनलाल वर्मा--

क्या सरकार कृपया यह बताने का कष्ट करेगी कि हरदोई जिले में वर्तमान जिलाधीश, जो जिलाधीश के स्थातान्तरण के बाद कार्यवाहक जिलाधीश हैं, स्टेट लोन के सम्बन्ध में यह आदेश जारी किये हैं कि १० रुपये लोन लेने पर एक बोरी सीमेंट का परमिट दिया जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जिलाधीश, हरदोई ने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं जारी किया ।

*४४--श्री मोहनलाल वर्मा--

क्या कृपया सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि २३ अगस्त, १९६५ से लोन की शुरु-आत की और केवल उन्हीं लोगों को सीमेंट दी गई जिन लोगों ने स्टेट-लोन पहले ही ले लिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उत्तर प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट लोन की शुरुआत २३ अगस्त, १९६५ से हुई थी। यह सही नहीं है कि केवल उन्हीं लोगों को सीमेन्ट दी गई जिन लोगों ने स्टेट लोन पहले ही से लिया ।

*४५--श्री मोहनलाल वर्मा--

क्या सरकार कृपया यह बताने का कष्ट करेगी कि १० अगस्त, १९६५ से २३ अगस्त, १९६५ तक जिन लोगों को सीमेंट का परमिट दिया गया उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और इन व्यक्तियों में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टेट लोन लिया था तथा उनकी तादाद बताने का कष्ट करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

१० अगस्त, १९६५ से २३ अगस्त, १९६५ तक जिन लोगों को सीमेंट का परमिट दिया गया उनकी †सूची संलग्न है इनमें से १०० व्यक्तियों ने स्टेट लोन लिया। इन लोगों के नाम संलग्न सूची में विद्यमान हैं।

*४६--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़), श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़), तथा श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)--

[स्थानान्तरित किया गया ।]

टिकैतनगर बाजार में चुंगी वसूली

*४७--श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद के टाउन एरिया, टिकैतनगर में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वहां के भूतपूर्व जमींदार द्वारा उपरोक्त बाजार में चुंगी वसूल की जाती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

टिकैतनगर में जमींदारी प्रथा समाप्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि यहां कोई कृषक भूमि नहीं है । परन्तु तहसील रामसनेही घाट में, जिसमें कई टाउन व नोटीफाइड एरिया, हैं जमीदारी प्रथा १ जुलाई, १९६४ से समाप्त की जा चुकी है। भतपूर्व जमींदार द्वारा बाजार में चुंगी वसूल की जाती है ।

*४८--श्री गिरजाप्रसाद--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त टिकैतनगर बाजार में टाउन एरिया समिति, टिकैतनगर के अतिरिक्त कौन-कौन लोग चुंगी वसूल करते हैं ?

---

† छापी नहीं गयी ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

टाउन एरिया कमेटी, टिकैतनगर के अंतिरेक्त बाजार में श्रीमती मुन्नी देवी भूतपूर्व जमींदार द्वारा भी चुंगी वसूल की जाती है।

*४९--श्री गिरजाप्रसाद--

[स्थानान्तरित किया गया।]

गुजरात के मुख्य मंत्री, श्री बलवन्त राय मेहता के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन के सामने दुःखद समाचार रखना चाहती हूं। आज आप सब लोगों ने अखबार में देखा होगा कि गुजरात के मुख्य मंत्री, श्री बलवन्त राय मेहता की कल दोपहर विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बलवन्त भाई भारतवर्ष के पुराने सेवक थे। सारी जिन्दगी उन्होंने देश की सेवा में बितायी। मुझे उनके साथ पार्लियामेंट में बहुत साल काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऐसे सत्यनिष्ठ, कर्त्तव्यपरायण, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग कम हैं, जैसे कि वह पुरानी मान्यताओं को मानने वाले थे, और जैसे वह भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत थे। जो लोग पश्चिमी रंग-ढंग रखते थे उनका वह मजाक उड़ाया करते थे। मुझसे एक दफा मजाक में कहा कि मैं लीडरी के लिए क्वालिफाई नहीं करती हूं, क्योंकि मैं बहुत देशीय हूं। उन्होंने बड़ा भारी काम किया एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से और दूसरी बड़ी कमेटियों के चेयरमैन की हैसियत से। वह अपनी रिपोर्टस में बहुत डिटेल में जाते थे। वह हर एक चीज को बहुत सच्चाई से नापते थे। वह गुजरात के मुख्य मंत्री बने। उससे पहले सौराष्ट्र में मंत्री रह चुके थे। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जब आक्रमण हुआ तो उसकी देखरेख का बहुत सा काम जो सामरिक नहीं था वह बलवन्त राय जी ने उठाया।

कल दोपहर को वह घर से निकले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के प्लेन से। मीठापुर स्थान पर उनको चार बजे उतरना था। इस दर्मियान में भुज से ६० मील दूर पर विमान की दुर्घटना हुई। उनके विमान का भग्नावेश मलिया गांव में पाया गया। गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि चूंकि बार्डर का प्रांत है यहां पाकिस्तानी प्लेन ने उनके प्लेन का पीछा किया और गोली मारी। उसमें बलवन्त राय जी मेहता, उनकी पत्नी और सब लोगों की मृत्यु हो गयी। यह संवाद मिला है, यद्यपि पूर्ण रूप से कनफर्म नहीं हुआ है। मगर माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने पार्लियामेंट में जो बातें कहीं है, अगर आप की इजाजत हो तो मैं पढ़ कर सुना दूं वह अंग्रेजी में ह। उन्होंने आज ही सुबह पार्लियामेंट में कहा--

"We are deeply shocked to learn of the sad news of the passing away of one of our dear colleagues, Shri Balwantrai Mehta. That he and his wife should have passed away in such tragic circumstances is most painful. We cannot finally come to a conclusion as to the cause of this accident, but there are reports, and the Gujrat Government has also said that, that the plane was shot down by enemies. He has died in harness". If it came to that, the Prime Minister added, 'We should, all of us, be prepared to face this kind of death" in fighting the enemy".

वह और उनकी पत्नी दोनों साथ-साथ थे। उनका पुत्र और परिवार के लोग हैं जिनको भयानक आघात है। मगर बलवन्त भाई को मैं जानती हूं। वह सिपाही प्रकृति के आदमी थे उनकी और उनकी पत्नी की जिस प्रकार मृत्यु हुई है, जिस प्रकार दोनों शहीद हुए हैं, भारतमाता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के काम से, बलवन्त भाई जैसा आदमी अपना जीवन सार्थक मानेगा। हम लोगों को तरह-तरह की खबरों के लिए तैयार होना है। जिस प्रकार आज भारतवर्ष में वातावरण बना है हम तैयार हैं, चाहे किसी तरफ से, कहीं से भी मार आ ये, चाहे सिविलियन के ऊपर आये चाहे सामरिक लोगों के ऊपर आ ये, आज हम कमर कस कर तैयार हुए हैं, हम बाहर से लड़ाई का मुकाबला करेंगे। मैं आज सब की तरफ से बलवन्त राय जी मेहता के पुत्र और परिवार के अन्य लोगों को सहानुभति भेजती हूं और बलवन्तराय जी को बधाई देती हूं कि जैसा उनका सेनानी का जीवन पहले से था उनकी और उनकी पत्नी की शहीदों की तरह मृत्यु हुई है।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, वैसे तो हम लोग पहले से ही बड़े गम्भीर वातावरण में थे। आज का समाचार सुन कर हृदय में बड़ा दुख हुआ। स्वर्गीय बलवन्त राय जी के बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने जो कहा मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। सचमुच वह पुराने समाज सेवी और राष्ट्रभक्ति थे, जीवन भर उन्होंने अपने कर्त्तव्य का अच्छी तरह से पालन किया। एक बात जो माननीय मुख्य मंत्री ने कही, उसके अलावा हमारे मन में एक दम से घुस जा ये ऐसी आयी कि वह ऐसे पूर्णरूप से राष्ट्रभक्त थे, जीवन भर राष्ट्रभक्त रहे और अपने अंतिम समय में भी उसी राष्ट्रभक्ति का परिचय देकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। आज ऐसे व्यक्ति का हम अपने में से ह्रास पाते हैं। मृत्यु होती है, लेकिन एक स्वाभाविक मृत्यु होती है और एक अस्वाभाविक मृत्यु होती है। स्वाभाविक मृत्यु होती है तो हमें एक दूसरी दृष्टि से देखना पड़ता है और अस्वाभाविक मृत्यु होती है तो हमें दूसरी दृष्टि से देखना पड़ता है। हमारा हृदय यों ही दुखी था और इसको सुनकर जो सूचना मिली उससे हृदय और भी दुखी है कि एक शत्रु राष्ट्र के विमान द्वारा उनकी मृत्यु हुई। मुझे तो अखबारों में पढ़कर बड़ा गर्व था कि हमारी सरकार ने कहीं भी शत्रु की सिविलियन पापुलेशन को छुआ तक नहीं, किंतु इससे हृदय पर बड़ा भारी आघात पहुंचा है कि इस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से हमारे बीच से हमारे एक प्रदेश का मुख्य मंत्री निकाल लिया गया, मार डाला गया---मैं तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करूंगा। मैं श्रीमन्, और कुछ अधिक नहीं कह सकता, हृदय बहुत भरा हुआ है, इतना अवश्य कहूंगा कि चलते-चलते उन्होंने हमारे सामने उत्कृष्ट राष्ट्रभक्ति का उदाहरण रखा है, उससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही साथ उनकी वीरगति की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने को, अपने दल को और समस्त विरोधी दल को उससे सम्बद्ध करता हूं, जो माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है और आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बलवन्तराय मेहता जी के संबंध में जो नेता सदन ने उद्गार प्रकट किये हैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हुआ मैं श्रीमन्, एक ही बात निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं कि मेहता जी ने जो अपनी अंतिम अवस्था में लीला की, उसका अवसर भारत के हर एक नर-नारी को प्राप्त हो।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको और अपने दल को उस प्रस्ताव से सम्बद्ध करता हूं जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय बलवन्तराय मेहता की मृत्यु पर प्रस्तुत किया है। मुझे अत्यन्त सहानुभूति है, विशेषकर इस कारण कि उनकी अपनी पत्नी और दो-चार सहयोगियों के साथ शत्रु द्वारा असमय मृत्यु हुई है। किंतु मैं समझता हूं यह दुख करने का कोई समय नहीं है। हमको इस अवसर पर एक बार पुनः अपने संकल्प को दृढ़तापूर्वक दोहराना है कि इस प्रकार की बर्बरता पर जब तक हमारे पड़ोसी अमल करते रहेंगे, उसका हम हर प्रकार से मुकाबला करेंगे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रताप सिंह]

और जब तक वे इस प्रकार की बर्बरता छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, हम किसी भी कीमत पर अपने कदम पीछे नहीं हटायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि हम लोगों की भावनाओं को संतप्त परिवार तक आप पहुंचा दीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बलवन्त राय मेहता का जिन] परिस्थितियों और जिन कारणों में निधन हुआ है, उससे आज सारा राष्ट्र दुखी होगा, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। श्रीमन्, शत्रु आज हमारे नागरिक जीवन को इतने बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त करने पर लगा हुआ है, इसका कोई उदाहरण नहीं है। श्री मेहता और उनकी पत्नी देश की सेवा में शहीद हुए हैं, उनकी मृत्यु से पूरे राष्ट्र को आज नसीहत लेनी चाहिए, अपनी एकता का परिचय देना चाहिए और देश पर आये संकट एवं उनकी गहराई का एहसास करना चाहिए। जो शत्रु हमारे ऊपर इस तरह की विपत्ति ढाने को तुला हुआ है इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिये। मेहता जी एक अत्यन्त कर्त्तव्य परायण भारत माता के सेवकों में से थे, विशेषकर रचनात्मक कार्यों में उनकी रुचि थी। पंचायत राज आदि के संबंध में जो उनके प्रतिवेदन हैं, एक अत्यन्त सराहनीय कार्य हैं और जब तक वे इकाई देश में कायम रहेंगे, हमेशा माननीय बलवन्तराय जी मेहता याद किये जायेंगे।

मैं आज जो सारा राष्ट्र दुखी है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उसके साथ अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके संतप्त परिवार तक हमारी भावनाएं पहुंचा दें।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के अखबारों से बलवन्त राय मेहता जी के देहावसान का जो समाचार मिला उससे जो देश को दुख हुआ, वह सबको मालूम है। बलवन्तराय जी अपने देश के एक बहुत बड़े सेनानी थे और इस समय उनका जाना हम लोगों को बहुत अखरेगा। वह दुश्मन की गोली से मरे और जैसी कि एक सेनानी की मृत्यु होनी चाहिए वैसे ही उनकी मृत्यु हुई। माननीया मुख्य मंत्री जी ने जिन विचारों को व्यक्त किया है और माननीय विरोधी दलों के नेताओं ने भी जिन विचारों को व्यक्त किया है उनसे अपने आप को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सौराष्ट्र सरकार को और उनके दुखी परिवार को हम लोगों की श्रद्धांजलि पहुंचा दें।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, दुश्मन ने हमारे देश के एक योग्य व्यक्ति को ले लिया। हमको रेडियो से मालूम हुआ था कि शायद वे हवाई जहाज से गिरे थे, लेकिन वे दुश्मन की गोली के शिकार हुए। ऐसे मौके पर जब कि हम आज दुश्मन से जूझ रहे हैं जो शहीद हुए हैं हमें उन सबसे सबक लेना है। हम अपनी पार्टी की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री की भावनाओं से सम्बद्ध करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज जो दुश्मन की चालाकियां और धोकेबाजियां हैं कि किसी शक्ल में आकर वह हमारे देश के महान् लोगों को उठा रहा है, इसका बदला तो मुल्क वक्त आने पर चुकाएगा। इस समय मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष जी, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

वैसे आपके नेता बोल चुके हैं, लेकिन आप भी बोल लीजिए।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मुझे निवेदन यह करना है कि उस विमान में विमान चालक और उनके परसनल असिस्टेंट भी थे। उनका भी निधन हुआ और वह भी शहीद हुए हैं। दुश्मन की गोली उनको भी लगी है। इसलिए उनका भी नाम इसमें आना चाहिए। नहीं तो पक्षपात छोटे बड़े की दृष्टि से हो जायगा।

साथ ही इस संकट की वेला में, जो बहुत से हमारे वीर बहादुराना काम करके सीमा पर, वीरगति को पा रहे हैं या सामूहिक तौर पर काम आकर मरे उनके लिए भी बराबर शोक का प्रस्ताव आया करे, यह मेरा सुझाव है। जिनका नाम वीरता के काम के साथ आता है नाम लेकर तथा अन्यों का सामूहिक तौर पर शोक मनाया जाया करे।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और विभिन्न दलों के नेताओं की भावनाओं से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मुझे उनका दर्शन राज्यपाल जी के यहां हुआ था। मैं उनकी सादगी और सौम्यता से प्रभावित हुआ। मैं बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पढ़ चुका था। वह इस बात को सूचित करती है कि वे कितने विद्वान और कर्मठ व्यक्ति थे। उस सादगी के पीछे उनमें कितनी वीरता और कितना शौर्य था। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि यद्यपि उन्हें मालूम था कि वह ऐसे क्षेत्र से गुजर रहे हैं जहां पर शत्रु का आक्रमण हो सकता है, लेकिन जैसे मौत को भी चुनौती देकर वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए समारोह में सम्मिलित होने के लिये निकल पड़े। हम सबका कर्त्तव्य यह है कि ऐसे वीर पुरुष के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और यह भी कि इस समय वीरगति को प्राप्त करके वे जो सबको छोड़ गये हैं हम भी उस वीरगति को प्राप्त करने के लिए उद्यत रहें। इन शब्दों के साथ मैं इस सदन की भावनाओं को संबंधित परिवार के लोगों को भेज दूंगा। हम अब दो मिनट खड़े होकर उनकी आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि मौन होकर अर्पित करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर २ मिनट के लिये खड़े हुए।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) नियमावली, १९६५†

विद्युत उप मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६३२७-एस०/१८-सी—१६००-६३, दिनांक ६ सितम्बर, १९६५ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) नियमावली, १९६५ को उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, १९६१ की धारा १५ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गत:—

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ जो विधान सभा द्वारा दिनांक १ सितम्बर, १९६५ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १४ सितम्बर, १९६५ को वापस प्राप्त हो गया है।

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गतः--

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ जो विधान सभा द्वारा दिनांक ६ सितम्बर, १९६५ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १८ सितम्बर, १९६५ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५-६६ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा---

मैं आप की आज्ञा से सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५-६६ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६५ जो विधान सभा द्वारा दिनांक ३ सितम्बर, १९६५ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १४ सितम्बर, १९६५ को वापस प्राप्त हो गया है।

प्रदेश में वर्षा न होने से क्षति के सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव आया था जो अवर्षण, सूखे और उसके परिणामों से सम्बन्धित है। मैं समझता हूं कि आज जो इस सदन में चर्चा होने जा रही है उस में इस बात का उल्लेख हो सकता है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष स्थान के बारे में इस के बाद, भी जरूरी समझते हैं कि वक्तव्य हो जाय, तो वे बाद में सूचना दे सकते हैं।

इसी तरह से माननीय रघुनाथ सिंह का भी है। उन से भी मेरा निवेदन है कि खाद्य पर आज जो चर्चा होने जा रही है उस में इसकी भी चर्चा हो जाय। अगर आप फिर भी समझते हैं कि सन्तोषजनक नहीं है तो आप सूचना दे सकते हैं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

वहां पर गांव के लोग भूखों मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया कि आप फिर दे दीजियेगा।

इसी प्रकार से मायर जी की यह शिकायत माननीय राजस्व मन्त्री जी से है। उनका कहना यह है कि यद्यपि सदन में इस बात की घोषणा कर दी गयी थी कि नहरों में पानी चलाया जायगा और आदेश भी दिये गये थे लेकिन सहारनपुर जिले की नहरों में पानी नहीं चल पाया है। इस पर राजस्व मन्त्री जी कृपया ध्यान देने की कृपा करें। मैं इस को उन के पास भेज रहा हूं।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

माननीय विजयसिंह और माननीय मुन्नालाल जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना भेजी है। उसको मैं ध्यान आकर्षण के लिए माननीय गृह मन्त्री जी के पास भेज रहा हूं। इसी प्रकार से माननीय मुकुटबिहारीलाल जी की सूचना माननीय शिक्षा मन्त्री जी के पास भेज रहा हूं कि वे इस को देख लें। इसी प्रकार माननीय लखीसिंह और माननीय रामकिशोर त्रिपाठी जी की सूचनाएं हैं। उन को भी मैं सम्बन्धित मन्त्री के पास भेज रहा हूं।

बर्षा एवं बाढ़ के कारण प्रदेश के कुछ जिलों में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

इस सदन के कतिपय माननीय सदस्यों ने (जिनके नाम का उल्लेख जिले के सन्मुख दिया गया है) वर्षा एवं बाढ़ के कारण मथुरा, आगरा, हमीरपुर, कानपुर एवं देवरिया में उत्पन्न स्थिति की सूचना मांगी थी। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रत्येक जिले के सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति निम्नलिखित है :—

मथुरा—
सर्वश्री चन्द्रबली सिंह, राधेश्याम शर्मा, उग्रसेन एवं लक्खी सिंह।

इस वर्ष २ से ४ सितम्बर की अवधि में मथुरा जिले में अत्यधिक वर्षा हुई। कुछ स्थानों पर १५२.२ मिली मीटर (६ इंच) से लेकर ७७६.७४ मिली-मीटर (३१.२ इंच) तक पानी बरसा था। इसके साथ ही राजस्थान एवं पंजाब राज्यों के मथुरा जिले से लगे हुए क्षेत्र में काफी वर्षा हुई थी।

मथुरा जिले में पानी का निकास किये जाने के लिए गोवर्धन ड्रेन का निर्माण प्रारम्भ किया गया था। इस ड्रेन का १० मील लम्बा भाग राजस्थान राज्य में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में ड्रेन पर किया जाने वाला निर्माण कार्य जुलाई, १९६५ तक पूरा कर लिया गया था। वर्षा का पानी गोवर्धन ड्रेन, कोसी आरटीरियल व अन्य छोटे ड्रेनों में उत्तर प्रदेश की ओर जाने लगा और पानी शीघ्र न निकलने तथा कई स्थानों पर ड्रेनों के किनारे कट जाने से चारों ओर फैल गया। इस के अलावा राजस्थान राज्य के क्षेत्र में गोवर्धन ड्रेन का निर्माण-कार्य पूरा न होने के कारण ड्रेन में भी पानी की पूरी-पूरी निकासी न हुई और पानी मथुरा जिले के रसूलपुर, ओल व परखन क्षेत्र से होता हुआ आगरा एवं राजस्थान के भरतपुर जिले के क्षेत्र में भी चला गया।

पानी के फैलाव को रोकने के लिए ५ सितम्बर से गोवर्धन ड्रेन में पानी का बहाव एक दम रोक लिया गया था। तत्पश्चात् प्रभावित क्षेत्र में पानी का स्तर कम होने पर ९ सितम्बर से सीमित मात्रा में पानी का निकास प्रारम्भ किया गया। इस समय भी पानी का सीमित निकास किया जा रहा है। कुल पानी का निकास होने में ४ से ६ सप्ताह तक का समय लगने की सम्भावना है।

गोवर्धन ड्रेन के पानी के फैलाव के कारण मथुरा तहसील के १२२ ग्रामों एवं छाता तहसील के १६ ग्रामों की कुल १,०१,२९० एकड़ भूमि पर असर पड़ा है जिसमें ५२,७०० एकड़ भूमि कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। इस आपदा से ७३,८५१ व्यक्ति भी प्रभावित हुए हैं। इस के साथ ही ८,४५५ मकानों को भी क्षति हुई तथा ६ मनुष्य और ८३ पशु मर गये।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

इसके अतिरिक्त केवल अतिवृष्टि के कारण छाता तहसील के १११ ग्रामों की ९८,९९३ एकड़ भूमि, जिसमें ५१,१३४ एकड़ भूमि कृषि क्षेत्र है, जलप्लावित हो गई थी। इसके कारण ५१,६५८ व्यक्तियों पर असर पड़ा। इसके अतिरिक्त ३,३८२ मकानों को क्षति हुई और १५ पशुओं की मृत्यु हुई।

जिले की कई सड़कों पर पानी का जमाव हो गया था और गोवर्धन से मथुरा, राधाकुण्ड, बरसाना तथा सोंख को जाने वाली सड़कों को क्षति हुई थी। अछनेरा से आगरा, मथुरा एवं भरतपुर को जाने वाली रेल की लाइनों पर भी पानी भर गया था। इस कारण रेल व सड़क यातायात स्थगित हो गया था। इसके साथ ही आगरा बयाना तथा परखन–अछनेरा के बीच के रेल पुलों व गोवर्धन ड्रेन पर ओपनिंग नं० ५९६ से ६०३ को भी खतरा पैदा हो गया था।

चौमा गांव के विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल, संकेत, जूनियर हाई स्कूल, खैरा, तथा प्राइमरी स्कूल, सहर, पानी भर जाने के कारण बन्द हुये। दहगांव, सुखना, गोहटा––दसबिसवा, संचौली, बुढ़ाई व खुर्द और बुखरारो गांवों के प्राइमरी स्कूलों की इमारतें भी पानी से घिर गई।

जिला अधिकारियों द्वारा इस दुर्घटना के होते ही मथुरा व छाता तहसीलों में सहायता कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी। कुल १३,१५५ व्यक्ति एवं १९,१३० जानवरों को नावों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। जिलाधीश मथुरा को ६१,००० रु० अहेतुक सहायता हेतु तथा १,२५,००० रु० तकावी ऋण हेतु दे दिया गया है। अब तक १,००० रु० नक्द एवं ९,००० रु० की दैनिक आवश्यकता की सामग्री अहेतुक सहायता के रूप में वितरित की जा चुकी है तथा २०,००० रु० की धनराशि का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही गृह निर्माण सहायता हेतु ३०,००० रु० तथा तकावी ऋण हेतु ९५,००० रु० का वितरण किया जा रहा है। प्रभावित व्यक्तियों को उनकी मांग पर सीमेंट व टीन भी उपलब्ध कराने का प्रबन्ध किया जा रहा है। जिलाधिकारी की मांग के अनुसार २० मैट्रिक टन आटा प्रभावित क्षेत्रों में वितरण हेतु दे दिया गया है।

आगरा–– सर्वश्री उग्रसेन एवं छत्रपति अम्बेश आदि के नोटिसों के सन्दर्भ में।

मथुरा जिले से गोवर्धन ड्रेन का पानी आगरा जिले में आने से किराउली तहसील के ३२ ग्राम तथा अछनेरा कस्बा और आगरा तहसील के ७ ग्राम प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त किराउली तहसील के ५१ अन्य ग्राम राजस्थान के खंडुआ और कोहनी बांधों के टूटने के कारण जलप्लावन से प्रभावित हुए। जिले के ४७,००० एकड़ प्रभावित क्षेत्र में जिसमें २०,६०० एकड़ कृषि क्षेत्र है, पर असर पड़ने से ४५,००० व्यक्ति प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त २,९०० मकानों को भी क्षति पहुंची। मानव जीवन की हानि नहीं हुई पर १० पशुओं की मृत्यु हुई।

आगरा से किराउली एवं जगनेर को जाने वाली सड़कों पर पानी जमा होने के कारण यातायात स्थगित हो गया पर अब आवागमन प्रारम्भ हो चुका है। आगरा व किराउली के बीच ग्राम महुअर के समीप रेल पुल के टूटने से रेल यातायात रुक गया था। रेल अधिकारियों द्वारा यातायात चालू करने की सक्रिय कार्यवाही की जा रही है।

जिले में सहायता एवं जीवन रक्षा कार्य यथा शक्ति किये गये। जिलाधीश आगरा को अहेतुक सहायता हेतु ८०,००० रु० दिये जा चुके हैं और १,७५,००० रु० तकावी वितरण हेतु रख दिया गया है। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का भी वितरण किया गया और रक्षा कार्य हेतु नावें प्रयुक्त की गईं। गृह-निर्माण सहायता, गृह-निर्माण सामग्री व तकावी ऋण के वितरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

हमीरपुर--- सर्वश्री शिवनाथ सिंह, गिरजा प्रसाद एवं चौ० रतीपाल के नोटिस के संदर्भ में।

इस माह की ७ से ९ तारीख की अवधि में जिले की सब तहसीलों में १४०.२७ मिलीमीटर से २८२ मिलीमीटर तक वर्षा हुई। तहसील हमीरपुर में भी काफी पानी बरसा जिसके फलस्वरूप ग्राम सुमेरपुर एवं कोरारा के समीप बहने वाले नालों में बाढ़ आ गई। इस बाढ़ से ४१ ग्रामों के १,१२० परिवार प्रभावित हुए। पानी का स्तर १० सितम्बर को ही कम हो गया था। अतः फसलों को कोई हानि नहीं हुई। प्रभावित ग्रामों में ३,४५६ मकानों को क्षति पहुंची। १३५ पशुओं की मृत्यु हुई तथा बढ़े हुये नालों को पार करते हुये एक व्यक्ति की भी मृत्यु हुई।

बेटवा घाट से महोबा व रथ को जाने वाली सड़कों पर पानी जमा होने के कारण रुका यातायात १२ तारीख से पुनः चालू हो गया है। सुमेरपुर ग्राम के समीप के रेल पुल की पटरियों के नीचे की मिट्टी बहने के कारण रुका हुआ रेल का यातायात भी १३ तारीख से चालू हो गया है। भरवा-सुमेरपुर स्टेशन के पास का पानी भी हट गया है।

जिला प्रशासन द्वारा रक्षा कार्यवाही बाढ़ की स्थिति के होते ही प्रारम्भ कर दी गई थी तथा प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। जिलाधीश हमीरपुर को १५,००० रु० अहेतुक सहायता हेतु दिया जा चुका है तथा आयुक्त झांसी मंडल को आदेश दे दिये गये हैं कि आवश्यकतानुसर जिलाधीश को २५,००० रु० और दे दिया जावे। तकावी ऋण के लिये भी ५०,००० रु० उपलब्ध हैं। जिले में उपलब्ध ५० टन आटे का उपयोग सहायता हेतु किया जा रहा है। अधिक प्रभावित ग्राम सुमेरपुर एवं कोरारा में क्रमशः ४० एवं २० बोरी आटा दिया गया। अन्य सभी क्षेत्रों में भी सहायता कार्य किये गये। गृह निर्माण सहायता व तकावी का वितरण किये जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। गृह निर्माण सामग्री जैसे टीन, सीमेंट आदि भी प्रभावित व्यक्तियों द्वारा मांगे जाने पर समुचित मात्रा में दिये जायेंगे।

कानपुर--- सर्वश्री शिवनाथ सिंह गिरजा प्रसाद एवं चौ० रतीपाल के नोटिस के सन्दर्भ में।

इस माह की ८ से १० तारीख की अवधि में जिले के विभिन्न तहसीलों में १०७.२ मिलीमीटर से लेकर ३५९.९२ मिलीमीटर तक वर्षा हुई जिसके कारण तहसील अकबरपुर, घाटमपुर, डेरापुर एवं भोगनीपुर के क्षेत्रों में जलप्लावन की स्थिति हो गई। तहसील भोगनीपुर में वर्षा का अधिक प्रभाव पड़ा। यहां पर यह बता देना आवश्यक है कि नोटिस में उल्लिखित तहसील भोगनीपुर चारों ग्रामों पर तथा तहसील घाटमपुर के ६ ग्रामों में से केवलग्राम कोरिया पर ही जलप्लावन का असर पड़ा था। जिले के कुल १९८ ग्रामों की ९३,५१४ एकड़ भूमि, प्रभावित हुई (तहसील भोगनीपुर की कृषि भूमि के क्षेत्रफल के आंकड़े जो अभी एकत्र किये जा रहे हैं, सम्मिलित नहीं है।) इस क्षेत्र के ३,३४० मकानों को भी क्षति पहुंची। इस बाढ़ के कारण २ मनुष्यों व २३ पशुओं की मृत्यु हो गई।

वर्षा के पानी के जमाव के कारण पुखरायां--घाटमपुर तथा कानपुर--भोगनीपुर सड़कों पर स्थगित हुआ यातायात ११ सितम्बर से पुनः चालू हो गया है। रेल यातायात स्थगित नहीं हुआ था।

वर्षा के जमा पानी के निकास के लिये नालियों आदि को गहरा किया गया तथा नई नालियां भी खोदी गयीं। विभिन्न तहसीलों में स्थानीय आवश्यकतानुसार सहायता कार्य तुरन्त ही प्रारम्भ कर दिये गये थे। कानपुर जिले में ३०,००० रु० अहेतुक सहायता हेतु तथा २६,८८० रु० तकावी के लिये दे दिया गया है। अब तक समुचित मात्रा में दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे ३१ बोरा चना, १ १/२ बोरा नमक, २५ टिन मिट्टी का तेल तथा दियासलाईयों का वितरण किया

[श्री रामकुमार शास्त्री]

जा चुका है तथा तकावी ऋण, अहेतुक सहायता, गृह निर्माण सहायता आदि का वितरण किया जा रहा है। गृह निर्माण व मरम्मत हेतु सीमेंट की ८२२ बोरियों के परमिट दिये जा चुके हैं। भविष्य में आने वाली टीन व सीमेन्ट की मांग की भी पूर्ति भरसक की जायगी।

देवरिया--
सर्वश्री चन्द्रबली सिंह, बांके लाल, उग्रसेन, शिवचरन लाल एवं लखी सिंह के नोटिस के संदर्भ में।

इस वर्ष मानसून से राप्ती नदी तथा इसकी सहायक नदियों गुर्रा व बथुवा एवं घाघरा का स्तर २ सितम्बर, १९६५ को एकाएक बढ़ गया और पानी नदी के पेटे से बाहर होकर निकट के ग्रामों के खेतों में फैल गया। यह बाढ़ ४ सितम्बर, १९६४ को उतरने लगी थी और अब पूरे तौर से उतर चुकी है। इस बाढ़ से बहुत ही निचले क्षेत्र में बोई गई अरहर की फसल के अलावा खरीफ की अन्य किसी फासल को कोई हानि नहीं हुई।

राप्ती एवं घाघरा नदियों की बाढ़ से कुल ७३ ग्राम प्रभावित हुए। ६१ गांव के कुछ भाग तथा १२ गांव का अधिकांश भाग प्रभावित हुआ। इनका क्षेत्रफल क्रमशः ५,५८० तथा ३,००० एकड़ था। इस बाढ़ से अरहर की फसल को क्षति पहुंची है परन्तु खड़ी हुई अन्य खरीफ की फसलों के लिये यह लाभदायक ही रही है। मानव जीवन एवं पशु धन को कोई हानि नहीं हुई है। चारे का अभाव नहीं है।

सहायता कार्यों व संचार साधनों के लिये ४९ नावें प्रयुक्त की गयीं। आपदा पीड़ितों को अहेतुक व गृह--निर्माण सहायता दिये जाने के लिये ४०,००० रु० तथा अन्य कार्यों हेतु २०,००० रु० की राशि जिलाधिकारी को अब तक दी जा चुकी है। तकावी वितरण के लिये भी २,२५,००० रु० की धनराशि जिलाधिकारी को मिल चुकी है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि वर्षा एवं बाढ़ के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसका सामना करने के लिये शासन द्वारा यथाशक्ति प्रबन्ध किया गया। जो व्यक्ति इन आपदाओं के कारण प्रभावित हुये उनको हर संभव सहायता समय से दी गई तथा नियमानुसार अन्य सहायता भी प्रदान करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

कतिपय विषय

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, माननीया मुख्य मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि जार्डन के प्रस्ताव पर सिक्योरिटी कौसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि बुधवार की रात के साढे १२ बजे तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो जाय, क्या यह बात सही है?

श्री अध्यक्ष--

अगर इस संबंध में माननीया मुख्य मंत्री को कुछ कहना होगा तो कह देंगी। ऐसे इसकी जानकारी तो दिल्ली से ही हो सकती है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, इस समय इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। इस सदन के कुछ माननीय सदस्य वक्त बे वक्त इस तरह की कुछ न कुछ बातें कहते रहते हैं ताकि वे अपनी प्रामिनेंस दिखला सकें।

श्री नेकराम शर्मा--

आप को चोट क्यों लगती है?

वर्षा एवं बाढ़ के कारण प्रदेश के कुछ जिलों में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य--(क्रमागत)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, अभी मैं मथुरा जिले की मथुरा तथा खास तौर से छाता तहसील का दौरा करके आ रहा हूं। माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट है कि वहां बाढ़ से ५६ हजार लोग प्रभावित हुए हैं जब कि हमारी रिपोर्ट इससे ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की है। सरकार ने मथुरा के जिलाधीश को उनके लिये अहेतुक सहायता के लिये ६१,००० रु० की रकम दी है। मेरी समझ में नहीं आता कि ६१,००० रु० की वह रकम ५६ हजार प्रभावित लोगों में किस हिसाब से बांटी जायगी? दूसरी बात यह है कि इतनी रकम वहां के लिये बहुत ही कम है।

श्री अध्यक्ष---

आपका प्रश्न यह है कि जो क्षति हुई है और जितने लोग उससे प्रभावित हुए हैं उस दृष्टि से सरकार ने जो अहेतुक सहायता दी है या दे रही है वह बहुत ही कम है।

श्री रामकुमार शास्त्री---

प्रभावित होने का मतलब यह कदापि नहीं है कि उनकी स्थिति ऐसी है कि सबको सहायता दी ही जाय। उनमें कुछ ऐसे हैं जिनका आंशिक रूप से या कुछ नुकसान हुआ है तो यह जरूरी नहीं है कि उनको भी सहायता दी जाय। जो रकम दी गयी है, यदि वह पर्याप्त नहीं है, तो इस पर ध्यान दिया जायगा। श्रीमन्, यह इस साल का ही सवाल नहीं है, पिछले वर्ष भी जब ८ पश्चिमी जिले जलप्लावित हो गये थे जिनमें एक मथुरा भी था मैं स्वयं निरीक्षण करने गया था। उसकी शक्ल सागर की तरह हो गयी थी। ड्रेन गोवर्द्धन भी जलप्लावित हो गया था और अब की बार दो तीन चार हफ्ते तक यह स्थिति रहेगी। जहां तक रुपये की सहायता का सवाल है, कमिश्नर आगरा के पास काफी धन है, और जहां सहायता देना बहुत आवश्यक है, वहां शासन यथासम्भव सहायता देने के लिये तैयार है।

श्री राधेश्याम शर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना को सही मान कर कि मथुरा के १३४ गांव में प्रलय हो गयी है और वहां जनसंख्या बिलकुल समाप्त हो गयी है, उस क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित करेंगे?

श्री रामकुमार शास्त्री---

अकालग्रस्त घोषित करने से तो वह समस्या हल नहीं हो जायेगी, लेकिन जहां पर भी ऐसी विपत्ति आयी है वहां के बारे में हम जांच कर रहे हैं और यथाशक्ति सहायता दी जायेगी।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

यह जो सरकारी रिपोर्ट है जिसमें छाता तहसील के १११ गांव तथा मथुरा में १२२ गांव प्रभावित बताये हैं यह गलत है। हमारे हिसाब से इससे दुगने गांव प्रभावित हुए हैं। तो क्या सरकार मेरी सूचना को सही मान कर फिर से रिपोर्ट मंगायेगी? और क्या जिन गांव में खरीफ की फसल बिलकुल नष्ट हो गयी है और रबी की फसल बोने की संभावना बिलकुल नहीं है, वहां पूरा लगान माफ करेगी?

श्री रामकुमार शास्त्री--

अभी जो जांच हो रही है उसके बाद हम देखेंगे कि कहां की कैसी स्थिति है, कितनी सहायता दी जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच के लिये कोई तकनीकी जांच समिति नियुक्त करेंगे कि कहीं नहर की खराबी के कारण तो यह बांध नहीं टूटा है?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)--

यह जो गोवर्धन बांध है इसकी क्षमता ढ़ाई हज़ार क्यूसेक पानी तक की थी, मगर मथुरा में जो पानी बरसा तथा राजस्थान से जो पानी आया वह करीब साढ़े १० हज़ार क्यूसेक का था। तो यह स्पष्ट है कि ऐसी बाते सामने आती। ऐसी बरबादी होना तो नैचुरल बात थी।

श्री क्षत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि आगरा जिले की किरावली तहसील में कितने एकड़ भूमि प्रभावित हुई और छाता तहसील में कितनी हुई तथा ग्रेचुइटी स्कीम के अन्तर्गत कितना रुपया दिया गया और मकानों के लिये कितना दिया गया?

श्री रामकुमार शास्त्री--

अभी जो बयान दिया है उसमें उसके आंकड़े दिये हैं।

श्री क्षत्रपति अम्बेश--

मैंने पूछा था कि कितने एकड़ भूमि प्रभावित हुई तथा मकान बनाने के लिये कितना रुपया दिया गया है?

श्री रामकुमार शास्त्री--

अध्यक्ष महोदय, एक लम्प सम जिलाधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि वहां की स्थिति को वे जानते हैं। इसके अलावा आगरा कमिश्नरी में जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति शासन से हो जावेगी।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)--

कानपुर जिले में और विशेषकर पुखरायां क्षेत्र में नावें चली थीं और वहां हजारों मन गल्ला सड़ गया। उसी कस्बे के अन्दर सैकड़ों मकानात गिरे। तो क्या सरकार उसी के अनुपात में कुछ थोड़ी सी सहायता देने की कृपा करेगी?

श्री रामकुमार शास्त्री--

कानपुर जिले की भोगिनीपुर तहसील वरर्ट-अफैक्टैड तहसील है और उसके लिये जितनी व्यवस्था हो सकती थी उसको इस बयान में बता दिया गया है। अगर और भी कोई अंश बाकी रह गया होगा तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

क्या यह सही है कि गोवर्धन ड्रेन, जो उत्तर प्रदेश की सीमा में तैयार बताई गई है और राजस्थान की सीमा में नहीं बनी है, उत्तर प्रदेश की सीमा में पहिले भाग में गहरी है और पिछले हिस्से में उथली है।

श्री रामकुमार शास्त्री--

ऐसी कोई बात नहीं है। वह कामा लेक से निकली है। राजस्थान में वह निर्माण अपूर्ण है। हमारे यहां जो ऊंची नीची बताई गई है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, हम लोगों को तो शिकायत है। अब आप क्या जांच करायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--

पुखरायां क्षेत्र के पानी से भर जाने की सूचना जिलाधिकारियों को और सरकार को एक दिन में ६० टेलीग्राम देकर दी गई है लेकिन सरकार ने उसकी कोई व्यवस्था नहीं की, बल्कि तहसील के अधिकारी वहां जलविहार करते रहे। क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कारण है कि सरकार ने इतना होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

इसकी जानकारी तो मुझे है नहीं है, लेकिन जिलाधिकारी कानपुर के काफी कोशिश कर रहे हैं। जलविहार की जानकारी वहां के रहने वाले माननीय सदस्यों को होगी, मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, अभी बताया गया कि उसमें टैक्नीकल डिफैक्ट नहीं है। मैंने गोवर्धन ड्रेन को जाकर खुद देखा, वहां का दौरा किया है। यहां चीफ इंजीनियर भी बैठे हुये हैं। एक जगह मैं बताना चाहता हूं, वहां फतेहपुर सीकरी का रजबहा निकलता है, और वहां साईफन बना हुआ है, वहां पर पानी का लैविल दो फुट था। एक दूसरी जगह पर पानी का लेविल ६ फुट था। तो मैं जानना चाहता हूं कि ड्रेन के एक जगह गहरे और दूसरी जगह उथले होने की क्या बात थी ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

अध्यक्ष महोदय, गोवर्धन ड्रेन को मैंने भी देखा है। इतनी जानकारी मुझे नहीं है वे तो वहां के रहने वाले ही जानते हैं। बहाव की वजह से वहां पर की मिट्टी ऊपर नीचे हो गई हो यह हो सकता है लेकिन उसमें डिफेक्ट की जानकारी मुझे नहीं है।

श्री छत्रपति अम्बेश--

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि वहां के मनुष्यों की स्मृति में आता है, उनकी स्मृति के अन्तर्गत ऐसा कभी पानी नहीं आया। क्या इन परिस्थितियों को देखकर वहां माननीय मंत्री जी गये और इस अभूतपूर्व घटना को उन्होंने देखा ? यदि नहीं देखा तो क्या कारण है ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--

हमारे चीफ इंजीनियर वहां पर गये और मेरा भी वहां जाने का इरादा था लेकिन गवर्नर साहब दिल्ली में थे उन्होंने वहां जाने की ख्वाहिश की कि वे वहां जाना चाहते हैं। एक ही स्थान पर गवर्नर भी जायं और मिनिस्टर भी जायं, इसलिये मैं वहां नहीं गया।

गोवर्धन ड्रेन का जहां तक संबंध है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, वह टैक्निकली साउन्ड है और गोवर्धन ड्रेन बनी थी १८४० क्यूजेक पानी निकालने के लिए और जब उस पर आठ हजार क्यूजेक पानी आया है तो नेचुरली पानी ओवरफ्लो करेगा। यह जरूर है कि गोवर्धन ड्रेन कहीं कहीं नीची पड़ गई है और लोगों ने काट कर बाहर का पानी उसमें डाल दिया है, लेकिन आज स्थिति यह है कि गोवर्धन ड्रेन से पानी निकलने लगा है और जो बाहर से पानी आ रहा था उसको ब्लाक भी

[श्री शांति प्रपन्न शर्मा]

करा दिया और ऐसा खयाल किया जाता है कि मथुरा जिले का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें से आधा पानी निकल गया है। जहां तक हमारा संबंध है हम रोज टेलीफोन से और तार से वहां की खबर मंगा रहे हैं और उसके लिए जागरुक हैं।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

अभी-अभी मंत्री जी ने कहा कि २,२०० क्यूजेक भर के लिए वह ड्रेन बनाई गई है और यह कहा कि दस इंच पानी एक दम बरस गया तो क्या यह पहला मौका है जब मथुरा जिले में दस इंच पानी गिरा और जिसके कारण, ड्रेन बनाते समय सिर्फ यह २,२०० क्यूजेक की निकासी के लिए ड्रेन बनाई गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने ३१ इंच कहा। ३१ इंच एक सप्ताह में वहां कभी बारिश नहीं हुई थी। राजस्थान में भी इस साल ऐसा ही हुआ तो यह ऐसी चीज थी जो कि असाधारण घटनायें हैं।

श्री उग्रसेन—

माननीय मंत्री जी को तो कोई जानकारी है नहीं, यह पहले मान लिया जाय। राममूर्ति जी ने कहा कि ढाई हजार तक बहाव है और दस हजार आ जाय तो कैसे निकलेगा तो यह तो नहर बनाते वक्त देख लिया जाता है, १०० वर्ष का इतिहास देखकर तब नहर बनाई जाती है। यह बात हम भी जानते हैं कि नहर उत्तर प्रदेश में नीची है और आगे जाकर ऊपर चढ़ गई है। पता नहीं माननीय हमारे मित्र शर्मा जी विज्ञान पढ़े हैं या नहीं क्योंकि पानी का यह स्वभाव है कि वह अपने नीचे की ओर बहता है और अपनी सतह खोजता है हम भी विज्ञान तो नहीं पढे हैं, लेकिन यह वैसे ही पढ़ा है। तो उस स्वभाव को देखते हुए कि पानी सतह खोजने की कोशिश पानी करता है और हम यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वहां नहर नीची है और आगे जाकर ऊपर बन गई है तो इसकी तकनीकी जांच कराने में मंत्री जी को क्या दिक्कत है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जांच तो करा लेंगे, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री उग्रसेन—

व्यवस्था का प्रश्न है, हमें इसी पर एतराज है कि आवश्यकता नहीं है, मैं कहता हूं कि आवश्यकता है और नहीं तो हम आप दोनों चलें।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने तो कहा कि जांच करा लेंगे, लेकिन आवश्यकता नहीं मालूम होती।

श्री छत्रपति अम्बेश—

मैं तो बड़ी परेशानी में हूं। दफा ५२ का प्रश्न मेरा था और मैं समझता था कि माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य में पूरी सूचना दे देंगे। लेकिन उन्होंने कह दिया कि कमिश्नर चूंकि आगरे के हैं और आगरा कमिश्नरी के अन्तर्गत वह आता है, उनको हमने दे दिया है, तो यह बात जरा कुछ अच्छी नहीं मालूम होती। मैं फिर एक प्रश्न करना चाहता हूं कि मैन्युअल में केवल ५० रुपये मकान के लिए देने की व्यवस्था है, तो क्या इस भयंकर स्थिति को देखते हुए माननीय मंत्री जी अपने इस मैन्युअल में कोई परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं या नहीं दूसरी बात यह है कि मेरे पास कल तक की रिपोर्ट यह है कि एक भी मकान बनाने के लिए कल तारीख

१९ तक एक रुपया भी आगरा के अन्दर नहीं दिया गया है। तो क्या माननीय मंत्री जी उस रुपये को बढ़ाने के साथ-साथ उसे बंटवाने की भी व्यवस्था करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

अभी सितम्बर के पहले सप्ताह में वर्षा हुई और अभी मकान के इर्दगिर्द में पानी है। जैसा आपने फरमाया वह रुपया तो है ही, लेकिन उसको देखभाल करके ही तो दिया जायगा, आखिरकार उसके कुछ नियम बने हुये हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो होता है वहां के भग्नावशेष को देखकर कि कितने मकान आधे गिरे हैं कितने पूरे गिरे ह, यह सब देखकर ही तो दे सकते हैं। तो अभी तक यह काम पूरा नहीं हुआ है, और काम जारी है। अगर कोई सुझाव माननीय सदस्य देंगे कि मकान नहीं बने हैं तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री लखीसिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री पिछले साल की बात करते हैं। जरूर राजस्व मंत्री वहां गये, वहां की हालत देखी, छाता तहसील की और नन्दगाव बरसाना भी गये। लगातार दस साल से यह हालत हो रही है, एक साल से नहीं। पानी आता है और फिर बाढ़ के अलावा गर्की हो जाती है तो वहां कोई फसल नहीं होती। वहां के गांवों के किसान बिलकुल एक खानाबदोश के रूप में हो गये हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि नाला पैठनकला, संकेत और गिरों जिनमें से पैठनकला के लिये माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि यह नाला गोवर्धन ड्रेन के साथ खोदा जायगा, लेकिन इनके इंजीनियर्स ने वह खुदवाया नहीं और हमने जाकर देखा, गवर्नर तो मथुरा के बंगले में रहते हैं, माननीय मंत्री जी मथुरा के बंगले में रहते हैं लेकिन हमने खुद जाकर देखा है, नाले का पता नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी वहां के किसानों को जिन्दा रखने के लिए इन नालों को खुदवाने की कृपा करगे या नहीं ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

अध्यक्ष महोदय, जिन नालों का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं अगर लिखकर दे देंगे तो उन पर विचार किया जायगा। पिछले वर्ष जहां जलप्लावन था कई जगहों पर इंजीनियरों की सहायता से पानी की निकासी के वास्ते छोटे-छोटे नाले बना दिये गये थे। इस वर्ष भी अगर कोई ऐसी बात है तो उनके लिखने पर उस पर विचार किया जायगा और उसकी व्यवस्था की जायगी।

श्री कन्हैयालाल--

रिपोर्ट में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि जो कामा लेक का पानी गोवर्धन ड्रेन से होकर पास किया जा रहा है उसके निकलने में पांच छः हफ्ते लग जायेंगे और साथ ही यह भी कहा था कि गोवर्धन ड्रेन के किनारों के टूटने की वजह से पानी गांवों में भर गया इस संबंध में मुझे तो यह रिपोर्ट मिली है कि जो पानी कामा लेक से निकाला गया था उसकी वजह से किनारों पर पानी की लेविल फिर बढ़ गया, तो क्या माननीय मंत्री जी कामा लक का पानी छोड़ने से पहले गोवर्धन ड्रेन के किनारों को बंधवाने की कृपा करें गे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

काफी किनारों की मरम्मत कर दी गई है और कामा लेक से जो पानी छोड़ा जा रहा है वह इतना छोड़ा जा रहा है कि जिससे गांवों का भी पानी निकल सके और कामा लेक का भी पानी निकल सके। आखिर उसमें ज्यादा पानी रहता है तो वह आपके यहां ही आयेगा। इसलिये प्रयास किया जा रहा है कि कुछ पानी वहां से निकल और कुछ आपके यहां से भी

[श्री शांतिप्रपन्न शर्मा]

निकले। आपको जानकर खुशी होगी कि कामा लेक का पानी भी आठ इंच नीचे हो गया है और ऐसी कोई हालत अब वहां नहीं है।

श्री चन्द्रबली सिंह—

आपने कहा कि ३०० एकड़ जमीन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है और जानकारी करायी गई कि न सिर्फ अरहर की बल्कि सावां कोदों वगैरह की फसल भी पानी के नीचे चली गई और वह बरबाद हो गई, तो इसके कारण अरहर की फसल के बिलकुल मिट जाने से चना और मटर के बीज की जो बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ेगी उसकी व्यवस्था क्या आप करेंगे?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जो अब की बाढ़ आयी है उससे नीचे वाले हिस्से में अरहर की फसल को क्षति पहुंची है। जो खरीफ की फसल खड़ी थी उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। (व्यवधान) ब्यौरा लिखकर देंगे तो जांच करायेंगे।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि अहेतुक सहायता वितरित की गई है और दस दस पंद्रह-पंद्रह रुपये करके अधिकांश परिवारों को सहायता दी गई है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि अभावग्रस्त इलाके में सामूहिक भोजनालय सरकार की तरफ से कायम किये जायं जहां जो बाकई पीड़ित हैं वह जाकर खाना खायं?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अध्यक्ष महोदय, पूर्वी अंचल में अक्सर ही बाढ़ आया करती है, अब तक तो ऐसी कोई परम्परा नजर नहीं आती। जो कुछ भी सहायता के रूप में संभव हो रहा है वह किया जा रहा है।

श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

आगरा जिला और मथुरा जिले में जो क्षति हुई है उसके लिये सरकार ने जो सहयता दी है, उसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है, लेकिन साथ ही साथ जो इसमें देवरिया जिले का नाम जोड़ दिया गया है वह गलत है। देवरिया में घाघरा और राप्ती में इस साल बाढ़ नहीं आयी। इसके बावजूद भी सरकारी अधिकारियों ने ३ लाख रुपये की सहायता दी है। बलिया जिला भी देवरिया जिले की सीमा पर है और मैं भी नदी के किनारे का ही रहने वाला हूं। सरकारी अधिकारियों ने सरकार की आंखों में धूल झोंक कर लोगों को रुपया दिया है मैं चाहूंगा कि इसकी जांच करायी जाय और जिन अधिकारियों ने सरकार को धोखा दिया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह आप दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रिगण अधिकारियों की रिपोर्ट पर वक्तव्य दे दिया करते हैं, यह परम्परा चली आ रही है। सरकार अपने अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं रख पा रही है। बावजूद इसके कि आपने यह भी कहा कि लीडर आफ दि अपोजीशन से मिल कर कोई तरीका निकाला जाय, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं निकल पायी। आज उसका फिर स्पष्ट प्रमाण मिल गया। आप कोई रास्ता निकालें जिससे सरकार सही-सही उत्तर सदन को दे सके।

वर्षा एवं बाढ़ के कारण प्रदेश के कुछ जिलों में उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम ५२ के ६४७ अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अच्छा अच्छा ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

अब की बार गोवर्धन क्षेत्र में वर्षा के सारे रिकार्ड टूट गये । मैंने भी देखा और पुरान लोगों से भी पता चला । क्या माननीय मंत्री जी इससे सबक लेकर गोवर्द्धन ड्रेन सही-सही बना कर वहां की जनता के कष्ट को सदा के लिये दूर करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह संभव नहीं है कि ईश्वर से कह दिया जाय कि इतना पानी न बरसाया जाय । इस ड्रेन को पुनः बनाने में काफी रुपया लगेगा । अगर माननीय सदस्य ४–५ करोड़ रुपया जमा करवा दें तब तो ड्रेन बनवाने का प्रयास हो सकता है वरना मुश्किल ही मालूम पड़ता है ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

नारायणी की बाढ़ और छितौनी बांध के टूटने की चर्चा तो सभी ने सुनी होगी लेकिन फिर भी जगन्नाथ चौधरी कहते हैं कि अधिकारियों ने झूठी रिपोर्ट दे दी, यह कहां तक उचित है ?

श्री उग्रसेन—

अगर बाढ़ न आयी हो तो मैं इस्तीफा दे दूं । हम चौधरी जी की इस बात का प्रतिवाद करते हैं ।

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मैं भी देवरिया जिले के पास का रहने वाला हूं और देवरिया का काश्तकार हूं । इस तरह गलत प्रचार करके नाजायज फायदा उठाया जाता है । घाघरा बलिया जिले में भी होकर जाती है । सरकार बताये कि उससे बलिया में कितना नुकसान हुआ है ?

श्री चन्द्रदेव—

देवरिया में बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बड़ी और छोटी गंडक दोनों से नुसकान हुआ है ।

श्री जगन्नाथ चौधरी—

हां बहुत अधिक जनता का नुकसान हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । (व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा—

मंत्री जी इस ४–५ करोड़ की बात को स्पष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष—

अब यह विषय समाप्त हुआ, आप बैठ जायं ।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिये गये धन आदि के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

यह २-३ सूचनाएं मेरे पास आई हैं। एक श्री ब्रह्मदत्त मायर की सूचना है कि उन्होंने ३२० बिस्तरों की चादरों की एक गांठ किसी सैनिक अस्पताल को देना निश्चित किया है और मुख्य मंत्री के आदेशानुसार जहां कहा जायगा वह उसको पहुंचा देंगे।

एक सूचना श्री सैयद जुलफिकार अली ने दी है कि उन्होंने ३०० रुपया प्रतिमास देने का तो पहले ही वचन दिया था और आज वह यह घोषणा करते हैं कि ७५ रुपया मासिक जो उन को आवास के लिये मिलता है, वह भी सुरक्षा कोष में देंगे।

श्री जगदीश नारायण सिनहा ने लिखा है कि वह जबतक संकटकालीन स्थिति रहेगी तबतक २५ रुपया मासिक सुरक्षा कोष में दिया करेंगे।

१० मार्च, १९६४ को पूछे गये श्री बांकेलाल के तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर से सम्बन्धित सरकारी आदेशों के विषय में सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---

विधान सभा के १९६४ के प्रथम सत्र के ४थे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री बांके लाल के तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर में दिनांक १० मार्च, १९६४ को सदन में सूचना दी गई थी कि पहले नलकूपों की कच्ची गूलों की मरम्मत आदि की जिम्मेदारी कृषकों पर रहती थी। परन्तु स्थिति में संशोधन करके यह आदेश जारी कर दिये गये हैं कि नलकूपों पर सरकार द्वारा बनाई गई कच्ची गूलों का रखरखाव विभाग द्वारा ही किया जाय। यह आदेश ९ मार्च, १९६४ को जारी किये गये थे और जारी करने के बाद एक कानूनी दिक्कत सामने आई कि चूंकि यह गूलें कृषकों की भूमि पर बनी हैं अतएव जब तक इस भूमि को अधिगृहीत न किया जाय, समुचित रूप से रखरखाव सम्भव नहीं है। केवल उपस्थित नलकूपों की ही कच्ची गूलों के लिये भूमि अधिगृहीत करने में लगभग एक करोड़ बीस लाख रुपये के व्यय का तखमीना है। आगे बनने वाले नलकूपों के लिये कच्ची गूलों पर भी इसी प्रकार पर्याप्त खर्च आयेगा। अतएव यह बहुत ही व्यय साध्य है। इसलिये इस मामले पर पुनः विचार करके अब यह निश्चय किया गया है कि नलकूपों की कच्ची गूलों की मरम्मत और रखरखाव कृषक पहले की भांति स्वयं करें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

क्या सरकार ने कोई प्रयत्न किया था कि यह जो गूलें बनी हैं वे सरकारी नियंत्रण में दे दें।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

यह चूंकि कानूनी चीज है, इसलिये उस को अभी वैसे का वैसा ही रखा है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या कोई ऐसा नियम....

श्री अध्यक्ष---

यह तो नीति की घोषणा थी आप बाद में प्रश्न कर सकते हैं।

विद्युत चालित कोल्हुओं और खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में नीति की उद्घोषणा

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, मैं १९६५-६६ के पेराई के मौसम के लिये विद्युत् चालित कोल्हुओं और खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित नीति की उद्घोषणा करते हुए सदन को बताना चाहता हूं। यह अध्यक्ष महोदय, बड़ा लम्बा है आप कहें तो मैं पूरा बता दूं या केवल प्वाइंट्स ही बता दूं। यह गजट में छपेंगे।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य आप बांट दीजिए ताकि सबको मिल जाय। इस वक्त तो पढ़ा हुआ समझा जायगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको आप साइक्लोस्टाइल कराकर बांट दीजिए।

(वक्तव्य के लिये देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६९७-६९८ पर)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी हमको भी एक लाइसेंस दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो सुरक्षित क्षेत्र है अगर आप उसमें लाइसेंस लेना चाहें तो उसमें आप ले लें।

(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी, उसे बंट जाने दीजिए। फिर आप प्रश्न कर सकते हैं।

कर सम्बन्धी विधेयकों के पुरःस्थापन पर आपत्ति

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, आने वाले विधेयकों के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि जब सरकार की ओर से उन विधेयकों को पुरस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी जाय तब जो बात आपको कहनी हो, कह लीजिएगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, अनुज्ञा की जब मांग हो जायगी तो उसके बाद शायद उसका उतना असर माननीय नेता सदन के ऊपर न होगा। अतः पहले हम लोगों की भावनाएं सुन लीजिए।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि हमारी भावनाओं और विचारों को सुनकर उन्हें उपस्थित ही न किया जाय। मैं कोई कानूनी आधार पर नहीं कह रहा हूं। अनुज्ञा के सम्बन्ध में मैं यहां सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आज ये ४ कर विधेयक प्रस्तुत होंगे। जब इसके पहले हम यहां से गये हम लोग इस सद्भावना से गये थे कि यहां पर यदि कोई विधेयक आयेगा तो वह विवादास्पद न हो। इन विधेयकों को २ हिस्सों में बांटा है। एक तो प्लान के मुताल्लिक है और दूसरा युद्ध के मुताल्लिक नहीं बल्कि युद्ध की स्थिति की ओर संकेत है। तो जहां तक प्लान के मुताल्लिक है हमारा उसमें मतभेद है। इस समय लड़ाई चल

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

रही है। आपकी प्लान की स्थिति क्या हो यह अभी नहीं कहा जा सकता है। केन्द्रीय सरकार तो रिफ्रेंजिग कर रही है। हो सकता है कि हमें भी पुनरावृत्ति करके रिफ्रेंजिग करना पड़े। केन्द्र में कहा गया कि हम हर विभाग में १० प्रतिशत खर्च कम करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस ओर भी क्या कोई कदम उठाया गया? है तो यह स्थिति हमारे प्लान की है। दूसरी स्थिति यह है कि उन्होंने लड़ाई की शंका करके एक बड़ी कन्ट्रोवर्सी हमारे सामने ला दी है। जहां तक इनकम पर आपातिक अधिभार विधेयक का सम्बन्ध है, इसमें मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी सचमुच लड़ाई के लिए जो कर मांगेंगे उसे हम सब हृदय से देंगे, उसमें हम किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि यहां पर इस कर को लगाने के लिए हमसे कन्सल्ट करना चाहिए था। अगर हम यह समझ पाते कि आपकी मांग का औचित्य है तो जितने भी कर की लड़ाई के लिए जरूरत होती उतना हम आपको दिलाते। क्या कारण है कि हमें कहीं नहीं पूछा गया है? अतः यदि हम इस समय हां करें तब भी गड़बड़ और न करें तो भी गड़बड़ पर हम अपने सिद्धान्त से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। अभी पता नहीं है कि आज जो लड़ाई की स्थिति है वह कल क्या हो जाय। अतः मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आज आप इनको पुरःस्थापित न करें। समय लेकर के विचार करके जरा हम लोगों को भी विश्वास में लें। न मानू बात दूसरी है, लेकिन हमको अवसर तो दें। मगर इस दिशा में एक भी पग उन्होंने नहीं उठाया। विश्वास का पहला सूत्र सरकार ने तोड़ दिया, इसका मुझे दुख है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार अभी इनको पुरःस्थापित न करे और सभी विरोधी दलों से विचार-विमर्श करके तब पुरःस्थापित करे।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

(श्री रामसुन्दर पांडेय के खड़े होने पर)

माननीय राम सुन्दर जी को मालूम है इसलिये उनको तो बोलना ही नहीं चाहिये। मैं चाहती थी पहले हमारे विचार कुछ क्लीयर हो जांय फिर मैं विरोधी दल के लोगों से बात करूं क्योंकि जो आजकल वातावरण है उसमें यह उचित ही है कि सब मिल कर काम करें। शुक्रवार और शनिवार को मैंने बुलाने की कोशिश की। शुक्रवार को केवल रामसुन्दर पांडेय जी मिले और कोई विरोधी दल का नेता नहीं मिला। फिर मैं समझती थी कि इतवार को भी रहूंगी और कोशिश करूंगी कि सब विरोधी दलों के नेता मुझे मिल जायं। इतवार को मुझे दिल्ली जाना पड़ गया। जब नयी परिस्थिति की खबर आयी चीन के हमले की, तो मैंने मुनासिब समझा कि खुद बात करके परिस्थिति समझूं। इसलिये यह दो दिन फूड पर जनरल डिस्कशन रक्खा गया ताकि ये दोनों दिन हमें समय मिलें। आज और कल के बाद सबसे बात करेंगे। यह न सोंचे कि आपसे सलाह नहीं लेना चाहते। आप अगर इससे कोई उत्तम सलाह देना चाहते हैं तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष--

जैसा मुख्य मंत्री कह रही हैं अनुज्ञा हो जाय उसके बाद आप लोग इसमें परिवर्तन कर सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--

आपकी जो बहस हो रही है वह अनुज्ञा के विरोध में भी यही होती।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, हमारा नाम लिया है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

ऐसा हुआ इत्तफाक से रामसुन्दर पांडेय जी खुद मेरे कमरे में गये तो मैंने कहा कि मैं खुद ढूंढ रही थी कि सोमवार और मंगल, दोनों दिन बैठकर के आपसे बात करूंगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैंने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री को १४ तारीख को लिखा था जब कि हमें शुबहा हो गया था कि सरकार शायद नये कर लगावे। उसमें मैंने लिखा था कि आप कोई नया कर न लगायें जब कि प्रदेश में बाढ़, सूखा और महंगाई है। इस समय सारे प्रदेश के लोग मिल जुल कर काम करें ऐसा वातावरण रहें। अगर आपको लड़ाई के लिये खर्च की जरूरत है तो सरकार के खर्चे में कमी कीजिये, अनावश्यक कार्य बन्द कीजिये और बड़े-बड़े लोगों पर कर लगाइये और यह भी लिखा कि विधेयक लाने के पहले विरोधी दल के लोगों से आप बात करें। इसका उत्तर मुख्य मंत्री ने १८ तारीख को भेजा कि आपका १४ सितम्बर का पत्र मिला। आपने जो सुझाव दिये हैं उन पर विचार करने के लिये आप मुझसे १८ को दिन के १३ बजे बातचीत कर सकते हैं। १८ तारीख को डाक्टर लोहिया आये थे मैं उनके स्वागत के लिये घर से आया। हमें कोई जानकारी नहीं थी कि माननीय मुख्य मंत्री ने १८ तारीख को बुलाया है फिर भी आने का लाभ उठा कर माननीय मुख्य मंत्री के सामने हमने एक फार्मूला रखा कि आज के जमाने में मालगुजारी भूमि भवन कर बढ़ाना नहीं चाहिये। इससे प्रदेश की गरीब जनता का मनोबल नीचे गिरेगा और यदि आप कर लगाना चाहती हैं तथा आप समाजवादी विचारधारा की हैं तो इस प्रदेश में एक हजार रु० से ऊपर की आमदनी वाले जो लोग हैं उन सब पर टैक्स लगा करके पैसा ले लीजिये। उससे आपका काम भी चल जायगा और समाजवादी विचारधारा का पोषण होगा। तो अन्त में यह निर्णय किया गया कि अन्य विरोधी दल के लोग नहीं हैं इसलिये इस बात को टालें और २० तारीख को दिल्ली से लौट कर बात करेंगे। मैं समझता था कि हमसे बात हो जाने के बाद यह बिल पेश किये जायेंगे। माननीय मंत्री के कहने के बाद हमारी राय का अब क्या मूल्य होगा जब सदन के सामने इन विधेयकों को पुरःस्थापित कर दिया जायगा और विचार करना शुरू हो जायगा ? यह सब ढकोसला है। अगर सही मानी में वें हमारी राय से प्रभावित होना चाहती हैं, हमारा विश्वास प्राप्त करना चाहती हैं तो इन विधेयकों को न लाइये और आपस में राय लेने के बाद आप से पुरःस्थापित कीजियें। ९, १० करोड़ से ज्यादा आमदनी इनसे आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। हम रास्ते बतला सकते है और नये कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रदेश में ९,१० करोड़ रुपये की आमदनी बढ़ाई जा सकती है और लोगों को परेशानी भी नहीं होगी।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिना हमारे परामर्श से सरकार ने इन विधेयकों को पुरःस्थापित करने के लिये अनुज्ञा चाही है और इस तरह उसने बड़ी अदूरदर्शिता का परिचय दिया है। आपको मालूम होगा कि जब अविश्वास का प्रस्ताव इस सरकार पर था तो मैंने कहा था कि हमको छोटे-मोटे झगड़ों को भूल कर एक दल के रूप से मिलजुल कर काम करना चाहिये और उस विचार का माननीय मुख्य मंत्री ने स्वागत किया था और समर्थन किया था। लेकिन आज जिस प्रकार से ये विधेयक लाये गये हैं उनको देखते हुए मुझे ऐसा मालम होता है कि मुख्य मंत्री ने शायद एक दल से यह मतलब समझा था कि अब केवल कांग्रेस दल ही रह गया है और कोई दूसरा दल नहीं रह गया है। हम उनसे सहयोग करना चाहते हैं इस संकट की बेला में, लेकिन अगर वह यहसमझती हैं कि हमारा अस्तित्व ही नहीं है, हमारे सहयोग के लिये पूंछताछ की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि इसमें उनको बहुत बड़ा

[श्री भानुप्रतापसिंह]

भ्रम है। उन्होंने कांग्रेस दल से पूछा, उसकी मीटिंग बुलाई लेकिन इधर बैठने वालों से कोई परामर्श नहीं किया। उनका कथन है कि वह दिल्ली चली गयीं और हम लोग नहीं मिल सके इसलिये परामर्श नहीं हो सका इस प्रकार की बात उन्होंने पहले भी कही थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तरीका ठीक नहीं है। रुक जाने से कोई बड़ी आफत आने वाली नहीं है। आपको तब समय नहीं मिला तो अब परामर्श कर लीजिए। एक बार पुरःस्थापित हो जाने के बाद इन्हें वापस लेना आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जायगा। इसलिये आज इन विधेयकों को पुरःस्थापित न कीजिये और जो वातावरण बना था इस प्रदेश में वह कायम रहे इस के लिये आज ही किसी समय शाम को बैठ कर परामर्श कीजिये, हमारे विचारों को सुनिये और उसके बाद यदि आवश्यकता हो तो कल आप उनको पुरःस्थापित कीजिये।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि जिस प्रकार से सरकार ने ये टैक्स के प्रोपोजल्स सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं मैं उन पर बहुत सख्त एतराज करता हूं और इसका खुलकर विरोध करता हूं। विरोध इसलिये करता हूं कि जो एकता बनी है उसको भंग करने का यह तरीका है इस सदन में सभी लोगों ने एक राय से यह कहा था कि जो राष्ट्रीय संकट है सबको उसका एहसास है और कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि सरकार को साधन एकट्ठे करने हैं और देश की रक्षा करनी है, लेकिन उसके तरीके क्या होंगे, किस के ऊपर भार पड़ना चाहिये इसके ऊपर मतभेद है, लोगों की अपनी-अपनी राय है। पिछली बार तमाम दलों के लोगों की मीटिंग बुलाई गयी थी, उसमें कोई संकेत नहीं किया गया था। उसके बाद माननीय मुख्य मन्त्री ने एक सर्वदलीय समिति बना दी इस राज्य के अन्दर और उसके ऊपर यह जिम्मेदारी डाल दी है कि वह यह देखे कि सुरक्षा के प्रयास में कैसे जनता का सहयोग प्राप्त किया जाय। उस बैठक में भी यह प्रस्ताव नहीं आये थे। इनमें आप देखेंगे कि स्पष्ट रूप से प्रदेश की गरीब जनता के ऊपर ही यह बोझ पड़ रहा है। और पिछले अठारह सालों में जिन्होंने सब से ज्यादा लाभ उठाया है उनके ऊपर कोई बोझ नहीं है। बिड़ला साहब ने केवल डेढ़ लाख रुपया दिया और टाटा साहब ने कुछ नहीं दिया। ऐसे लोगों के ऊपर आज कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसे प्रपोजल्स से एकता भंग होती है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री इसको वापस लें।

*श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है जो मेरे मोटिव पर क्वैश्चन किया जा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि जो दिन-रात प्रयास किये जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में बहुत-सी बातें पब्लिक के सामने रखी नहीं जा सकती हैं। लेकिन मेरी तरफ से यह इंटेंशन नहीं है कि आप लोगों को कांफीडेंस में न लूं। इसलिये अपनी तरफ से प्रयास है कि कोई कांक्रीट चीज सामने रखी जा सके। मेरा तजुर्बा टैक्सेशन के सम्बन्ध में यह है कि केवल हवाई बातें होती हैं और कोई कांक्रीट चीज नहीं होती है। इसलिये हमारा प्रयास है कि कोई कांक्रीट चीज सामने आये। मैंने बहुत प्रयास किया और मेरे पी० ए० ने भी फोन किया, लेकिन आप लोगों को नहीं पा सके। अगर पा सकते तो उसी दिन मिलते। मुझे झूंठ बोलने की आदत नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। आप लोगों को मालूम होने चाहिये कि मैं दिल्ली किस परिस्थिति में गयी जब चीन के हमले की बात आई और नोटिस सामने आया तो मुझे भागकर दिल्ली जाना पड़ा। हमारी परिस्थितियां क्या है। इसको मैं समझती हूं। इसलिये हम दिन-रात दौड़ धूप कर रहे है। इसलिये इस पर दो दिन का डिस्कशन रखा है ताकि आपको पूरा मौका मिल सके। इसके बाद आप को राय से बदल सकते है। लेकिन यदि आप लोगों को ऐतराज है तो आज मैं इसको पुरःस्थापित नहीं कर रहीं हूं, कल करूंगी। लेकिन उस दशा में दो दिन का नोटिस नहीं होगा और केवल एक दिन का नोटिस होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

मद १३ से लेकर २० तक कल के लिये स्थगित की जाती है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्, आमोद-प्रमोद वाली मद भी स्थगित हो रही है ?

श्री अध्यक्ष--

चारों हो रही हैं, क्या परेशानी है।

पाकिस्तान के आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति के संदर्भ में खाद्य स्थिति पर चर्चा

श्री अध्यक्ष--

अब पाकिस्तान के आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति के संदर्भ में खाद्य स्थिति पर खाद्य मंत्री का वक्तव्य तथा उस पर चर्चा होगी।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग एक मास पूर्व जब सदन बैठा था तो पहले पहल खाद्य समस्या पर यहां २-३ दिन तक वाद विवाद चलता रहा और उस समय सब माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन में प्रस्तुत किये थे।

(इस समय १ बज कर २४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद, पीठासीन हुये।)

इसमें कोई संदेह नहीं है कि गत वर्ष हमारा प्रदेश ही नहीं बल्कि समस्त देश बड़ी गंभीर और संकटापन्न अवस्था में खाद्यान्न की तरफ से रहा। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

सदन में बातचीत ज्यादा हो रही है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इस माननीय सदन के आदरणीय सदस्यों ने तथा यहां की जनता ने इस गंभीर परिस्थिति का बड़ी सफलतापूर्वक मुकाबला किया और भगवान की कृपा से और सब लोगों के सहयोग से इस कठिन परिस्थिति से हम लोग निकल गये थे। लेकिन जैसी कि कहावत चरितार्थ होती है कि विपत्ति कभी अकेली नहीं आती है बहुत-सी आपत्तियां आती हैं। हमारे देश में जब से स्वराज्य हुआ, देश आजाद हुआ निरन्तर एक न एक आपत्ति आती रही है और इस देश और प्रदेश के लोगों ने उसको बहुत बहादुरी के साथ झेला। गत वर्ष जब खाद्यान्न की कमी के कारण एक विषम परिस्थिति हो गयी थी उसका बड़ी सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया और जो इस वर्ष लगभग १४८ लाख टन हमारे प्रदेश में रबी की फसल की पैदावार हुई तो हमें पूर्ण आशा हो गयी थी कि अब यह संकट तो कुछ टल गया है, किन्तु सूखे की वजह से हमारे मंसूबे जो थे जो हमारी आशाएं थीं उन पर असर पड़ा। सूखा काफी दिनों तक चला।

मेरा खयाल है कि इतिहास में ऐसी बहुत कम मिसालें मिलेंगी जिसमें एक वर्ष में इतने दिन तक वर्षा न हुई हो, वर्षा ऋतु में। ताहम हमने कोशिश किया। जो कुछ हमारे पास गल्ला था उससे हम इस विषम परिस्थिति का दृढ़ता के साथ सामना कर सकें और आप लोगों के सहयोग से बहुत थोड़ी मात्रा में जो हमारे पास था, जो अभावग्रस्त जिले थे उनमें भेजा और वहां पर उसका वितरण किया। जितनी हमें आवश्यकता थी उतना नहीं था, फिर भी जो कुछ हमारे पास था हमने बांटा और उससे थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिली। यह प्रसन्नता की बात है, रबी की फसल अच्छी होने की वजह से हमारे जो बड़े-बड़े काश्तकार थे उन्होंने गत वर्ष उनके आश्रित जो भूमि हीन थे, उनको कुछ भी नहीं दे पाये थे, क्योंकि

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

उनके पास स्वयं नहीं था। इस साल चूंकि फसल अच्छी हुई तो लोग पुरानी परम्परा के अनुसार अपने आश्रितों और भूमिहीन लोगों को जो गांवों में हैं उनको देने की चेष्टा की है। इसके लिये वह हमारे बधाई के पात्र हैं। सूखे के दिनों में भूमिहीनों और खेतिहर मजदूरों के साथ जबकि उनके पास काम न होने के कारण भूख से पीड़ित होने की सम्भावना थी, पूरी हमदर्दी की। हमने भी अपने पास से भेजा।

हमारे ऊपर यह आक्षेप किया जा सकता है कि हमने रबी की फसल अच्छी होते हुये भी कम्पलसरी लेवी के तौर पर काश्तकारों से क्यों नहीं वसूल किया? हमने स्कीम तैयार की थी। हमने उस पर गम्भीरता से विचार भी किया। यह सोचा कि चूंकि तीन चार फसलें बराबर बरबाद होती चली आयी हैं और बावजूद अच्छी फसल होने के कीमतें गत वर्ष के मुकाबले में खुले बाजार में ऊंची ही थीं। अगर हम ऐसे मौके पर कम्पलसरी तरीके पर नैशनल लेवी लगा दें तो कुछ पार्टियों को यह बात पसन्द होती है मगर कुछ को नापसन्द भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे कहने पर एक निश्चित भाव पर उसको खरीदते। वह भाव मुमकिन था किसी की दृष्टि से ऊंचा होता, किसी की दृष्टि में बहुत हल्का होता और चूंकि दो तीन वर्षों से उनके पीछे मुसीबत लगी हुई थी, इसलिये हम नहीं चाहते थे कि एक दम से एक सदमा उन पर दे दें। यों तो हम लोग विचार कर चुके थे, सरकार निश्चित कर चुकी थी, सारा मंत्रिमंडल तैयार था, लेकिन इन चीजों पर पुनः विचार करने के बाद यह उचित समझा गया कि इस समय हमें बाजार में और इस तरीके से, जिससे कि किसी को यह महसूस हो कि एक बड़ा खरीदार बाजार में घुस गया है, न जायें, जिससे कि कीमतें ऊंची होती चली जायें। यदि हम खुले बाजार न रखकर सीधी खरीद किसानों से करें और पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें तो हमारे लिये सम्भव नहीं था जिससे अन्ततोगत्वा उस वक्त सोचा गया कि इस साल पहले कीमतों को जो कि बाजार की है, उन्हें स्वतः ही नीचे आने का मौका दिया जाये। हमारा अपना अनुमान यह है कि यदि यह सूखा न पड़ता तो मेरा ख्याल है कि इस समय में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हमारी कीमतें नीचे होती। किन्तु दुर्भाग्य से, और जैसा कि मैंने कहा विपत्ति अकेले नहीं आती, प्रदेश में भारी सूखा पड़ गया और जिससे कीमतें ऊंची चढ़ीं। ऐसे समय में एक दुर्भाग्य हमारे सामने और आया। पाकिस्तान ने हमारे यहां आक्रमण कर दिया, चीन भी धमकी देता चला आ रहा है। यह आपत्तियां हमने बुलाई नहीं हमारे ऊपर स्वयं ही आ रही हैं। क्योंकि किसी भी सम्मानप्रद राष्ट्र का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जब कोई देश किसी के ऊपर चढ़ता चला आये तो वह छुप नहीं सकता उसके लिये उसका मुकाबला करना ही इज्जत का रास्ता रह जाता है और ऐसी स्थिति में जब युद्ध की ज्वालाओं के दुनिया भर में फैलने का भय है उस विपत्ति में एक विपत्ति और नई जुड़ जाये तो स्थिति गम्भीर हो जाती है किन्तु उसका मुकाबला हमें बहादुरी से करना ही पड़ेगा।

यों तो हम अन्न के लिये आयात करते हैं, अन्न के लिये दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं किन्तु जितना हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिये था उतना नहीं बढ़ा और सही बात है कि उसको, और बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है और जो खराबियां हैं जो कमजोरियां हैं—जो आपकी तरफ से कही जायें उनको हम स्वीकार करते हैं, उनका मैं प्रति उत्तर देना भी उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में सुधार के लिये हमेशा कुछ न कुछ गुंजायश बनी रहती है। इसलिये मैं आपके सम्मुख कह रहा था कि उत्पादन को बढ़ाने के लिये, कितनी नई नई फसलें पैदा की जायं, तो इस पर हमें सोचना है। यदि आप कहें कि यह कदम आपने इतनी देर में उठाया तो भी मैं इस पर कहना चाहता हूं कि देर आये, लेकिन दुरुस्त आये, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जब से सुधार हो जाये अच्छा है। यह आपको स्वीकार करना चाहिये, मैं स्वीकार करता हूं, कोई खराबी हो, कोई कमी हो तो जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है, उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उन्हें मानेंगे तभी हम उनका सुधार कर सकेंगे। यह बात

सही है कि हमारे देश में अधिकतर खाद्यान्नों की तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। लोग कैश-क्राप की ओर अधिक ध्यान देते हैं, वह एक प्रलोभन की, इंसेंटिव की बात है। इसके लिये यदि कोई कहे कि खाद्यान्नों की मात्रा निर्धारित कर दी जाये कि प्रत्येक कृषक इतने क्षेत्र में, इतने प्रतिशत में वह खाद्यान्न अवश्य पैदा करें, किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि यह तो एक ऐसी चीज है, जिसके लिये कोई मेरे अकेले सोचने की बात नहीं है। इस पर तो हमें और आपको सबको मिलकर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। यह चीज सबकी राय से होनी चाहिये।

यहां पर दो चीजें हैं, इस वक्त सम्भव हो सकता है कि पी० एल० ४८० जो अमेरिका से आयात होता है। केवल ७० से लेकर एक लाख टन तक हमने इस प्रदेश में बांटा और लोगों ने लिया भी उसमें चावल भी शामिल है गेहूं की कोई बिक्री नहीं हुई हमें लेवी छोड़नी पड़ी। फिर दो तीन वर्ष पूर्व हमने २ और ३ लाख टन के करीब वितरित किया। इस साल १२ लाख टन गेहूं वितरित किया। अब पी० एल० ४८० में अमेरिका से अक्तूबर, नवम्बर या कब तय होगा निश्चित नहीं है और यह सही बात भी है कि आयात किये हुये गेहूं पर हम कब तक निर्भर करेंगे ? इसके लिये हमें एक न एक दिन सोचना पड़ेगा। हमें आत्म निर्भर ही नहीं बल्कि उससे भी आगे सरप्लस बनना पड़ेगा। क्योंकि आत्म निर्भर तो तब होता है जब हम अपनी जरूरत पूरी किसान को कर दें। यह क्रिटिसिज्म होता है कि पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में कहा गया कि हमने अपना टारगैट पूरा कर लिया और आत्म निर्भर हो गये, किन्तु हुए नहीं। बात यह थी कि जितना लक्ष्य पहली योजना में रखा था वह पूरा हो गया परन्तु पापुलेशन बढ़ गयी बहुत ज्यादा और फिर वह मार्जिनल थी। मार्जिनल इस माने में कि किसान अगर २-२ रोटी खाता है तो उसके ऊपर सरप्लस हो गया और वह टारगेट हो गया और अगर वह ज्यादा खाने लगा तो जो सरप्लस था वह घट जाता है और आत्मनिर्भरता की बात समाप्त हो गयी।

मार्केटेबिल सरप्लस क्या है ? किसान के खूब पेट भर खाने के बाद जो बचे वही मार्केटेबिल सरप्लस है। अब तक लोगों का यह खयाल था कि जो खेती करता है वह गेहूं इस्तेमाल न करे, १ रोटी का गेहूं किसान अपने लिये रख ले और बाकी जो बचे १९ रोटी का गेहूं बाजार में चला जाय तो वह मार्केटेबिल सरप्लस हो जाय और उसी का अर्थ यह लगा लिया गया कि हम आत्मनिर्भर हो गये। अब काश्तकार की हालत ज्यों ज्यों सुधरती जायगी वह गेहूं का इस्तेमाल करेगा और यह हमारे सामने आता जाता है। बावजूद इसके कि रबी की फसल गत वर्ष की अपेक्षा कई लाख टन अधिक हुई मगर मंडी में एराइवल्स कम हुये। तो इसका एक मात्र कारण यह है कि वह अच्छा खाना खाता है। मैं इसके लिये उनको दोष नहीं देता, किन्तु हमको तो अपना प्रोडक्शन इतना बढ़ाना है कि हर काश्तकार भर पेट खाने के बाद इतना उसके पास बचे कि वह मार्केटेबिल सरप्लस हो जाय इसके लिये हमें प्रयत्नशील होना चाहिये। यद्यपि प्रोडक्शन से हमारा सम्बन्ध नहीं है किन्तु सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी के नाते मैं भी उतना ही उत्पादन के लिये जिम्मेदार हूं जितना कृषि मंत्री जी और हम इसके लिये प्रयत्नशील हैं। हम इस बात को देख रहे हैं कि कैसे हमारा उत्पादन और ज्यादा बढ़ सकता है। सन् ६० में जिस वक्त सूखा पड़ा था मैंने बाराबंकी, फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, गाजीपुर, बलिया, देवरिया आदि जिलों में कार से दौरा किया था और यह कहा था कि इतने विस्तृत क्षेत्र में ट्यूबवेल फैलाने से बेहतर तो यह है कि हम एक जिले को मेसनरी वेल्स से सेचुरेट कर दें। यह सुझाव मैंने मंत्रिमंडल में दिया था। उस वक्त सोचा गया कि यह तो गोईंग बैक हो जायगा और ठीक नहीं होगा क्योंकि ट्यूबवेल्स ज्यादा बन चुके हैं मगर इस साल में वही चीज करनी पड़ी। तो अपनी गलतियों से सीख कर अगर हम काम करते हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। इसे गलती नहीं भी कहा जा सकता क्योंकि कोई आधुनिक चीजों को पसन्द करते हैं और कोई पुरानी चीजों को पसन्द करते हैं। वे कार्ट एज को छोड़ कर आगे बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों में कौन सही है और कौन गलत है। इसका निर्णय

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

करने में बहुत सोचने और समझने की बात है। यह बात निश्चित है कि बैलगाड़ी से काम न लकर यदि ट्रक से काम लिया जाय तो उससे काम जल्दी हो सकता है, लेकिन बैलगाड़ी को हटाने से भी कितनी बेकारी होती है। कोई आदमी चान्द तक उड़ने की बात करते हैं और कोई उस जमाने की बात करते हैं जो बहुत पुराना जमाना था, लेकिन देखने की बात यह है कि हमारा देश प्रजातंत्र का देश है। सब की सुनते हैं और सब को कहने का मौका देते हैं। तो इसको गलती नहीं कहा जा सकता है।

मैं यह कह रहा था कि हमारा मारकेट सरप्लस नहीं है। उत्पादन को हम कोशिश कर रहे हैं। लोगों के बहुत से खयाल हैं। कुछ का खयाल है कि पापुलेशन को जब तक रोका नहीं जायगा तो यह समस्या हल नहीं होगी। लोगों का खयाल है कि सन् ७५ या ७७ तक अधिक जन संख्या होने पर हम भूखों मर जायंगे। जब हम गांवों में फैमिली प्लानिंग के लिये भेजते हैं तो उसके लिये भी हम सुनते हैं कि फैमिली प्लानिंग बन्द करने की बात लोग कहते हैं। जो कहते हैं कि यह गलत काम है उसको भी हम सुनते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है। मेरा यह निवेदन है कि आज के दिन अपने पैरों पर खड़े हुये बगैर हम इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते हैं। यों तो राजस्थान वालों में हर परिवार में एक मन के हिसाब से उन्होंने देने की बात स्वीकार की है। यह अखबारों में माननीय सदस्यों ने भी देखा होगा। तो अपने प्रदेश में जो हमारी नीति है उसमें यह बात कही जा सकती है कि वह उचित है या अनुचित है। दोनो तरह के विचार लोगों के हो सकते हैं। आप एक चीज को अनुचित समझ सकते हैं जो हमारे लिये संभवतः दृढ़ता की बात मानी जाय। इसलिये जो भी बात कही जाय उसको सुनना हमारा फर्ज है। मगर इन बातों से काम चलने वाला नहीं है क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं.....

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---

आपने एक चीज रखी और फिर यह कहा कि इससे काम चलने वाला नहीं है। आप कोई सुझाव रखिये कि क्या किया जाय।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं यह कह रहा था कि यद्यपि ये चीजें ज्यादा काम नहीं आतीं, लेकिन फिर भी प्रतीक होती हैं। उनका अपना मूल्य होता है। उनका भी अपना महत्व होता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

जो बात आप कह रहे हैं उससे कुछ निष्कर्ष निकल नहीं रहा है। शायद आप यह समझ रहे हैं कि यह नियम ५० पर विवाद चल रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह बिलकुल लास्ट आइटम है। ५० या ५१ के अन्दर यह नहीं है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, आप के ही सुझाव चाहता हूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में इस समय क्या हो रहा है ?

श्री अधिष्ठाता—

जो अंतिम मद है उस पर चर्चा हो रही है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि वैसे उसका महत्व है, और मैं उसका स्वागत करता हूं और बात सही है, लेकिन मैं कह रहा था कि इसके साथ साथ हमें अपने भंडारों को आज ही नहीं, भविष्य के लिये भी ठीक रखना पड़ेगा। इस वक्त हमने यह तय किया है कि चावल में जिस प्रकार की लेवी हम करते आये हैं उसी प्रकार से चलायें। जहां तक मोटे अनाजों का सवाल है, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि उनका मोनोपाली प्रोक्योरमेंट पिछले साल किया गया था और बाद में लेवी पर आ गये थे। उसके लिये हम इस साल मोनोपली प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि सर्टेन परसेंटेज लाईसेंस्ड ट्रेडर्स से लेंगे, ४० परसेंट लेंगे और ६० परसेंट ओपेन मार्केट के लिये छोड़ देंगे। इसके लिये दो तरह की प्राइसेज हैं। एक तो सपोर्ट प्राइस है, जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने डिक्लेयर की है। उसके मुकाबले में हमने अपनी प्राइसेस रखी हैं खरीदने की जो सपोर्ट प्राइस से ज्यादा अच्छी हैं और यह इसलिये किया कि अगर हम उनको तय कर देते तो व्यापारी सस्ता माल खरीद लेता था और बाद में ज्यादा मुनाफा कमाता था। इसके लिये हमने जो अपनी खरीद का हिसाब लगाया है वह ६५ रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से हमने खरीदारी की है। इसके अन्तर्गत हमने करीब ४८ हजार टन के करीब खरीद की है। इसमें २८ हजार टन के करीब गेहूं है और बाकी दूसरे अनाज हैं। बाद में यह खरीद जब कीमतें ज्यादा चढ़ गयीं तो रोक देनी पड़ीं। यह दाम हमने इसलिये रखा कि काश्तकार को उसके उचित दाम मिल जायं। मोटे तौर पर बाजरा आदि की कीमतें काफी अच्छी दी गयी हैं और सपोर्ट प्राइस से ज्यादा है। यह प्राइस ज्यादा इसलिये रखी गयीं कि अगर वे कम होंगी तो खुले बाजार में दाम ज्यादा चढ़ जायंगे और डिस्पैरिटी ज्यादा हो जायगी। तो इन बातों को सोच विचार कर हमने इसको रखा है और भले ही उधर के बहुत से भाई इसको पसन्द न करें, लेकिन यह इसलिये किया कि हमारे प्रदेश में १८ लाख टन के करीब मोटा अनाज पैदा होता है और इस साल सूखे की वजह से और कमी होगी। मार्केटेबिल सरप्लस और उसका औसत तरीके पर ३-४ लाख के करीब हमारे बाजारों में आता था और इस साल उससे भी कम आयेगा, यह अंदाजा किया जाता है। तो इस सम्बन्ध में छोटी सी चीज के लिये काश्तकारों के ऊपर और परचेज का खर्चा बढ़ाना निर्धारित कीमत पर, इसे काश्तकार नापसन्द करता है। अगर लेवी नहीं हो पाती है तो भी ५० हजार टन के करीब तो हमारे पास वैसे ही बच जायगा और हमारे पास पुराना कुछ चावल भी है---१,९५,००० के करीब। सब को जोड़ करके के हमको इस साल को किसी तरह से निकालना है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अधिष्ठाता महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने माननीय मंत्री जी को किसी अफसर ने कोई नोट लिख कर दे दिया है उसी से पढ़ रहे हैं। उनके दिमाग में कोई चीज साफ नहीं है, इधर उधर से लेकर बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वह आज की इस संकटकालीन परिस्थिति में खाद्य की नीति को चलाने के लिये क्या कदम बढ़ाने जा रहे हैं। अगर दिमाग साफ नहीं होता है तो बात समझ में नहीं आती है। आप चावल के आंकड़े दे रहे हैं, यह क्या है ?

श्री अधिष्ठाता---

मैं समझता हूं, वक्तव्य में स्पष्ट और निश्चित आंकड़े और तथ्य होने चाहिये। तो आप हमें दे दें ताकि माननीय सदस्यों को विवाद करने का अवसर मिले।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

वे कह रहे हैं कि नोट से पढ़ रहा हूं, अपने मन से नहीं। लेकिन मैं अपने मन से भी और नोट भी पढ़ रहा हूं, इसलिये उनको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। अगर म चावल की बात न करूं तो चावल खान वाले पूर्वी जिले हैं, इसलिये कहना पड़ रहा है। लेकिन वह

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

तो खा करके नहीं सूझता कि खाया। मैं आपको निश्चित बताऊं कि आने वाली खरीफ की फसल में हम खरीदने जा रहे हैं ज्वार, बाजरा और मक्का और ४० परसेंट पर खरीदेंगे लाइसेंस्ड होल्डर्स से---यह सफाई के साथ कहता हूं। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कांस्टीट्यूशन के पंडित हो सकते हैं, मगर खाद्य के पंडित नहीं। हमने इस वक्त सोधी नैशनल लेवी काश्तकार से इसलिये नहीं लगायी कि मार्केटिंग में सरप्लस इतना होगा, प्रोडक्शन इतना होगा कि जिससे दिक्कतें होंगी। इसलिये ऐसा किया और अगर पी० एल० ४८० का कंट्रेक्ट नहीं होता और लड़ाई चलती है और खाद्यान्न की कमी होती है तो आप मार्जिनल सरप्लस के धोखे में न रहें। सवाल यह है कि अराइवल्स, इसके बावजूद कि पैदावार बढ़ती जाती है, घटते जाते हैं। तो अगली दफा आपको क्या करना होगा? सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी तो चाहती है कि हम डायरेक्ट परचेज करें, यही स्वतंत्र दल की मांग है, लेकिन स्वतंत्र पार्टी और आपके पड़ोसी उसे पसन्द न करें तो वह समझदार व्यक्ति हैं, उनको मैं बता रहा था, जिसको काशीनाथ जी समझे कि इधर-उधर की गप्पें मार रहा हूं। मैं गप्पें नहीं मार रहा हूं, मैं समझने वालों की तरफ इशारा कर रहा हूं कि मार्जिनल सरप्लस से काम नहीं चलने का अगर पी० एल० ४८० का कंट्रेक्ट नहीं होता। हमें आज की बात नहीं बल्कि आगे की बात सोचनी है कि अगर लड़ाई चलती रही तो आप अपने यहां गेहूं की कमी कैसे पूरी कीजियेगा।

उसके लिये मैंने बहुत सोचा, यद्यपि जितने लोग अपने आपको प्रोग्रेसिव पार्टी का कहते हैं वे सब स्टेट ट्रेडिंग की बात को मानते हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ बुराई भी हो, लेकिन मैं समझता हूं कि सब को साथ लेकर ही हमको चलना चाहिये। हम कोई चीज किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपना नहीं चाहते हैं। स्टेट ट्रेडिंग में सब गुण ही गुण हों ऐसी बात नहीं है, उसमें अवगुण भी हो सकता है, लेकिन जिस चीज में ज्यादा गुण हों और कम अवगुण हों उसे अपनाना चाहिये। खैर, यह तो विवाद की बात है, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि हमारे साथ सब मिल कर काम न करें। आगे चल कर हमें सोचना है कि अगले साल रबी की फसल में आप क्या तरकीब करेंगे, क्योंकि जब मार्केट में एराइवल ही नहीं होगा तो कोई कर ही क्या सकता है। पिछले साल डेढ़ लाख टन गल्ला हमने खरीदा, लेकिन अगर इस साल ६० हजार या ८० हजार टन गल्ला हम परचेज कर लें तो यह कोई बड़ी भारी बात नहीं है। जैसा कि अभी माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने कहा---१०, २० या ५० हजार टन गल्ला हमें चन्दे या सब्सिक्रप्शन के रूप में मिलता है तो एक तरह से उसका बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन हमें तो आज की गम्भीर स्थिति को फेस करना है। हम किसी पर सख्ती करके या जेलखाने भेज कर गल्ला नहीं लेना चाहते हैं। चावल तो हमें मिलों से मिलेगा, लेकिन गेहूं के लिये हमें कोई रास्ता नहीं दिखलाई देता सिवा इसके कि हम उसे सीधे काश्तकारों से खरीदें। कम से कम इस मसले पर हमको विचार करना है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी विज्ञप्ति निकली है कि एक लाख से ऊपर की आबादी वाले टाउन्स में राशनिंग करो। सिद्धान्ततः यह बात ठीक हो सकती है क्योंकि उनकी परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा है और वे सारे माल को खींच कर अपने यहां ज्यादा से ज्यादा दाम लेकर खरीदते हैं और इससे कीमतों के बढ़ाने में उनका हाथ हो सकता है, लेकिन राशनिंग हो जाने के बाद बाकी माल जो बच रहेगा वह देहाती क्षेत्र में व छोटे छोटे टाउन्स में जायेगा, इसका नतीजा यह होगा कि चीजों की कीमतें घट जायेंगी। मैं इस बात को मानता हूं कि लड़ाई की वजह से आज इसकी आवश्यकता बहुत बड़ी है और पहले भी हमने कहा था कि इसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि १० लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर में पहले इसका तजुर्बा कर लें, फिर इसको और शहरों में लागू करें। लेकिन फिर सेंटर ने लिखा है कि लड़ाई की समस्या जो इस समय हमारे सामने मौजूद है उसकी वजह से जल्दी ही इसको लागू करना है। हम भी इसे चाहते हैं, लेकिन उसके लिये कुछ तैयारी करनी पड़ती है। हम यह भी चाहते हैं कि हम इससे बिलकुल निश्चित हो जांय कि जब राशनिंग

करनी है तो हमारा स्टाक भी बना रहे, उसका ब्रेक डाउन न हो, इस पर हमें विचार करके निर्णय लेना है। इस विषय पर अभी हमने निर्णय नहीं लिया है। स्टाक पोजीशन देखने के बाद ही निर्णय लिया जायेगा। जो परिस्थिति चल रही है उसको देखते हुये मालूम पड़ता है कि हमारे लिये बफर स्टाक बनाना बहुत आवश्यक हो गया है। अगर इमरजेन्सी चलती है और पी० एल० ४८० नहीं मिलता है तो अपने प्रदेश में कुछ न कुछ व्यवस्था करनी ही होगी। इसलिये लेवी सिस्टम से चावल और मोटा अनाज हम लेंगे, अगली फसल की बात आगे चल कर देखी जायगी। मैं स्वागत करूंगा अगर ट्रेडर के अलावा गांव वाले स्वयं भी उचित मूल्य पर हमको सीधे अनाज दें। कानून द्वारा हमने उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रखा है। वे चाहें तो दे सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं और आपके सहयोग की प्रार्थना करता हूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय खाद्य मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया और उसके पूर्व माननीय मुख्य मंत्री का एक पत्र भी पिजन होल में मिला। माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को सुन कर मुझे बड़ी निराशा हुई। उन्होंने उन्हीं बातों को दोहराया कि मार्केटेबिल सर्पलस है नहीं, खाद्य का उत्पादन बढ़ाना है, उसके लिये कुछ कहा नहीं और साथ ही यह कहा कि उसके लिये एक दूसरे मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, हमारी है नहीं, मैं तो केवल इसलिये बोल रहा हूं कि कैबिनेट का एक कोलीग हूं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैंने यह कहा कि उसके लिये यद्यपि उनकी जिम्मेदारी है, मगर मैं भी प्रयत्नशील हूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

उसके लिये आपकी सम्मिलित जिम्मेदारी है। जिस तरह से आप नियम ५२ आदि के प्रस्ताव पर वक्तव्य देते हैं, उसी तरह यह वक्तव्य भी हो गया। जैसा माननीय कांडपाल जी ने वक्तव्य दिया था, वैसा ही आज यह है, केवल एक दो बातों को और जोड़ दिया गया है। उन्होंने पहले एक बात यह कही थी कि सरकार निश्चित रूप से हम लोगों को बुलाने वाली है और सभी नेताओं की बैठक में यह तय किया जायेगा कि प्रदेश में खाद्य नीति किस प्रकार की हो। वह मीटिंग हुई, मुझे भी उसमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां कोई इस पर बात नहीं हुई। आज वक्तव्य के रूप में चर्चा आ गयी।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि पी० एल० ४८० का समय अक्तूबर तक ही है। यह मियाद समाप्त हो रही है। और उसके साथ-साथ गेहूं का हमने बफर स्टाक इस समय तक नहीं लिया है।

तीसरी बात यह है कि आगे आने वाली जो फसल है उसके सम्बन्ध में हमने नीति निर्धारण भी नहीं किया है। ये बहुत भयानक परिस्थितियां हैं। आपने चालीस परसेन्ट लेवी दूकानदारों पर लगाने के अलावा मूल्यों के बारे में भी कहा कि पूरा भार नहीं देंगे। आपने कुछ और कहा हो तो बता दीजिए।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इस समय खरीफ की फसल में जो खरीदारी करनी है वह इस तरह करेंगे। मैं, कहें, तो भाव बता दूं। भाव का पर्चा छूट गया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मेरा यह कहना है कि माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट के निष्कर्ष से हमें जिन आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना है वह यह कि मंत्री जी ने एक बात कही कि कदाचित मार्केटेबुल सरप्लसते

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री को बता देना चाहता हूं कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से मारकेटेबुल सरप्लस काश्तकार के पास न हो, यह कैसे हो सकता है? उसको करोड़ों रुपये की उत्पादन की वस्तुओं को लेना है, उसके साथ-साथ आपके कर देने हैं, खाद्य उत्पादन की आवश्यकताओं को भी उसे पूरा करना है। माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि काश्तकार ने अपने कन्जम्पशन को नहीं बढ़ाया। इसलिये मैं आपकी सेवा में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दूं। "ग्रामीण क्षेत्र में जो उपभोग हैं मासिक मूल्य उसका ६२ में लगभग १०५ रु० १० पैसे थे। उस मूल्य को अब इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मूल्यों पर यह आधारित है। आप मूल्यों की बढ़ोतरी पर ध्यान देंगे तो मूल्यों में नामिनल बढ़ोत्तरी हो रही है और ६२-६३ में वह ११७.०७ रुपया था और ६३-६४ में वह १३१.११ रुपये था। ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग की वस्तुओं के जो मूल्य हैं और उसमें जो प्रतिशत दिया हुआ है उसमें दो प्रतिशत हैं। एक तो खाद्यान्न के हैं और दूसरे अखाद्यान्न के हैं। मैंने यह देखा कि खाद्यान्न के उपभोग की जो रिपोर्ट है उसमें कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि अखाद्यान्न के उपभोग के संबंध में वृद्धि हुई है। आपने जो यह सरप्लस निकाला है कि सरप्लस नहीं होगा मैं उससे एग्री नहीं करता। इस प्रदेश की जो कमी है उसको हम कैसे पूरा करें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस कमी को तीन रूप से पूरा किया जा सकता है। पी० एल० ४८० की सहायता जो विदेशों से मिलती है उससे या दूसरे प्रदेशों से गल्ला लें जैसा कि राजस्थान में सरप्लस था। तीसरे यह कि जो भी काश्तकार हमको निर्यात करने को कहे उसको निर्यात करके और चौथा यह कि हमने जो अपनी इस समय एक नीति बनाई है हम अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाकर यदि प्राथमिकता दें। जैसा स्वयं आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हमने नकद मूल्यों की खेती की ओर ज्यादा ध्यान दिया है उससे गल्ले के उत्पादन में कमी आई है। परन्तु गल्ले के व्यापार को जितना संगठित करने की आवश्यकता थी उतना आपने नहीं किया है और न ही उसके उत्पादन को संगठित किया है। इसलिये जो आशा है कि एक बार कम मूल्य होगा वह नहीं की जा सकती है।

एक बात कही गई कि मूल्यों में अनिश्चितता रहती है। आपने जो उसकी ओर लक्ष्य किया है उसका कारण भी अपेक्षित वृद्धि कृषि के रूप में नहीं प्राप्त हुई है जो मिलनी चाहिये, बहुत से ऐसे कृषक हैं जिनके पास ६,७ एकड़ से अधिक भूमि है और जो निश्चित रूप से अपनी पैदावार बेचना चाहते हैं। लेकिन आज तक आपने उत्पादन की लागत को ठीक रखने की चेष्टा नहीं की है। आज भी आपकी घोषणाओं से पता चलता है कि आज भी आप उत्पादक को कीमत देते समय उसे जो और चीजें उत्पादन के लिये खरीदनी होती हैं उनका ध्यान नहीं रखने जा रहे हैं। आपने व्यापारियों को कभी कोई बढ़ावा नहीं दिया कि वे आपके लिये कुछ खरीद कर सकें। इसलिये जो कम्पीटीशन आना चाहिये वह भी सरकार की ओर से नहीं आया है। रबी का बफर स्टाक भी बनाने में आप असमर्थ रहे और आपने कहा कि अगर आप बाजार में ऐज ए परचेजर आवेंगे तो सम्भवतः वहां मूल्य बढ़ जावेंगे। लेकिन अगर आप उस समय व्यापारी से लैवी के रूप में ले लेते तो कोई दाम नहीं बढ़ते। आपने पाकिस्तान और चीन के जिस संकट की ओर इशारा किया है, यह संकट कई वर्षों से है और यह पता था कि एक दिन यह संकट आना ही है। इसलिये आपने बफर स्टाक न बनाने की जो गलती की है उससे आपको क्षमा नहीं किया जा सकता है।

आपकी यह सूचना और घोषणा थी कि नार्मल रेन्स होने वाली हैं। अन्तिम दिनों में जब मानसून नहीं आया तब भी आपने कोई कदम नहीं उठाया, जैसे कि नहरों में पानी खोल देना था और सफाई के लिये उन्हें बन्द न करना बल्कि उनमें पानी देना था। मुख्य मंत्री का जो पत्र छपा है उसे पढ़कर मुझे बड़ी निराशा हुई। उसमें कुछ बातें हैं जिनका खाद्य-उत्पादन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने जिक्र किया कि चीफ सेक्रेटरी ने एक पत्र द्वारा ट्यूब वैल,

आपरेटरों, एक्सटेंशन टीचरों और एग्रीकल्चर सुपरवाइजरों को कहा है कि हर जिले में योजना ठीक तरह से चले। दूसरे, उन्होंने कहा है कि अगर सनई और ढ़ैचा कहीं पलटा न जा सके तो उन्हें कृषि विभाग अच्छे मूल्यों पर खरीद लेगा और उन्हें बुवाबे जिससे अगले साल फसल अच्छी होगी। तीसरे, दिनांक १ सितम्बर, १९६५ को एक आदेश निकला है जिसमें कुछ सुझाव दिये गये हैं। लेकिन ये सुझाव किसी काश्तकार के पास नहीं पहुचे हैं। अगर होंगे तो आपके कृषि विभाग की किसी फाइल के कोने में पड़े होंगे। अगर वे उपयोगी सुझाव हैं तो माननीय मंत्री जी बतला दें कि वे क्या हैं। मैं समझता हूं कि उनको भी नहीं मालूम होगा। उन्होंने कहा कि कुएं और रहट के लिये सबसीडी का रुपया बढ़ा दिया गया है। लेकिन यह बड़ी लांग टर्म बात है। इससे निकट भविष्य की खाद्य-स्थिति में कोई सुधार नहीं होने वाला है। हम १ लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में शीघ्र ही राशनिंग करने वाले हैं तो उसमें इससे कोई सहायता मिलने वाली नहीं है। चीन ने अल्टीमेटम दे दिया है और बड़े-बड़े शहरों में ब्लैक-आउट होने से नार्मल वर्किंग के आवर्स कम हो गये हैं। ऐसी अवस्था में आप कम्पलीट राशनिंग से ही कोई सहायता दे सकते हैं। माननीय मंत्रीजी ने बड़े गोलमोल शब्दों में कहा कि न तो हम राशनिंग कर रहे हैं और न ही केन्द्रीय सरकार से ऐसा कह सकते हैं। आप ऐसे अनिश्चित वातावरण को पैदा कर युद्ध का अहित कर रहे हैं। युद्ध के समय सरकार कृषि को सदैव सबसीडाइज करती है। जैसे सिंचाई के रेट में कमी और बीज सस्ते दाम पर देना। जब उत्पादन बढ़ेगा तभी दाम भी घटेंगे। अगर किसी ने मेहनत करके तीसरी फसल पैदा की तो उसे पानी मुफ्त दें। हम दूसरे प्रान्तों पर, यह सोचकर कि जोन बड़ा हो जायगा, निर्भर नहीं रह सकते। आज पंजाब पर संकट है। हो सकता है कि उनकी फसल नष्ट होने से उलटे हमें उनको अन्न देना पड़े। यह संकट यहां भी आ सकता है। उत्पादन बढ़ाने के लिये जो सुझाव माननीय सदस्य दे रहे हैं, उन पर माननीय मंत्री जी ध्यान से गौर करेंगे तभी काम चल सकता है।

माननीय मंत्रीजी ने जिक्र किया कि कैश क्राप से भूमि निकल कर अन्न उपजाओ की ओर जावे। क्या माननीय मंत्रीजी इस संदर्भ में कोई निश्चित घोषणा करेंगे ? गन्ने को छोड़ कर बाकी सब कैश क्राप्स खाद्यान्न से कुछ न कुछ संबंध रखती हैं, जैसे आलू, मूंगफली, तिलहन आदि इनको बल देने के लिये माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं ? तीसरी बात यह कि माननीय उत्पादन मंत्री औद्योगिक जनता के साधनों की पूर्ति के सन्दर्भ में क्या कदम उठा रहे हैं ?

एक सदस्य---

व्यवस्था का प्रश्न है, हाउस में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैं यह निवेदन कर रहा था कि औद्योगिक जनता के लिये इस संकट काल में माननीय मंत्री जी क्या व्यवस्था करने वाले हैं, उसकी निश्चित रूप से सदन में घोषणा करें। इसके बाद बाजार में जो खरीफ बिक्री की आम व्यवस्था है उसमें क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं जिससे कि सीधे सरकार को गल्ला मिल सके ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो उत्पादन के आधार पर खर्चा आता है उस पर कुछ मुनाफा लगाकर कोई निश्चित मूल्य नीति तय करने जा रहे हैं या बाजार के ही सहारे पड़े रहेंगे और बाजार में आ जायगा तो वही दाम देकर ४० परसेंट लगाकर ले लेंगे और अगर कोई नीति है तो वह कब घोषित करेंगे ?

देश की कृषक जनता जिसका कि खेती से सीधे संबंध नहीं है उसके कन्जम्पशन के लिये औसतन कितने गल्ले की कमी पड़ने वाली है और उसके लिये माननीय मंत्री जी क्या क्या सुझाव देते हैं जिसमें कि यह भी सम्मिलित हो सकता है कि लोग कम खायें ?

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

माननीय मंत्रीजी ने अभी बताया कि रबी की फसल से स्टेट ट्रेडिंग की घोषणा की जायगी। मेरी समझ में नहीं आता कि स्टेट ट्रेडिंग का उत्पादन से क्या संबंध है। स्टेट ट्रेडिंग से उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है और जो लोगों को मिलने वाला है उसका संबंध वितरण व्यवस्था से है। माननीय मंत्री जी प्रबंध के लिये सहकारी साधनों के उपयोग की बात कहते तो समझ में भी बात आती, लेकिन जब वे स्टेट ट्रेडिंग की बात कहते हैं तो इससे नीति परिवर्तन की बात आती है और उसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है सुरक्षा के प्रयासों पर भी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह आप सीरियसली कह रहे हैं अथवा जिस प्रकार रोज रोज कहा करते हैं, उस प्रकार से आपने यह भी बताया कि केन्द्र लेवी को लगाने के पक्ष में है। कदाचित् एक एकड़ से अधिक के लोगों पर लगाये। उत्तर प्रदेश में ५० प्रतिशत परिवार ऐसे हैं कि संयुक्त परिवार होने के कारण वे जितना अन्न पैदा करते हैं उससे उनके परिवार वालों का ही काम नहीं चलता। इसलिये आपको यह भी सोचना चाहिये कि अगर किसी का १० एकड़ से काम चल सकता है तो उससे अधिक का गल्ला आप ले लीजिये। इसलिये इस नीति के निर्धारित करते समय आपको गल्ले का उत्पादन, मूल्य, मुनाफा आदि सब चीजों पर विचार करना होगा, आप को निश्चित आधारों पर ही मूल्य नीति को आधारित करना होगा।

इसके अलावा अब तक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर किसानों को तकावी आदि दिया करते थे, वार के कारण उनके काम बढ़ गये हैं, इसलिये या तो इस काम को आप कृषि विभाग को दे दें, या इसके लिये अलग आफीसर नियुक्त कर दें। कहीं ऐसा न हो कि देरी कम होने के बजाय और अधिक देरी लगने लगे और आप उत्पादन का हिसाब लगा ही लें।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार स्टेट ट्रेडिंग करने से पूर्व सारी बातों पर विचार कर लेगी और तहसीलदार आदि एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के पास काम अधिक हो गया है इसलिये ऐसा प्रबंध करना चाहिये जिससे किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। ऐसा होने पर उत्पादन बढ़ सकता है और वितरण की समस्या भी हल हो सकती है। आशा है कि माननीय मंत्री जी वास्तविक और स्पष्ट नीति को अपनायेंगे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---

अधिष्ठाता महोदय, आज खाद्यान्न के बारे में जो विचार-विनिमय किया जा रहा है उसका विशेष महत्व है। यों तो हर सेशन में एक या दो बार खाद्यान्न पर बातचीत इस सदन में हो ही जाती है। मगर आज संकट के समय में, जब कि एक प्रकार से हम लड़ाई के बीच में हैं और इमकान है कि यह लड़ाई बढ़ कर और व्यापक रूप न अख्तियार कर ले, ऐसे समय में खाद्यान्न के बारे में जानकारी प्राप्त करना और सुझाव देना अत्यन्त आवश्यक है। मैं उस समय सदन में नहीं था जब कि माननीय मंत्री जी ने अपना भाषण दिया, लेकिन यह मानी हुई बात है कि पिछली फसल में अच्छा उत्पादन होने के बावजूद भी जितना माल इस साल मंडियों में आना चाहिये था वह नहीं आया। कारण इसके कुछ भी हों, यह भी हो सकता है कि किसान समझने लगा है कि बाद में उसे काफी तेज अनाज खरीद कर खाना पड़ता है और वह यह भी समझने लगा है कि फसल के आरम्भ में कीमत कम और बाद में अधिक मिल जाती है इसलिये उस ने माल नहीं निकाला हो। लेकिन यह सही है कि मंडियों में इस बार माल कम आया और हम यह भी मान लें कि कुछ दुकानदारों ने भी स्टाक दबा लिया हो, लेकिन फिर भी यह सही है कि हमारे पास अनाज की कमी है। यह भी सही है कि किसी भी कारण से लेवी किसानों पर लगाना पसन्द नहीं किया गया। साथ इसके यह भी सही है कि हमारे पास बफर स्टाक बहुत कम है। पहले आशा हो सकती थी कि हमें पंजाब से कुछ अनाज मिल जायगा, लेकिन जैसी आज की परिस्थिति है पंजाब तो करीब-करीब बार जोन में है और वहां बाकायदा बाम्बिंग हो रही है, इसलिये वहां से उम्मीद करना बेकार है।

इसके अलावा एक और परेशानी की बात सामने आ सकती है आज नहीं तो कल और आज की खबर है कि सीक्योरिटी कौंसिल ने आदेश दिया है कि लड़ाई बन्द की जाय, लेकिन जैसी खबर है कि पाकिस्तान उस आदेश को नहीं मानेगा .....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

जिस तरह की लड़ाई.....

अधिष्ठाता---

अगर वह बैठ जायं तभी आप बोल सकते हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

जिस तरह की लड़ाई हो रही है उसमें बन्द होने का क्या सवाल है ?

श्री नवलकिशोर---

आप सुनिये बेसब्रे क्यों होते हैं ? तो ऐसी खबर है कि पाकिस्तान लड़ाई बन्द करने की बात मंजूर नहीं करेगा । अगर वह नहीं करेगा तो जाहिर है कि वह एकतरफा तो बन्द होगी नहीं । दूसरी तरफ हमारे सामने चीन का भी अल्टीमेटम है । मेरा मतलब यह है कि यह जो पी० एल० ४८० के मातहत हमें अमरीका से मदद मिलती है वह उम्मीद है कि मिलती रहेगी, लेकिन अगर वह भी नहीं मिलेगी तब क्या होगा, यह हमें सोचना चाहिये ।

माननीय टम्बेश्वरप्रसाद कृषि के मामले में एक्सपर्ट हैं लेकिन उनके लांग टर्म सुझाव हैं । आज की फौरी आवश्यकता है कि उस तरफ के और इस तरफ के लोग इस बात के लिये जनसाधारण को तैयार करें और खेती की कठिनाइयों का सामना करने के लिये साहस और क्षमता उनमें तथा अपने में पैदा करें । आज मैं मान लूं कि उत्पादन में कमी है और हमारे लक्ष्य प्राप्त नहीं हुये हैं यद्यपि सरकार के आंकड़े हैं कि १५२ लाख टन अनाज हुआ और कोई दूसरा विभाग १४४ लाख टन के आंकड़े देता है, दोनों में ७-८ लाख टन का अन्तर है । यह आंकड़े कुछ भी हों लेकिन हमें आज इस दृष्टि से विचार करना है कि इस कमी और तमाम दिक्कतों के बावजूद और आगे की अच्छी उम्मीदें न होने की बात को ध्यान रखते हुये हम क्या करें, मैं मंत्री जी के सामने इस संबंध में दो-चार सुझाव रखना चाहता हूं ।

जहां तक हमारे दोस्त श्री टम्बेश्वर जी की बात है कि सिंचाई के मामले में सुविधा होनी चाहिये, बीज और खाद की सुविधा होनी चाहिये और तकावी की बात उन्होंने कही, यह सही है यह देखना चाहिये कि ऐसा न हो कि वार अफर्ट्स में तकावी का काम रुक जाय उन्होंने कहा कि यह जो आपके बी० डी० ओ० हैं, उनको यह काम दिया जा सकता है । मेरा खयाल है कि वे इस काम को कर भी रहे हैं । जहां तक अन्न के उत्पादन के बढ़ने की बात है, मैं समझता हूं इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं । आबपाशी की सुविधाओं के संबंध में मैं समझता हूं कि प्रचार होना चाहिये कि कैसे उस दिशा में हम अपने किसानों को प्रोत्साहित कर सकते हैं । इसके साथ-साथ यह भी होना चाहिये कि शहर में भी और देहातों में भी, जहां पर भी जमीनें पड़ी हुई हैं, अगर वे किसी व्यक्ति के पास नहीं भी हैं, वे ग्राम सभाओं के पास है, तो उसमें भी कोई न कोई चीज अवश्य पैदा करने की कोशिश होनी चाहिये क्योंकि वार टाइम में जो कि तजुर्बे से तो नहीं लेकिन पढ़ी लिखी बातों से स्पस्ट होता है कि लोगों ने किचन गार्डन अपनी छतों पर भी लगाना शुरू कर दिया था । अगर छोटे-छोटे प्लांट्स में भी सब्जी वगैरह पैदा करें तो उससे भी खाद्य समस्या का कुछ हल हो सकता है । इसके लिये भी सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिये और प्रौपेगेंडा होना चाहिये, जायद फसल पैदा करने पर सरकार जोर दे ही रही है ।

मान्यवर, कुछ खाने पीने की आदतों की बात भी थी । कहने की मंशा यह है कि इसके लिए खाने की आदतों को बदलने की बात भी है । मुझे पता चला है कि कुछ आदेश सरकार

[श्री नवलकिशोर]

के गये हैं दावतों वगैरह के बारे में । उनमें-भी रोकथाम करने की आवश्यकता है । लोगों को इस बात की भी कोशिश करनी चाहिये कि किफायतशारी हो । अभी तो राशनिंग बड़े-बड़े शहरों में होने की बात है जहां पर १ लाख की आबादी है । मेरी बात लखनऊ में जिलाधीश से हुयी है और उन्होंने बताया था कि अगर हर फैमिली अपने कार्ड में से एक-एक युनिट कम कर दे तो करीब-करीब एक लाख या सवा लाख युनिट कम हो सकते हैं । इस संकट कालीन स्थिति में कम से कम खाने पीने की चीजों का वेस्टेज नहीं होना चाहिये ।

मान्यवर, जहां तक कीमतों का प्रश्न है, मैं यह नहीं कहता कि कीमतें ऊंची नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो कीमतें लड़ाई के शुरू होने पर थीं उससे नीचे की तरफ ही उनका रुख है, ऊपर की तरफ नहीं हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि उनका एक लिएजां (liason) बना रहे ट्रेडर्स और मर्चेन्ट्स एसोसियेशन्स से और इस बात की निरन्तर कोशिश की जाय कि वे सरकार को सहयोग दें ताकि कीमतें ऊंची न हों, क्योंकि जब राष्ट्र पर संकट होता है तो उनको चाहिये कि मुनाफे की जो मनोवृत्ति है वह भी कम मुनाफा कमाने की ओर होनी चाहिये ।

जहां तक कैश क्राप का संबंध है जैसे सब्जी वगैरह का एक मानी में उनकी फूड वैल्यू है लेकिन मेरा विचार है कि गन्ने की खेती अगर १० प्रतिशत कम कर दी जाय और उसमें अनाज पैदा किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा । यह मौका इन्टेंसिव कल्टीवेशन का भी है । हर तरीका उत्पादन को बढ़ाने के काम में लाना चाहिये ।

एक बात जो यहां अभी खरीफ की फसल के बारे में कही गयी उसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि सूखा पड़ जाने के कारण इसमें काफी नुकसान हुआ है । फिर भी अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो कम से कम २।। या ३ लाख टन अनाज इकट्ठा करवा सकते हैं और उनको कोशिश करनी चाहिये ताकि थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाय । मगर साथ ही मार्केट अपसेट न हो जाय क्योंकि देखा गया है कि जब गवर्नमेंट मार्केट में आती है खरीद के लिये तो चीजें गायब हो जाती हैं । तो कोशिश यह होनी चाहिये कि सरकार खरीदे मगर मार्केट से गायब न हो । माननीय टम्बेश्वर प्रसाद ने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग के अन्दर कोआपरेटिव सोसायटीज का सहयोग लिया जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैंने यह कहा कि आलटरनेटिव एजेंसी कोआपरेटिव सोसाइटीज इस वक्त मौजूद हैं जिनके जरिये से खरीद सकते हैं ।

श्री नवलकिशोर---

मेरी स्टेट ट्रेडिंग की डेफीनीशन दूसरी थी । यह नहीं थी । मैं कोआपरेटिव मूवमेंट का हामी हूं, मैं उनकी शिकायत नहीं करता, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि जब सरकार ने उनसे कहा कि अनाज खरीदी कीमत पर खर्चा लगाकर दीजिये, तो उन्होंने कहा कि अनाज आपको बाजार भाव पर देंगे । मैं चाहता हूं कि कोआपरेटिव मिनिस्टर इस बात को देखें कि जब कि इंडिविजुअल ट्रेडर से कहते हैं कि तुम अपनी मुनाफे की प्रवृत्ति को कम करो तो मार्केटिंग सोसायटीज की भी ड्यूटी हो जाती है कि वे मुनाफे की बात न करें । मैं इत्तफाक करता हूं कि गेहूं के लिये नेशनल लैवी करनी पड़ेगी । हम यह जानते हैं कि इसके अन्दर कुछ लोगों को नाराजगी पैदा होगी, लेकिन आज के संकट के समय में जब सभी दल भेदभाव को भुला कर एक राष्ट्रीय भावना के एक सूत्र में बंध कर खड़े हो गये हैं तो उनका पूरा सहयोग मिलेगा । मैं समझता हूं कि देश प्रेम में काश्तकार किसी से पीछे नहीं है । इस लड़ाई का एक बहुत बड़ा बोझ उस गरीब काश्तकार पर भी पड़ने वाला है और मैं समझता हूं कि वह उसके लिये तैयार है । जब समय आयेगा तो मैं मंत्री जी को यकीन दिलाता हूं कि अगर सही

ढंग से लैवी का काम किया गया तो वह सफल होगा । मैं समझता हूं कि फूड का शारटेज जिस प्रकार से चल रहा है इनको स्टेट ट्रेडिंग करनी पड़ेगी । इस मौके पर मंत्री जी मजबूती के साथ काम करें और हम उन्हें सहयोग देंगे ।

मैं केवल यही कहने की लिये खड़ा हुआ था । हम लोग इस बात को महसूस करें कि इस लड़ाई ने खाद्य स्थिति को हमारे सामने थोड़ी सी गम्भीर बना दिया है और संभव है कि इसकी गम्भीरता आगे और बढ़ जाय । इसलिये हिम्मत और हौसले के साथ जहां हम भी तमाम मुसीबतों को उठाने के लिये तैयार हैं, तनमन धन देने के लिये तैयार हैं तो अगर खाने की भी कभी होगी तो हमारा देश और प्रदेश उस कमी को खूबी के साथ बरदाश्त करेगा । जो देश हमारी मदद करेंगे उनको धन्यवाद है और अगर न भी दें तो भी हमारे देश के जो भी साधन हैं उनको आगे बढ़ाने की हम चेष्टा करेंगे और उसी के अन्दर अपनी जरूरियात पूरी करेंगे ।

श्री भानुप्रतापसिंह--

श्रीमन्, मुझे कुछ ज्यादा बातें नहीं कहनी हैं और इसका कारण यह है कि खाद्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में कोई ऐसी बात नहीं कही जो नयी हो और नई स्थिति के कारण कोई मोड़ अपनी नीति में दिया हो । केवल वही बातें जो वह कहते चले आये हैं जो हम सब जानते हैं खाद्य नीति की न होना उसको ही उन्होंने एक बार फिर से दुहराया है ।

(इस समय २ बजकर ४२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए ।)

श्रीमन्, संभवतः उनको इसकी आवश्यकता इसलिए मालूम हुई कि अमेरिका से पी० एल० ४८० के अन्तर्गत गेहूं बन्द हो जाने की संभावना है । जिस बात को वे विपत्ति मानते हैं कि गेहूं आना बन्द न हो जायेगा उसको मैं एक वरदान समझूंगा अगर ऐसा हो सके । मैं स्वयं इस विचार का हूं कि जो इस देश की खाद्य समस्या हल नहीं हो सकी है उसका मुख्य कारण यह है कि हम दूसरों पर बराबर निर्भर रहते आये हैं । उस निर्भरता के हम कितने आदी हो गये हैं उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । अभी एक उच्च स्तरीय कमेटी में जब इस विषय की चर्चा आयी कि कितना गल्ला बाहर से आता है तो मैंने बताया कि किसी भी वर्ष जब ज्यादा से ज्यादा गल्ला इस देश में आया है वह उस वर्ष के उत्पादित अन्न से साढ़े सात प्रतिशत से ज्यादा कभी नहीं आया और इतने पर हम अपने आपको इतना निर्भर समझें तो यह हमारे साहस की बड़ी कमी है । उस उच्च स्तरीय कमेटी में लोगों ने कहा कि ये आंकड़े ही गलत हैं । यह सरकार तो इतनी आदी हो गयी है विदेशों से मंगाये हुए गल्ले पर निर्वाह करने की कि उसको ठीक से यही मालूम नहीं था कि वास्तव में कितना गल्ला विदेशों से आता है ? जिस प्रकार एक बूढ़ा और कमजोर आदमी बैसाखी का सहारा लेने का आदी हो जाता है और उससे बैसाखी छीन ली जाय तो वह समझता है कि वह चल नहीं सकता उसी प्रकार हम बाहर से गल्ला मंगाने के आदी हो गये हैं । मैं समझता हूं कि कोई भी एक व्यक्ति इस देश में भूखा नहीं मरेगा, अगर अमेरिका से गल्ला नहीं आता है । मैं सरकार को सलाह दूंगा कि अगर अमेरिका गल्ला देना बन्द न करे तो आप स्वयं मांगना बन्द कर दें तभी आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं ।

एक बात माननीय मंत्री जी तथा नवल किशोर जी ने भी कही कि पैदावार बहुत अच्छी होती है फिर भी मार्केट में गल्ला नहीं आता । यह उनका दूसरा भ्रम है । मैं यह बात इसलिये कहता हूं कि जिस पैदावार को वह कहते हैं कि बहुत अच्छी हुई वह वास्तव में अच्छी नहीं हुई । अच्छी उनको केवल इसलिये लगती है कि उसके पहले वर्ष बहुत ही निम्न स्तर पर पैदावार हुई । मैं विशेष तौर से यह याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में खाद्योत्पादन का लक्ष्य १८२ लाख टन निर्धारित किया गया था और उसकी तुलना में पिछले वर्ष केवल १४८ लाख टन गल्ला पैदा हुआ है और जो ५ वर्ष के अन्दर लक्ष्य प्राप्त करना था उसका १३ प्रतिशत से

[श्री भानुप्रतापसिंह]

ज्यादा हम पहले ४ वर्ष में प्राप्त नहीं कर सके, फिर भी इस संतोष की भावना को कि हमारी पैदावार अच्छी हुई है और अच्छी होते हुए भी मार्केट सरप्लस नहीं हुआ दूर कर दें क्योंकि यह केवल भ्रम है।

श्री नवलकिशोर---

मैंने इसलिए कहा था कि पिछले साल ११६ लाख टन पैदा हुआ था।

श्री भानुप्रतापसिंह---

आपको प्रदेश की आवश्यकता भी मालूम होनी चाहिये थी। उस आवश्यकता के अनुसार हमारा लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आप अपने लक्ष्य का केवल १३ प्रतिशत प्राप्त कर सके हैं और २७ प्रतिशत आप असफल रहे हैं। यह कहना गलत है कि किसान ज्यादा खा लेता है। इसके लिये मैं चुनौती देता हूं कि किसान ज्यादा नहीं खाता है और इस देश तथा प्रदेश का नागरिक पहले जैसा ही खाता है, एक छटांक भी ज्यादा नहीं खाता है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं भी कहता हूं कि इस देश का किसान दुनिया के सभी किसानों से कम खाता है।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें कोई शक नहीं कि कम खाता है, लेकिन मार्केट में लाने से रोक लेता है?

श्री भानुप्रतापसिंह---

अधिक उत्पादन हो तब तो रोकने की बात आये। प्रश्न यह है कि जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी है उसी रफ्तार से खाद्य उत्पादन बढ़ा है? यदि नहीं बढ़ा है तो फिर आप लोगों का यह कहना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार गलती पर गलती करती चली जा रही है।

श्रीमन्, माननीय नवलकिशोर जी और खाद्य मंत्री की बातें सुनते सुनते मेरे मन में एक बात आई कि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि हम किसानों के साथ सारे उपकार करने के लिए तैयार हैं, केवल उसकी पीठ पर से अपना बोझा उतारने के लिये तैयार नहीं हैं। हमारे खाद्य मंत्री जी लेवी लगाने के लिये तैयार हैं, रा.निंग करने के लिये तैयार हैं, कम्पलसरी प्रोक्योरमेंट करने के लिए तैयार हैं और स्टेट ट्रेडिंग करने के लिये तैयार हैं, लेकिन किसान की उपजाई हुई वस्तुओं का उचित मूल्य देने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने इस विषय का काफी अध्ययन किया है और मैं कह सकता हूं कि उनके सरकारी फार्मों पर जो उत्पादन व्यय आता है उसको देखें और निर्णय दें कि क्या किसानों की वस्तुओं का उचित मूल्य मिलता है? सरकारी फार्मों पर सारी सुविधाएं प्राप्त हैं और वैज्ञानिक नियुक्त होते हैं। यहां गेहूं, चना, जौ और धान पर प्रति मन कितना खर्चा आता है, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ मुनाफा किसान को दें तो वह अन्न पैदा कर सकता है। लेकिन यह सब कुछ करने के लिये तैयार हैं परन्तु किसान की पीठ पर से अपना बोझ उतारने के लिये तैयार नहीं हैं। आज शहरों के निवासी आदी हो गये हैं कि किसानों की गाढ़ी कमाई का सस्ता अनाज खाते रहें और आज जब नहीं मिलता है तो तिलमिला उठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में रासायनिक उरवरकों का भाव ड्योढ़ा है, तेल से जो ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं उनका मूल्य चौगुना है और जो पुर्जे खरीदने पड़ते हैं उनका मूल्य चौगुना पचगुना है। जब सारी चीजों की कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं तो शहर के नागरिक और उनके प्रतिनिधि खाद्य मंत्री यह आशा करें कि किसान अपने पेट को काट कर उनको खिलाता रहेगा तो यह संभव नहीं है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप किसान को विश्वास में लीजिये और किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर मूल्य की समस्या को हल करें

मैं दिल्ली गया था और मुझे मूल्यों के विषय में दिलचस्पी है। इसलिये मैं कृषि मंत्रालय में गया और मैंने एग्रीकल्चरल वस्तुओं की मूल्य निर्धारण वाली रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त की। मैं देखना चाहता था कि भारत सरकार ने जो कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किये हैं उसका कोई आधार है या नहीं और वह कितना वैज्ञानिक है। लेकिन उस रिपोर्ट में कोई आधार नहीं बताया गया है केवल झा कमेटी वाली सिफारिश को ही दुहरा दिया है। जब तक यह स्थिति रहे और खाद्यान्न के बढ़ने की आशा करना अपने आपको धोखा देना है। अगर आप उनके साथ बैठकर मूल्य निर्धारित नीति निश्चित करें तो आपको राशनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि किसान में इतनी देशभक्ति है और वह स्वयं गल्ला दे सकता है, लेकिन उस समय तक नहीं जब तक उसकी वस्तुओं का उचित मूल्य तय नहीं होता। श्रीमन्, वास्तव में खाद्य के विषय पर इस प्रकार चर्चा चलाना मैं उचित नहीं समझता क्योंकि न इनके पास खाद्य है, न मार्केट में है, विदेश से आने वाला है। इनका भंडार खाली है। भंडार को कैसे भरा जाय इस पर चर्चा होती तो लाभ होता। मैं कृषि में रुचि रखता हूं और मैं चाहता हूं कि कभी अवसर आये जब मैं अपने सुझाव रख सकूं। लेकिन मुझे खेद है कि अब तक समझ नहीं पाया कि किस अवसर पर, किसके सामने अपने सुझाव रखूं। माननीय गेंदा सिंह मेरे मित्र हैं। मैं उनका आदर करता हूं। मेरे विचार सुनने के लिए उन्होंने मुझे दो चार बार बुलाया भी, लेकिन जब जब मुझे बुलाया तब तब पचीसों लोग बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि आप कृपा करके मुझे दो घंटे दीजिये जिसमें हम और आप और कृषि के विशेषज्ञ हों, उस समय केवल कृषि पर बातचीत हो, इस तरह मुझे बुलाएं, तब बातचीत हो सकती है। मैंने कहा कि २४ घंटे में आप मुझे कभी भी तलब कर सकते हैं। लेकिन आज तक उनको समय नहीं मिला। सिटीजन्स काउंसिल बनी है, उसका मैं सदस्य हूं, उसमें भी किसी ने नहीं बुलाया। आज कृषि उत्पादन के लिए जन आन्दोलन चलाने की आवश्यकता है। जो यह दो पेज की प्रतिलिपि दी गयी है इससे उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। जब किसान अपना काम समझ कर देश के हित में अपना समय देंगे, परिश्रम करेंगे, जगह जगह जा कर अन्य किसानों को अपने मत का बनाने की कोशिश करेंगे तब लाभ होगा। इस जन आन्दोलन को चलाने के लिये एक संगठन होना चाहिये, सरकार की तरफ से प्रेरणा मिलनी चाहिये। इसमें लिखा है कि हजारों की तादाद में सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर हैं। करोड़ों से कैसे सम्पर्क हो, जिस काम की वर्षों तक किसानों को ट्रेनिंग नहीं दी गयी, अगर थोड़े समय में देना है तो केवल जन आन्दोलन के रूप में दे सकते हैं। उसको चलाना सरकार का कर्त्तव्य है और उसको करने में सरकार अभी तक सफल नहीं हो सकी है।

केवल एक भ्रम और दूर करना चाहता हूं, विशेषकर इसलिए कि माननीय नवलकिशोर जी ने मेरा नाम लिया था। उन्होंने कुक्कुट पालन की चर्चा की थी। कुक्कुट पालन या दूसरे जानवरों का पालन करके खाद्य समस्या हल करने की आशा करना गलत है। इसका एक वैज्ञानिक कारण है। कोई भी खाने वाला पदार्थ जो जानवर से मिलता है उसका एक सेर मांस पैदा करने के लिए औसतन तीन सेर अनाज खिलाना पड़ेगा। अगर एक सेर मुर्गे का गोश्त खाना है तो पहले तीन सेर अनाज खिलाना पड़ेगा। इसीलिए जिन देशों में अन्न की कमी है वे इस बात का प्रयत्न नहीं करते कि वे ऐनिमल प्रोडक्ट्स पैदा करें। अमेरिका में अन्न की बहुतायत है और जिस प्रकार से हमारे अन्न की कमी की समस्या है वैसे ही उनके अन्न की बहुतायत की समस्या है। उस समस्या को हल करने के लिए सरकार किसानों को सलाह देती है कि इस अन्न को जानवरों को खिला कर जानवरों को खाओ। अगर हम उस सलाह पर अमल करेंगे तो हमको नुकसान होगा। हमें अनुकरण करना चाहिये जापान का। जापान में अन्न पैदा किया जाता है और अन्न के स्थान पर यदि कुछ और पैदा करना है तो फल और सब्जी को ही पैदा किया जाना चाहिये। इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है कि हम अपना तीन सेर अनाज गंवाकर एक सेर मांस प्राप्त करें। इतना ही कहकर मैं अन्त में खाद्य मंत्री से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय तो वह कोई प्रोक्योरमेंट नहीं करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन जब उनका करने का इरादा हो

[श्री भानुप्रतापसिंह]

तो मैं अवश्य चाहूंगा कि वह हमसे सलाह मशविरा अवश्य करने की कृपा करें और उसके बाद ही इस संबंध में कोई कदम बढ़ायें। मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि जो वह यह लेवी लगा रहे हैं तो उसके साथ वह राज्य के अन्दर किसी अनाज के आवागमन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध भी लगायेंगे ? यदि ऐसा कोई उनका इरादा हो, तो वह स्पष्ट कर दें तो उनकी बड़ी कृपा होगी।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का विषय पाकिस्तान के आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति के संदर्भ में खाद्य स्थिति पर खाद्य मंत्री का वक्तव्य तथा उस पर चर्चा है। श्रीमन्, माननीय खाद्य मंत्री को मैं केवल वितरण मंत्री ही मानता हूं। उनके पास जो प्राप्ति हो उसकी तकसीमी कैसे हो ? इतना ही उनका काम केवल मैं समझ पाया हूं और सदन शायद उसके आगे कुछ और समझे तो मैं नहीं कह सकता हूं। असल में खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिए कुछ बुनियादी बातों की तरफ भी सोचना पड़ता है और उन पर अमल का भी विचार करना पड़ता है। कोई छोटा प्रश्न नहीं है वह पाकिस्तान के बर्बर आक्रमण और चीन की धमकियों के सम्पर्क में यह बहुत व्यापक प्रश्न है। लाखों सिपाहियों को भोजन देना, प्रदेश की जनता को भोजन देना, यह सारी समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि अकेले वितरण मंत्री को बताकर या समझाकर इसका कोई निराकरण हो सके, मैं नहीं समझ पाया। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे ही कुछ थोड़ी बातें कह दूं ताकि आप सरकार तक उन बातों को पहुंचा दें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्रीमन्, सवाल सबसे बड़ा यह है कि गल्ले की इस प्रदेश में कमी है, गल्ले की देश में कमी है और थोड़ी कमी नहीं बहुत कमी है। वह बहुत बड़ी कमी इन तमाम योजनाओं के चलाने के बाद भी आबादी के ख्याल से, बढ़ती हुई आबादी के मुकाबले, बढ़ी हुई पैदावार से हम अभी तक दूर नहीं कर पाये हैं, यह स्पष्ट ही है। तो हो क्या खाद्य स्थिति को सभांलने के लिये ? इसके लिये यह ज्यादा अच्छा होगा कि वितरण के लिये जो आयेगा गल्ला वह खाद्यमंत्री जी कुछ शहरों को बांट देंगे, कुछ रिजर्व रख लेंगे, जरूरत हो तो फौजों को दे देंगे। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि खाद्यान्न की उपज कैसे बढ़ाई जाये और इतनी तेजी से बढ़ाई जाए कि बाहर से गल्ले की आमद बिलकुल आज की तारीख से सरकार को बन्द समझ लेना चाहिये और बन्द समझने के बाद इस फ्रंट के ऊपर हम सब लोग मिल कर कैसे लड़ें। इस पर विचार करना चाहिये। इसमें जरूरत है कृषि मंत्री की, इसमें जरूरत है सिंचाई मंत्री की, इसमें जरूरत है सहकारिता मंत्री की। इसमें ३–४ यह जो विभाग हैं, उनको जोड़ कर खाद्यमंत्री बनाकर यदि विचार किया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारा मशविरा भी यदि वहां तक पहुंचे और हम विचार करें। विरोधी दल के लोग हम सब लोग मिलकर इस ओर कुछ ठोस, कुछ मजबूत कदम उठा सकें तो प्रदेश की जनता के लिये, देश की जनता के लिए यह ज्यादा फायदे की चीज होगी।

अब वितरण का प्रश्न है। उसके ऊपर अगर हम और आप बहस करें तो उससे कोई परिणाम निकलनेवाला नहीं है। किसानों का जहां तक संबंध है जब कभी मुसीबत आती है तो सबसे पहिले किसान के घर पहुंचती है, महंगाई आती है तो सबसे पहले किसान के घर, चीन की लड़ाई का प्रभाव सबसे ज्यादा किसान पर, पाकिस्तान की लड़ाई का प्रभाव तो किसान पर तो यह ८० या ८५ फीसदी किसान, उसी पर सारे मोर्चे, सारी मंहगाई को दूर करने की जिम्मेदारी है। उसी पर प्रदेश और देश में भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी। खाद्य मंत्री निश्चित रूप से जानते हैं कि बाहर से गल्ला ऐसी परिस्थिति में आना संभव नहीं, दूसरे सूबों से भी मिलना संभव नहीं, इसलिये उन्हें क्या चाहिये ? अगर खाद्य मंत्री या उनके दूसरे सहयोगी मंत्री इन बातों को बताते तो ज्यादा प्रदेश के हित में होता। मुझे अगर सुझाव देना है। तो मैं केवल खाद्य मंत्री को सुझाव दूं तो उससे

पूरा पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी देना ही है तो मैं आशा करता हूं कि खाद्य मंत्री जी इसको अपने सहयोगियों तक भी पहुंचावेंगे। सारी जिम्मेदारी मिलजुलकर इस समय उठावेंगे तो ज्यादा उचित होगा। रबी की फसल आगे आयेगी, लेकिन खरीफ की फसल से भी मंत्री जी अगर लम्बी चौड़ी आशा करें तो मैं साफ कहता हूं कि उससे आपको कुछ अधिक प्राप्त होने वाला नहीं है। कुछ इलाके पानी से डूब गये, तो कुछ सूख गये। सूखा हुआ इलाका हम लोगों का है और डूबा इलाका माननीय लखीसिंह जी का। एक तरफ भयंकर बाढ़ तो दूसरी तरफ भयंकर सूखा। और अगर भयंकर बाढ़ और भयंकर सूखा ऐसे क्षेत्रों से खाद्य मंत्री महोदय कुछ बाजरा, कुछ ज्वार, कुछ मकई, कुछ धान लेना चाहें तो केवल निराशा ही होगी। मैं इतना ही संकेत आपको कर देना चाहता हूं। अतिवर्षा और अनावृष्टि से जितनी चोट किसान को लगी है वह उससे खरीफ की फसल में संभल नहीं पायेगा और उसके ऊपर लेवी लगाना अनुचित होगा।

निर्ख मुकर्रर करने की बात है। अब तक मैक्सिमम और मिनिमम निर्ख मुकर्रर करने से हम हिचकते रहे। अब निर्ख मुकर्रर करके आप किसान से मोटा अनाज और गेंहूं लेंगे। खाद्यमंत्री जी कहते हैं कि हम दूकानदार से लेंगे तो दूकानदार काश्तकार से लेगा। या तो सारा भार अपने कंधों पर आप संभालें और अगर ट्रेडर्स से चाहते हैं तो उनका इतिहास इस देश में बहुत काला है। दूसरे युद्ध में, चीन के हमले के समय, दोनों का हमें तजुर्बा है। मुनाफाखोर तो लड़ाई मनाता है कि लड़ाई कहीं हो और उसका मुनाफा बढ़े। आप यह चाहते हैं कि ट्रेडर खरीद कर निर्ख मुकर्रर पर आपको पहुंचा दें इसमें शुबहा है। इसलिये अगर आपको सही तरीके से चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों का मुकाबला करना है और खाद्य स्थिति पर काबू रखना है तो दो बातों की तरफ आपको तवज्जह करनी पड़ेगी। एक तो बुनियादी बात यह है कि खाद्यान्न की पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सके और दूसरी बात यह है कि काश्तकार की जितनी लागत है, उस हिसाब से, उपज का उचित मूल्य मिले। उस मूल्य से उसको वंचित न किया जाय चाहे वह कानून के जरिये से या और तरह से उनको उचित दाम दिलाया जाय। युद्ध का संकट सामने रखकर काश्तकारों से सस्ता लेना काश्तकार के साथ अन्याय होगा।

बाबू भानुप्रताप सिंह जी ने एक बात पते की कही और वह बात मैं मानने के लिये बाध्य हूं। सरकार के पास कुछ एक्सपेरिमेंटल फार्म हैं जिन पर खाद्यान्नों को पैदा करके रखा जाता है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सालाना बजट में उन फार्मों पर हमेशा घाटा बताती है। उत्तर प्रदेश में काफी फार्म हैं हजारों एकड़ के लेकिन उन फार्मों में बराबर घाटा है। कुछ काश्तकारों के पास मुनाफा हो सकता है। बाबू भानु प्रताप सिंह जी के पास मुनाफा हो सकता है क्योंकि उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। अगर गेंहूं में घाटा है तो वह ऊख से पूरा होता है या और किसी में घाटा है तो वह दूसरी चीज मूंगफली से पूरा होता है लेकिन जिनके पास १,२,३,४, और ५ एकड़ जमीन है उसको तो घाटा ही घाटा है। जो अपने हाथ से काम करते हैं, जो २४ घंटे उसमें लगे रहते हैं, जो मजदूरी करते हैं उनको घाटा ही घाटा है। महंगाई की वजह से आज ग्रामीण लेबर की कीमत बढ़ गई है। उसको सरकार यदि गहराई से सोचे तो जो लोग बूढ़े हैं, जो अपने हाथ से नहीं कर पाते हैं वे काश्तकार खेती से पेट नहीं भर सकते साल में। यह बात ठीक है और कुछ उसमें बड़े काश्तकारों के पास अन्न बढ़ सकता है, लेकिन ४,६ एकड़ वाले काश्तकारों के पास कोई गुंजायश इस बात की नहीं है कि वह अपना पेट भरकर आपको लेवी के लिये दे सकें। लेवी का मतलब यह है कि ५,६ एकड़ वाला काश्तकार भूखा रहे। यह बात अपनी जगह पर सही है कि एक एकड़ या आधा एकड़ वाला काश्तकार इस संकट के समय में चाहता है कि उसे तकलीफ हो भले ही, अगर देश बच जाय और देश की रक्षा हो सकती है तो वह सब छोट काश्तकार अन्न मांगने पर आपको दन के लिये तैयार हैं और बराबर आपको देंगे। हम इस बात के लिये प्रतिज्ञाबद्ध हैं, देश और सारी पार्टी की, और सब की यह राय है कि हर प्रकार से सहायता करें। इस सदनमें यह प्रदर्शित हो चुका है कि पूरा प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश की विधान सभा इस लड़ाई के वक्त में एक राय है।

[श्री जे० पी० मिश्र]

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि एक साल अगर रबी की फसल अच्छी हुई और खरीफ की फसल अच्छी हुई तब तो बात ठीक है, लेकिन इसके पहले की फसल पाला मार गई। एक साल पूरी फसल पाला मार गई। उसके बाद एक फसल अच्छी हुई। रबी की एक फसल पूरी की पूरी पाला मार गई थी तो उसका असर इस प्रदेश की जनता के ऊपर और काश्तकारों के ऊपर बहुत पड़ा है। उस फसल का काश्तकारों के ऊपर इतना असर हुआ कि वह बीज का इन्तजाम नहीं कर सके हैं। अब आप उनसे लेवी लेने की बात कहते हैं। अगर आप सरप्लस समझते हैं तो क्यों गेहूं के लिये सहकारी बीज भंडार खोले हैं? क्यों काश्तकारों को बीज देते हैं? अगर काश्तकारों के पास इस तरह से गल्ला उनके मकान में रखा रहे तो क्यों वह सीड स्टोर के पास पहुंचे? जिस वक्त बोने का ख्याल आता है काश्तकार सरकार की तरफ बीज के लिये हाथ पसारता है। घर में रखकर कोई काश्तकार सवाई पर बीज नहीं ले सकता। तो आपको यह धोखा नहीं होना चाहिये कि काश्तकार एक सेर या १८ छटांक या २० छटांक का गेहूं बेच रहा है और इस वक्त बहुत मालामाल है। ऐसे भ्रम में खाद्य मंत्री और उनकी सरकार न फंसे। आज तो बम पड़ रहें है, लोहा पड़ रहा है, अगर हम किसी तरह से चौथी पंचवर्षीय योजना को पूरा कर सकें उसके बाद हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि काश्तकार ऐसी परिस्थिति में आ सकेगा कि वह थोड़ा बोझा आपका वहन कर सके और आपका थोड़ा बोझा झेल सके। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि किसी मामलों में भी आप ५–६ करोड़ काश्तकारों को सामने लाने की कोशिश न करें। उनपर आप लेवी का ध्यान इस तरह से सोच–समझ कर करें कि चाहे वह अल्प हो या अधिक हो, आपको अनइकोनामिक होल्डिंग वाले काश्तकारों की तरफ हर सूरत में तवज्जह देनी होगी। अगर उनको लेवी में ले आये, लगान बढ़ाने में ले आये तो इससे हम उनके प्रति बड़ा अन्याय इस कठिन समय में करेंगे। इतनी बात आपके माध्यम से कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)––

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं खाद्य मंत्री जी का भाषण अच्छी तरह से सुनता रहा, लेकिन मुझे दुःख है कि जो इस खाद्य स्थिति से संबंधित मंत्री हैं वह तो हैं नहीं, कहूं किससे? न कृषि मंत्री है, न नहर मंत्री है और न जिनसे काश्तकारों का रोजाना पाला पड़ता है वह बनारसी दास जी हैं। राजस्व मंत्री जी वसूली करने वाले हैं, जो अमीन भेज कर किसान को ठोकवाते हैं और हवालात में बन्द करने वाले मंत्री हैं वह भी नहीं बैठे हैं। हैं बैठे हैं तराजू वाले। तराजूबाट लेकर खाद्य मंत्री जरूर बैठे हैं कि तराजू बांट लेकर बांट दें।

उन्होंने एक अजीब बात कह डाली कि किसान खा बहुत जाता है। हम तो किसान के बीच में रहते हैं, किसान भी हैं। छोटी मोटी जमीन है। लेकिन अन्दाज ऐसा लगता है कि खाद्य मंत्री जी यदि किसान नहीं हैं तो किसानों के बीच में रहने वाले हैं, उन्हें यह पता नहीं कि किसान खा कैसे जाता है। खाना उस को चाहिये। जिसने कृषि का काम किया है, फावड़ा चलाया है, वह खायेगा जरूर और ज्यादा खायेगा। मंत्री जी को तो भूख ही नहीं लगती। लेकिन किसान के अलावा भी और दूसरे लोग खाते हैं और दिन भर खाते रहते हैं। कभी संतरा खात हैं, कभी अंडा खाते हैं, कभी बिस्कुट और कभी अंगूर खाते हैं। उनका बेकार ही में दिन भर मुंह चलता रहता है और चौबीस घंटे किसान को नींद नहीं आती, इसलिये कि उसके ऊपर ही तो देश का भार है। उसका एक बेटा जंग में जूझ रहा है और दूसरा बेटा खेत में जूझ रहा है। जंग का भी सारा भार किसान पर ही है। लेकिन आज सरकार और मंत्री जी की आदत तो हमारे यहां के मंगतों जैसी हो गयी है। इसी तरह से सरकार कभी उत्पादन के लिये सच्चाई से परवाह नहीं करती इसलिये कि जब उसे जरूरत होती है भीख मिल जाती है। जब कोई ज्यादा खतरा होता है तो सरकार के कान खुलते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब इस खतरे के समय पर काम कैसे चले यह एक सवाल है। मैं आपको इसका हल बतला सकता हूं। आप पंजाब की सरकार को अपना गुरु बना लीजिये। वहां गल्ला क्यों ज्यादा पैदा होता है। वहां किसान और सरकार में पूरा पूरा सहयोग है। किसान की नीति सरकार जानती है और वह समझती है कि किसान को कब किस चीज की जरूरत है। आप के यहां क्या होता है? कलेक्टर का हुक्म आयेगा तो बीज दे देंगें, वह सूचना देगा तो खाद दी जायगी, नहर का इंजीनियर जब खबर देगा तो सिंचाई का इन्तजाम हो जायगा। यह कभी नहीं चल सकता। श्रीमन्, उधर के माननीय सदस्य भी टिकट वगैरह के चक्कर में आ कर दब जाते हैं, लेकिन कभी कभी सच बात कह देते हैं। मिश्रा जी ने आज सही बात कही, लेकिन इधर के माननीय सदस्य बराबर अपनी बात कहते रहते हैं। उन की आप तीन, चार बातें मान लीजिये तो आप का काम चल जाय। और मैं चाहूंगा कि यह बातें कृषि से संबंधित सारे मंत्रियों के पास पहुंच जानी चाहिये। अगर वह किया जाय तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इतना ज्यादा गल्ला पैदा होगा कि आपको विदेशों में जा कर गल्ला मांगने की जरूरत न पड़ेगी। आपको चाहिये कि किसान को जहां पानी की सुविधा न हो वहां पर फौरन पानी का इन्तजाम किया जाय। अभी मास्टर साहब ने बतलाया कि चावल उन के यहां सूख रहा है, नहर अधिकारी पानी नहीं दे रहें हैं। बताइये, कैसे उत्पादन होगा? धान सूख रहा है, धान के पौधे सूख कर जमीन में लग गये और नहरों के इंजीनियर तथा चीफ इंजीनियर यहां लखनऊ में, अपने कानों में तेल डालकर सो रहें हैं, नहर में पानी नहीं चल रहा है, फिर चावल कैसे पैदा हो सकता है मेरठ और सहारनपुर जैसे जिलों में? मंत्री जी तो बस अपने कलेक्टर की बात ही मानते हैं, इधर या उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य जो भी सुझाव देते हैं उनको वे नहीं मानते हैं।

इस संबंध में मेरा पहला सुझाव यह है कि खाकी वीरान म पानी का इन्तजाम करो, दूसरी बात यह है कि गेहूं के लिये जब पानी की जरूरत हो तब उसे पानी दो, क्योंकि बिना चार पानी के गेहूं ठीक से पकता नहीं है। हम देखते हैं कि पहला पानी लगाया जाता है यानी भूड़ भरा जाता है तो फिर दूसरा पानी यानी पखारा नहीं लग पाता या अगर पखारा लग गया तो तिखारा नहीं लगता और इस तरह से गेहूं अधपका ही रह जाता है। इसलिये पानी का इन्तजाम ठीक करिये। जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि बहुत से ऐसे स्थान हैं जो पानी से भरे रहते हैं। मेरे मथुरा जिले में तथा आगरा जिले के एक हिस्से में पानी ही पानी भरा हुआ है। हमने अपने बी० डी० ओ०, डी० पी० ओ० तथा जिलाधीश महोदय से कई बार कहा है कि यह इलाका हर साल बाढ़ ग्रस्त हो जाता है, यहां गर्की हो जाती है इसलिये इस इलाके के लिये धान के बीज मंगाइये ताकि यहां चावल की पैदावार हो। यहां पानी भरा रहता है और रबी की फसल के लिये जमीन निकल नहीं पाती, लेकिन वहां धान का बीज उपलब्ध नहीं होता क्योंकि वहां कोई सुविधा नहीं है। ऐसी जगहें हैं जहां बहुत रकबे में पानी भरा रहता है वहां के लिये कृषि मंत्री जी धान के बीज के लिये सुविधा नहीं करते और वहां बीज ही नहीं पहुंचता जब कि धान वहां पैदा होना चाहिये। जहां खाकी जंगल या वीरान है वहां सिंचाई का पूरा इन्तजाम होना चाहिये। पूंजीपतियों या मिल मालिकों से लेकर जो खाद आप किसानों को देते हैं, कि वे कृषि का उत्पादन करें तो आप उनको कम से कम दो साल के लिये फ्री खाद दीजिये, उनसे उसके पैसे मत लीजिये और साथ ही किसानों के मनोबल को बढ़ाने के लिये कम से कम दो साल उन पर लगान आबपाशी मत बढ़ाइये। जहां दूसरे देशों की और बातों की आप नकल करते हैं वहां उनकी इस बात की भी नकल करें कि दूसरे देशों में किसानों ने कैसे उत्पादन किया है और किस तरह से किया है। साथ ही उनके ऊपर आप पानी का टैक्स भी आधा कर दें, लगान को आधा कर दें। पूर्वी जिलों में भी यह बात है, वहां भी ज्यादा गरीबी है।

मैं आपको पश्चिमी जिलों की बात बतलाता हूं कि सैकड़े पीछे ७० किसान ऐसे हैं जिनके पास बैल नहीं हैं, वे भैंसों से खेती करते हैं क्योंकि बैल खरीदने के लिये उनक पास पैसे नहीं हैं। जो बैलों द्वारा खेती हो सकती है वह भैंसों द्वारा नहीं हो सकती क्योंकि भैंसा बैल के बराबर

[श्री लखीसिंह]

नहीं कमा सकता है। धूप निकलते ही भैंसा लोट जाता है और थोड़े दिनों में मर जाता है। पुरानी कहावत है कि जहां बैल न होगा वहां खेती न होगी। यह पुरानी बात चली आ रही है। इसलिये आपको चाहिये कि आप बैलों के लिये तकावी दें। आज जो आपकी अष्ट नौकरशाही है इस पर भी आपको लगाम रखनी पड़ेगी। गांवों में जो तकावी राममूर्ति जी के विभाग द्वारा कुयें के लिये दी जाती है १ हजार रुपये की, उसमें से २५० रु० तो आपका बी० डी० ओ० ही खा जाता है, ७५० रुपये किसान को मिलते हैं। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा।

सरकार की जो वितरण व्यवस्था है वह भी सही नहीं है। वह बड़ी गड़बड़ है। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कि १ हजार की आबादी हो और उसमें ६०० आदमी ऐसे न हों जो तीन वक्त में एक ही वक्त रोटी खाते हों। जब फसल का समय होता है तब तो उनको मजदूरी अच्छी मिल जाती है, वरना वे खाली रहते हैं। आप लोगों को चाहिये कि उनके लिये राशनकार्ड की व्यवस्था करें। उनको राशन से गेंहूं मिले। उनकी आप परवाह नहीं करते। जिन २५-३० आदमियों को राशन कार्ड मिले भी हैं उनको राशन नहीं मिलता। यह जो आपका आटा है, इसमें मुनाफा तो दुकानदार को खास मिलता नहीं, इसलिये वह उसको ले नहीं जाता, जब वह ले नहीं जायेगा तो किसान खरीदेगा कहां से? आपका वितरण सही नहीं है। आप मिल मालिकों को, मिल वालों को गेंहूं पीसने के लिय क्यों देते हो? उनको देने की क्या जरूरत है? आप सीधे गरीब मजदूर को गेंहूं दीजिये, वह खुद पीस लेगा। गांव में हाथ से पीसने की चक्कियां हैं।

यह जो आप मिल वालों को पीसनें के लिये गेंहूं देते हैं, इसके पीछे एक रहस्य है, इस सरकार का एक राज है, घपला है। चाहे आप उनसे रुपया ऐंठते हों, या और कोई रहस्य हो, उसमें रहस्य है। माननीय मंत्री जी अगर उस आटे को ३ दिन खा लें तो लखनऊ में उनके लिये डाक्टर नहीं मिलेगा। ये तो वही किसान हैं जो उस आटे को खाकर जिन्दा रहते हैं। न जाने उसमें क्या क्या धूल और खाक मिली रहती है। इन मुनाफाखोरों को न अर्थ की जरूरत है और न देश की जरूरत है चाहे देश रसातल को जाय। श्रीमन्, मेरा सुझाव मानिये और इन मिल मालिकों को गेंहूं पीसने के लिये न दीजिये। उन किसानों को सीधे आप गेंहूं दें। यह हमारे अनुभव की बात आप करके देखिये।

मैं एक बात और कहकर समाप्त करता हूं। आप ऐसा करिये जहां जल प्रलय हो गई है, जिसके लिये आज भी मेम्बरान में काफी बहस हुई है, वहां कम से कम उन गांवों में सस्ते गल्ले की दूकानें खुलवा दीजिये और वहां गल्ला भेज दीजिये। इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बातों पर ध्यान देंगे।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह का यह प्रस्ताव पाकिस्तान के आक्रमण के समय था, जिसकी स्थिति पर यहां वाद विवाद हुआ है मेरा ख्याल है, इतने गंभीर सवाल को हमारी सरकार ने कुछ गंभीरता से नहीं लिया और जैसा कि अभी कई पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यह खाद्य समस्या इन दिनों उतना ही महत्व रखती है जितना कि सीमा पर लड़ने वाले हमारे सिपाही काम कर रहें हैं, सो उतना ही महत्व देश की खाद्य समस्या को है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा इस सवाल को अगर सरकार गंभीरता से देखती तो जरूरी था सिंचाई मंत्री का होना, जरूरी था मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री का होना तो मैं समझता कि यह प्रस्ताव इस प्रदेश में कुछ गंभीरता से लिया जा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने संकट से देश आज गुजर रहा है, कुछ राजनीतिक जादूगरी से काम चलने वाला नहीं है, हर संकट को कुछ कागजी तर्क और दलीलों के सुलझाने का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समय नहीं। अब तो वास्तव में देखना है कि जो हम चीज चाहते हैं जनता से वह हमारे विभाग और हमारे सरकारी कर्मचारी उसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो जरूरी है कि सरकार कुछ सख्त कदम उठाये। देखने में यह आ रहा है कि इस संकट काल में हमें सख्त काम उठाने चाहिये उन कर्मचारियों के खिलाफ जो आज भी अवहेलना कर रहें हैं पब्लिक को परेशान कर रहें हैं और जो काम करने के तरीके हैं उनमें बजाय सहयोग के एक रोड़ा बन रहे हैं। जो आज देश के लिये तन मन धन अर्पण कर रहें हैं ऐसे लोगों को देखते हुये कुछ सख्त निगाह सरकार की होनी चाहिये।

आज ही माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बयान दिया है। उसको मैंने पढ़ा। उसमें उन्होंने जो जरा सा इशारा किया है, मैं उसको अच्छा कदम समझता हूं। उन्होंने लिखा है कि गर जरूरी इमारतें बनाना रोक दिया जाय और सीमेंट का इस्तेमाल उत्पादन और सुरक्षा के कामों में किया जाय। मैं रात ही गाजियाबादा से सवार हुआ हूं। गाजियाबाद मास्टर प्लान में सड़क को चौड़ी करने के लिये मकान गिराये जा रहें हैं। आसपास के ३० गांवों को उजाड़ दिया गया है दिल्ली के जो कुछ बड़े उद्योगपित हैं केवल उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये। अभी माननीय नवल किशोर जी ने बयान दिया कि छतों पर पैदावार की जाय। एक मंत्री जी गाजियाबाद ११–१२ की रात को गये थे और कहां कि गमलों में पैदावार बढ़ाई जाय। यह सरकार की कथनी और करनी में जब तक फर्क है तब तक कुछ हो नहीं सकता और जनता अधिक दिनों तक इसको बरदाश्त नहीं कर सकती। कहां तो आपका यह कहना और कहां ३०–४० गांवों की जमीन का खाली पड़े रहना। भला देखिये १५० फीट, ८० फीट चौड़ी सड़कें बनायी जा रहीं हैं और उनके लिये मकान गिराये जा रहे हैं। किस लिये ? केवल जगहों को खुशनुमा बनाने के लिये। मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे गाजियाबाद में ३० गांवों के किसानों की जो जमीन बेकार पड़ी हुई है उसको किसानों को दिलवा दें, उसमें पैदावार को बढ़वायें यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। इसलिये यह बेकार पड़ी हुई जमीन किसानों को दे दी जाय।

गांव सभाओं के प्रधान खेती नहीं कर सकते, लेकिन जमीन उन्होंने अपने कब्जे में कर रखी है। वह खेती करने वालों को दी जाय अथवा भूमिहीनों को दे दी जाय तो पैदावार बढ़ जायगी। इसी प्रकार से नजूल और इम्प्रूवमेंट की जमीनें भी बेकार पड़ी हुई हैं और आप कहते हैं कि गमलों में खाद्यान्न पैदा किये जायं। इससे न आप पैदावार ही बढ़ा सकेंगे और न लड़ाई ही जीत सकेंगे। माननीया मुख्य मंत्री जी ने जो इशारा किया है, वह अच्छा है। लेकिन मैं जानता हूं कि ट्यूबवेल के आपरेटर वगैरह से किसानों को सहयोग मिलने वाला नहीं है। हमें काम करने की फिजा पैदा करनी चाहिये, लेकिन यहां तो मीटिंग्स एड्रेस करने की आदत पड़ी हुई है। आज भी मंत्रिगण दौरों पर सैंकड़ों गैलन पैट्रोल फूंक रहें हैं। संकटकाल का कुछ तो ख्याल करना चाहिये लेकिन वे लोग तो शो बाजी में लगे हैं।

अभी मैंने ट्यूबवेल का नम्बर देकर, एक प्रश्न किया था कि ३ बार नाली बनायी गई और तीन बार टूट गयी पर सरकार ने कहा कि बिलकुल ठीक है लेकिन वह नाली अब भी टूटी हुई है। इस संकटकाल के समय सही रूप से काम तो किया जाना चाहिये और सही सूचना तो सदन को मिलनी चाहिये और जो सरकार इस प्रकार की गलत बयानी पर विश्वास करती है वह हरगिज भी पैदावार नहीं बढ़ा सकती। इसलिये जो लोग गलत बयान देते हैं उनको सख्त सजा दी जानी चाहिये तभी किसानों की पैदावार बढ़ सकती है। किसानों को कृषि का उन लोगों से भी अच्छा ज्ञान है जिन लोगों को आपने कृषि पंडित की उपाधि दी है। किसान उनसे ज्यादा जानता है। उन से ज्यादा गांव की समस्या को किसान स्वयं जानता है, उसको मौसम का हाल मालूम है, वह अन्दाज से बता देता है कि बारिश होगी या नहीं, लेकिन उस को साधनहीन करके और अनेक पाबन्दियां लगा कर उस को मजबूर न किया जाय। मैं साहस पूर्वक कहूंगा कि खेलते हुये किसान को सरकार रूलावे नहीं और खामख्वाह उसके काम में अड़ंगे बाजी न करे।

[श्री रामचन्द्र विकल]

मैं पंजाब का उदाहरण आप के सामने रखता हूं, मैं पंजाब के पड़ौस का रहने वाला हूं और मैं वहां जाता हूं और मैंने वहां की हालत को भी देखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारे छोटे-छोटे कर्मचारी गांव में जाकर पैदावार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हल को चलाने वाले खेत में बीज बखेरने वाला किसी की फिक्र नहीं करता, वह किसी की तरफ नहीं देखता। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि भूतपूर्व पंजाब के मुख्य मंत्री श्री कैरों जो खुद खेती करना जानते थे और उन्होंने वहां की खेती की समस्या को हल किया। मैं आप को बताना चाहता हूं कि गुरगांवां जिला एक ऐसा जिला था कि जहां एक इंच भी जमीन पहले नहीं सींची जाती थी, लेकिन आज वहां नहर, नलकूप आप किसी भी गांव में चले चायें आप को दिखाई देंगे। वहां पर खेत-खेत पर सरकारी नलकूप हैं या अगर वह नहीं हैं तो प्राइवेट नलकूप लगे हैं। लेकिन यहां उनको न तो प्राइवेट कनेक्शन दिये जाते हैं न उन केलिये सरकारी सिंचाई का प्रबन्ध करते हैं, दोनों तरह से आज उन को परेशान किया जाता है। पैदावार आप कैसे बढ़ायेंगे क्या कागजी घोड़ों से या बहस करने से ही पैदावार बढ़ जायगी ?

कैरों ने अपने यहां एकबात यह की कि उस ने अपने अफसरों को सख्त हिदायत की कि किसान जहां पानी मांगे जिस वक्त मांगे, बिजली का कनेक्शन मांगे वह उसे फौरन दिया जाय। आज वहां केवल गुड़गांवा में ही नहीं, अम्बाला, करनाल जिले में पंजाब में बिजली और पानी का खेत खेत पर प्रबन्ध किया गया है जहां कि आज से दस साल पहले पानी का नाम नहीं था। आप यू० पी० के बोर्डर पर ही पंजाब में देख लें कि एक खेत पर, दूसरे पर और उसी के बराबर में तीसरे पर जितने कनेक्शन मांगे गये हैं वह बराबर दिये गये हैं, इतना ही नहीं वहां ६-६ हजार रुपया नलकूप के लिये किसानों को तकावी दी गई कम सूद पर और वहां पर किसान को खाद लेने के लिये या किसी चीज के लिये मजबूर नहीं किया गया। आज भी जो संकट पंजाब में आया हुआ है वह अभी यू० पी० में नहीं है। भगवान करे न हो, लेकिन वहां की जनता जिस तरह पैदावार बढ़ाने के लिये कटिबद्ध है, उनकी आदत है मेहनत करने की और वह इसीलिये है कि वहां सरकार की तरफ से अड़ंगेबाजी नहीं है और वहां सरकार की तरफ से मदद दी जाती है न कि सरकारी अफसर और काम को रोकते हों। यहां संकट काल में भी काम रोका जा रहा है। आज इस तरह की यहां अनेक योजनायें हैं जिन का संकट काल में कोई सदुपयोग नहीं है। यहीं लखनऊ में आप देखें कि गोमती के किनारे सजाये जा रहे हैं और करोड़ों रुपया इस पर व्यय हो रहा है। क्या संकट काल में ऐसी योजना रोकी नहीं जा सकती ? हमारे इंजीनियर्स ने एक ऐसी कास्टली योजना बनादी कि जिस में इतनी लम्बी दीवार बनाई जा रही है और गोमती के किनारों को सजाया जा रहा है, इस तरह की योजना से कोई सुधार नहीं होगा। जो ३ करोड़ अब और २ करोड़ पहले ५ करोड़ रुपया बाढ़ से बचाने के लिये आया था वह सब लखनऊ पर गोमती के किनारे सजाने में खर्च हो गया। इसी तरह से बहुत सी फिजूलखर्ची की योजना चल रही हैं उन्हें रोककर आप किसान को पानी दें उनको बिजली दें। सहारनपुर जिले के बाद नहरों का पानी बुलन्दशहर, मथुरा, अलीगढ़ में बहुत तेज जाता है वह ठीक से इस्तेमाल हो तो पैदावार बढ़ सकती है। बरसात में गंगा और जमुना का पानी बेकार जाता है, लेकिन बावजूद हाउस मेंकहने के, लिख कर देने के अभी भी वहां नहरें नहीं चलाई गई जबकि ईख के लिये और अगली फसल की तैयारी के लिये पानी की बहुत जरूरत है। इस कागजी बहस से कोई लाभ नहीं, कोई मंत्री सुनने वाला नहीं, सरकारी अफसर भी सुनने वाला नहीं, उन को किसानों का दर्द नहीं है, मैं यह कहने के लिये क्षमा चाहूंगा कि यहां के मंत्रिगण भी किसानों के दुख दर्द की समस्या से वाकिफ नहीं है, वाकिफ होते तो ऐसा नहीं होता। आज जब माननीय मंत्री जी का भाषण होता है तो ये गैलेरी खचाखच भर जाती हैं लेकिन जब हम कहते हैं कि गम्भीर समस्या है तो न कोई सरकारी कर्मचारी और न कोई मिनिस्टर ही यहां पर होता है। वे यह समझते हैं कि यहां पर कागजी वादविवाद होकर खत्म हो जायगा।

समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को यह मुगालता है कि उनसे बढ़कर कोई पंडित नहीं है। ऐसा जाहिर होता है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों और माननीय मंत्रियों के लिये यह संकट-कालीन स्थिति नहीं है।

जहां तक मनोबल का सवाल है मैं काफी शहर और गांवों में घूम कर आया हूं। वे हर प्रकार की सहायता देने को तैयार हैं, वे खून दे रहे हैं, उनका मनोबल बहुत ऊंचा है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे गलत कामों से उनका मनोबल गिर जाय। यह देश के लिये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी होगी जब हम उनके मनोबल को अपने कारनामों से गिरा देंगे।

आज अनेक कार्य ऐसे हैं, जिनसे पैदावार बढ़ सकती है। आपको चाहिये कि जो शुगर की मिलें हैं, उनको बन्द कर दिया जाय। जब ये फैक्ट्रीज बन्द हो जायेंगी तो मजबूरन किसान गुड़ बनायेगा। इससे भी खाद्य समस्या हल होगी और जो इस समय देश में शुगर की बीमारी हो जाती है, वह भी न होगी। एक वैद्य का कहना है कि जिस व्यक्ति को शूगर की बीमारी होती है अगर वह राब से निकले शुद्ध शीरे को पीये तोउससे यह बीमारी दूर हो सकती है। मैं समझता हूं कि इन मिलों को बन्द किया जाय और देखा जाय कि इससे खेती बढ़ती है अथवा नहीं। गुड़ एक खाद्यपदार्थ है। गुड़ को खाकर किसान कई घंटों काम कर सकते हैं। गुड़ और मट्ठा उनका नाश्ता होता था, लेकिन आज ये सब चीजें खत्म कर दी गयी है। आज बाजारों में धुली दालें आती हैं, कुटा हुआ मसाला आता है और पीसी हुयी हल्दी, मिर्च और आटा आता है। इन चीजों से हमारी खाद्य समस्या हल होने वाली नहीं है। आज जो हमारे बड़े-बड़े लोग हैं उनके खाने की कितनी कितनी आइटम हैं एक वक्त की? मैं नहीं समझ पाता कि उनके खाने में शुरुआत कहां से होती है और कहां अन्त होता है। ये लोग आज हमारी खाद्य समस्या को सुलझाने वाले बने हुए हैं। मैं नहीं समझता कि उनकी किसी आईटम में कमी आई हो। आज पेट रखने वाले किसान और मजदूर जो हैं वे उनके आदेश के मोहताज हैं तो यह मोहताजी बन्द हो जानी चाहिये। हमारे महानुभाव हैं वे अपना सादगी का जीवन बितावें।

माननीय मंत्री जी ने एक अच्छा स्टैप लिया अगर यह ऊपर से होगा तो खाद्य समस्या पर और जनता के नैतिक स्तर पर और जो जवान हमारे इस समय लड़ रहे हैं, उनका इसका एक अच्छा असर पड़ेगा। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज जिस कदर हमारी जनता में मनोबल है, चीन की लड़ाई की धमकी के बावजूद भी, अगर हमारी सरकार सही रूप से उनके मनोबल को इस्तेमाल करे तो मैं समझता हूं कि देश कहीं ऊंचा उठ सकता है। आज हमारे किसान तन मन और धन देने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा मनोबल यहां बढ़े रहने की जरूरत है। मैं तो बड़े विनम्र शब्दों में प्रार्थना करूंगा कि खाद्य समस्या के लिये किसानों को पानी दें, जो गलत सूचना देने वाले हैं, उनको सजा दें। उसी से प्रदेश की जनता का मनोबल ऊंचा होगा और जो हमारे सिपाही हैं, वे रणभूमि में विजयी होंगे।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश के सामने जो परिस्थिति है उसी संबंध में हमें आज सोचना है कि हम मौजूदा हालात में कितने दिन तक अपनी जनता का मनोबल, उत्साह, पेट इन तमाम-चीजों की तरफ ध्यान दे सकते हैं। आपको मालूम होगा कि पंजाब के अन्दर इस समय जो हालत है जगह-जगह आग लगा रही है, एक-एक हजार पाउन्ड के बम गिरा रहे हैं, लोग मकानों के नीचे दबकर मर रहे हैं, आज हम यह उम्मीद करें कि वे लोग हमारे हौसले के बगैर, हमारी सहायता के बगैर जो कि ज्वाला से जरा दूर हैं, बहुत लम्बा अर्सा बिता पायेंगे, यह कुछ असम्भव सा नजर आता है। अभी हाल ही में बार्डर एरियाज से तरन तारन और कुछ साथ मिला हुआ जो इलाका है खासतौर पर जम्मू के इलाके के बहुत से लोग इस ज्वाला में जलते भुनते कामयाब हुए हैं देश के भीतरी हिस्सों में आने केलिये। हमें सिर्फ अपना ही नहीं सोचना चाहिये कि हम साढ़े ७ करोड़ जनता को इस वक्त खाना खिलाने के लिये जिम्मेवार हैं। हमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

तो साथ में यह भी सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार से फ्रन्ट लाइन पर बसने वाले लोग जो हैं उनके जीवन को भी साधन जुटाने पड़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि महीना डेढ़ महीना हो गया इस लड़ाई को शुरू हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी है। पश्चिमी जिलों में खास तौर पर सहारनपुर में थोड़ा-सा एहसास होने लगा जिस दिन से अम्बाला में बम पड़े, क्योंकि दोनों के बीच में ७ मिनट का पर्क है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमें जहां इन तमाम चीजों की तरफ ध्यान देना है वहां भीतरी दुश्मनों से भी आगाह रहना है। भीतरी हमारे जो दुश्मन हैं वे उससे ज्यादा मुसीबत के बायस हो सकते हैं। पिछले शुक्रवार और शनिवार की रात सुबह ४ बजे मिलिटरी के अस्पताल के ऊपर, गिरजाघर के ऊपर, माडल टाउन के ऊपर आक्रमण होता है और सहारनपुर के शहर के अन्दर जो मिलिटरी सेन्टर है, जहां से चीनियों से रक्षा हेतु लाखों की तादाद में खच्चर पैदा किये जाते हैं उस सेन्टर से लेकर रेलवे स्टेशन तक की बत्तियां खुद जल जाती हैं रास्ता दिखाने के लिये कि इस एरिया में आप बम्बार्ड कर सकते हैं। जिस वक्त बिजली कम्पनी को इत्तला की जाती है कि ये बत्तियां कैसे जल रही हैं तो कम्पनी के आदमी आन ड्यूटी इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि साहब हम क्या करें हमारी क्या जिम्मेवारी है। डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज से जा कर बताया जाता है, लेकिन यहां का हाल ही निराला है, चोर ले जाओ पकड़कर थाने में तो उसे कुर्सी पर बिठा लेते हैं और चोर देवता आ जाते हैं उसे छुड़ाने के लिये। किसी बदमाश को पकड़ कर लाया जाय तो दस उसके साथी आजाते हैं। इस तरह के जो देशद्रोही अपने अन्दर मौजूद हैं उनसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।

दूसरी चीज की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जितनी मिलटरी स्पेशल्स पंजाब में चल रही हैं वे सहारनपुर के थ्रू चल रही हैं। पिछले सोमवार को २० तारीख को हाउस स्थगित हुआ। मैंने देखा कि लखनऊ स्टेशन, बरेली स्टेशन पर अन्धेरा था, लेकिन ज्योंही रामपुर पहुंचा वहां देखा कि खूब बिजलियां जल रही थीं। मुरादाबाद में उससे भी ज्यादा रोशनी थी। आपके आदेश अगर गये हैं प्रान्त के अन्दर ब्लैक आउट के लिये तो रामपुर और मुरादाबाद पर क्यों लागू नहीं होते? उसके बाद आगे बढ़ा तो सब जगह ब्लैक आउट था। इसके लिये आप जरा इंक्वायरी कीजिये कि वहां पर चारों तरफ क्यों जगमगाहट थी।

आप को याद होगा, पिछले साल १० अप्रैल को जो ट्रेन डाउन आती है देहरादून से कलकत्ता जाने वाली रेल लगोना तथा मुरादाबाद के बीच में रेलवे लाइन को उखाड़ कर उसे गिराया गया। तो यह एक लिंक बनता चला जा रहा है। जगह जगह बम विस्फोट हो रहे हैं और हर बम विस्फोट में पाकिस्तानी एजेंट पकड़े जाते हैं, लेकिन अगर किसी मुसलमान का नाम ले लिया जाय तो हमको कम्युनलिस्ट कहा जाता है। अगर किसी आफिसर से हम जाकर शिकायत करते हैं तो दस साथी उसके आ कर कहते हैं कि यह तो बड़ा शरीफ आदमी है। पिछले महीने एक पाकिस्तानी पुरानी मस्जिद में पकड़वाया गया। इर्द-गिर्द किसी मुसलमान का मकान नहीं था और रात को वहां १०, १५ आदमी जमा होने लगे। पुलिस से कहा तो जवाब मिला कि जब तक ऊपर से आदेश न मिल जाय तब तक मस्जिद में जा कर कैसे पकड़ा जा सकता है। फिर सी० आई० डी० को पटाया गया। उस आदमी को जबरदस्ती गिरफ्तार करके थाने पर पहुंचाया गया, उसे सजा हुई और साबित हुआ कि पाकिस्तान से आया हुआ है। कुछ नेता लोग धमकी देने लगे अच्छा निपट लेंगे और जिसने पकड़वाया था उसका १०७, ११७ में चालान करा दिया गया। कांग्रेसी नेता उसमें मदद करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मायर जी, यह फूड डिबेट है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

यह भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति के सन्दर्भ में खाद्य स्थिति पर विचार। माननीय मायर जी इसलिये उस तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

जो विवाद हो रहा है वह पाकिस्तानी आक्रमण को सामने रख कर हो रहा है। अगर इस प्रकार के लोग हमारे बीच में कार्य करते हैं तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी? अब सवाल हमारे सामने यह आता है कि अगर आपकी पुलिस इतनी सतर्क नहीं है, आपके आफिसर्स इतने सतर्क नहीं हैं तो आशा कैसे कर सकते हैं कि आपका डी० एस० ओ० सतर्क रहेगा? वह तो चौबीसों घंटे उन्हीं के बीच में रहता है। अब आपके परमिट का सवाल है तो यह होता है कि इतने हिन्दू को मिलने चाहिये और इतने मुसलमान को मिलने चाहिये, कोआपरेटिव सोसाइटीज का सवाल है तो यह होता है कि उसके प्रेसीडेंट्स इतने हिन्दू होने चाहिये और इतने मुसलमान होने चाहिये। बावजूद इसके कि हमको आजादी प्राप्त किये हुये १८ साल हो गये हैं लेकिन यह बातें हमारे दिल और दिमाग से बाहर नहीं निकली हैं। अभी जब पाकिस्तान से लड़ाई शुरू हुई तो हमारी फौजें आगे बढ़ने लगीं इससे हमारे यहां की जनता का मनोबल ऊंचा होने लगा। इसके बाद ९ तारीख को हमें सूचना प्राप्त हुई कि हमारी फौजों को पीछे हटना पड़ा, वह किन्हीं कारणों से हो। इस दौरान में मैंने और माननीय नेकराम शर्मा जी ने अविश्वास के प्रस्ताव से अपने नाम वापस ले लिये। हमने कहा कि हमारे देश की हालत ऐसी है इसमें हम इसको परस्यू करना नहीं चाहते हैं। हम एकता चाहते हैं हम देश के लिये साधन जुटाना चाहते हैं और हम सरकार की मदद करना चाहते हैं। सरकार हमारी मदद ले या न ले, लेकिन हम मदद करना चाहते हैं। कुछ भाइयों ने मजाक उड़ाया कि आज की और परसों की स्थिति में क्या अन्तर हो गया है? हमने कहा कि परसों हमारे दिल ऊंचे उछल रहे थे क्योंकि हमारे जवान आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आज पीछे हट रहे हैं। यही बड़ा भारी फर्क है। आज नहीं तो कल हम लोगों को सेकेन्ड लाइन बनानी पड़ेगी, आगे वालों का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा और उन तक खाना तथा कपड़ा पहुंचाना पड़ेगा, उनके लिये उपज बढ़ानी पड़ेगी।

श्रीमन्, आप देख रहे हैं कि उपज बढ़ाने का जो तरीका है वह कितना गलत है। आपने एग्रीकल्चर आफिसर्स जगह-जगह पर कायम कर रखे हैं। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा है जिसने एक्सपेरीमेंटल फार्म पर प्रोडक्शन बढ़ा कर दिखाया हो? क्या इनमें से किसी ने देहात में जाकर किसानों को कोई मदद दी है? ये लोग अपने आफिस में बैठे रहते हैं। यह कागजी सरकार कागज पर ही निर्भर रहती है। आपको याद होगा कि खाद्य मंत्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया था मैंने प्रश्न किया था कि सन् ६१ में सहारनपुर में १,८७,००० की आबादी थी और प्रदेश में ८ फीसदी बढ़ोत्तरी हुई तो इस हिसाब से २ लाख १ हजार आबादी होती है और ८६ परसेंट को राशन देते हैं। इस हिसाब से १,७०,००० यूनिट होनी चाहिये। लेकिन हमारे यहां २,३७,००० यूनिट्स हैं। लेकिन यह कह दिया गया कि यह सत्य से परे हैं। जांच हुई और शायद मंत्री जी भूल गये। एक डिपो होल्डर को हमने विश्वास में लिया। उसने लिखकर दिया कि इतनी जाली यूनिट हैं। एक मैजिस्ट्रेट ने दो डिपो का निरीक्षण किया मैजिस्ट्रेट का तबादला हो गया था। उनको रोक लिया गया था। इनमें ५/५ हजार यूनिटें जाली पाई गईं। यहां जवाब दिया है कि २,२७,००० की आबादी है। मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। यह कैसे हो सकता है? दस हजार यूनिट फिर भी आपने माना जाली हैं। वहां पर ६० हजार यूनिट अब भी जाली मौजूद हैं। मैं आपको बताता हूं कि जिन डिपोज से पांच हजार यूनिट जाली पकड़ी गयीं दोनों एक ही आदमी के थे। उन पर काम करने वाला एक ही आदमी है। उसने पचास हजार की जमीन

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

नीलाम में खरीदी है डिस्ट्रिक्ट रिपयूजी आफिसर से इसी दौरान में एक ट्रक चलने लगी है। पचास हजार की जमीन और चालीस हजार की ट्रक बाकी का हिसाब मेरे पास नहीं है। तीन हजार रुपये की आमदनी जिसमें दो सौ रुपये इंस्पेक्टर को बाकी सब बचेगा। पिछले महीने में इंस्पेक्टरों ने हर डिपो पर दो सौ यूनिट बढावा दिया। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी हमारी है। जाते हैं दो सौ यूनिट अपने आप बढ़ा देतेहैं, आधी आधी आमदनी बट जाती है।

मुझे बड़ा अफसोस होता है डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिस के इर्द-गिर्द मकान बन रहा है। एक बोरे की सीमेन्ट परमिट से प्राप्त नहीं हुई लेकिन मकान बन रहा है। आज झांसी का एक प्रश्न आया था। दस बोरे चीनी के पकड़े गये। इंस्पेक्टर ने जा कर पकड़ा और सुबह फैसला हो गया। रिपोर्ट यह आ गयी थी दूसरे डिपो में जा रहा था, वहां इसलिये रख दिया गया था क्योंकि शाम हो गयी थी। सहारनपुर में एक सिपाही ने एक डिपो से गेंहूं ले जाते हुए पकड़ा। थाने में जाता है, थानेदार रिपोर्ट नहीं लिखता है। चार सौ रुपये ले कर उसको छोड़ देता है। सिपाही सुबह चार बजे तक बैठा रहता है और कहता है कि मैं रिपोर्ट लिखाऊंगा आखिर रिपोर्ट लिखी गयी। लेकिन पैसा बन गया। डेढ़ महीने के बाद रिपोर्ट आई, कोई इसमें सच्चाई नहीं है उसका हिसाब-किताब ठीक है।

कितनी ही बोगस कोआपरेटिव सोसाइटीज बढ़ती चली जा रही हैं। यहां लैंड रेवेन्यू पर ३३ प्रतिशत कर लगाया जाने वाला है। कल आ जायगा वह बिल। कहते हैं कि ६ करोड़ १३ लाख रुपये की आमदनी बढ़ेगी। किसानों को पानी नहीं दे पाये, बेचारे कर्जे से लदे हुए हैं और आप कर बढ़ा रहे हैं। ६ करोड़ के बजाय आप २० करोड़ रुपया बचा सकते हैं। जितना लोन सरकार दे रही है किसानों को वह पैसा किसानों के पास नहीं पहुंच रहा है। सौ रुपया अगर लोन लिया तो अगले साल, जब तक सौ रुपया जमा नहीं होगा तब तक और लोन नहीं मिलेगा। बैंकर जो है, चाहे वह कोआपरेटिव बैंक का हो या दूसरे बैंक का हो वह बुलवाता है बनिये को, चाहे १० हजार रुपये का भुगतान हो, वह १० हजार रु० बनिये से जमा करा लिया जाता है और अब वह रुपया उसके नाम २०० अगले साल के लिये डाल दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---

जरा समय का ध्यान रखिये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

तो कृषक कर्जदार होता ही है, १०० रुपया और दे दिया जाता है, १०० में उसे ८० रुपया ही प्राप्त होता है, लेकिन वह देखता है कि बिना दिक्कत के यह ८० रुपया मिल रहा है लो आगे देखा जायगा। उसे तो १०० के ८० ही दिये जाते हैं, उसे ८० रु० नकद दे दिये जाते हैं १२॥ बनिया ले जाता है, यह रुपया बनिये का उसको लाने ले जाने का हो जाता है। ५ रुपया आपका अफसर ले जाता है और ढाई रुपये दफ्तर के हो जाते हैं। इस पर उन बेचारों पर कर्ज बिना प्रयोजन के बढ़ता रहता है। यदि उसमें दूरदर्शिता हो कि कल हमें यह भुगतना पड़ेगा, नीलामी होगी और मुसीबतें आयेंगी तो वह इसे न ले। लेकिन आज तो चौतरफा उसे कोआपरेटिव वाले घेरते हैं, चलो कर्ज ले लो। लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। इन परिस्थितियों में और इस वस्तुस्थिति को देखकर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कर्ज देना बन्द करें, सब सिडी देना बन्द करें। तो इस तरह से आप ३०-४० करोड़ रुपया बचा सकते हैं और जो ६ करोड़ का नया कर किसानों पर लगाने जा रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

आप किसानों को अपने पैरों पर खड़ा होने दें उन्हें आत्मनिर्भर और साहसी बनने दें। आप उसको पानी फ्री दें। आप उसको खाद न दें, जो आप बाहर से खाद मंगा रहे हैं और दूसरे बड़े बड़ कारखानों में पैदा कर रहे हैं, उसे सबको बन्द करें। क्योंकि खाद के वक्त

उसको पानी नहीं मिलता और पानी के वक्त खाद नहीं मिलता, सब बर्बाद जाता है। एग्रीकल्चर अफसर को पता नहीं रहता कि किस जमीन पर, कहां पर किस प्रकार के खाद की जरूरत है। पता भी रहे तो वह उसे व्यवहार में नहीं ला पाता है। जो खाद आपके यहां आ गयी वह किसान के सिर पर थोप दी जाती है, भले ही उसका खेत सड़ जाये। इसके बजाय आप किसान से कहें कि करोड़ों रुपये का गोबर जो वे जला रहे हैं आपके पास कोयला फालतू है और इतना फालतू है कि आप अपने दुश्मन को दे रहे हैं जिसका आप से कोई पैसा भी वसूल नहीं हो पा रहा है। आप दुश्मन को कोयला दे रहे हैं, लोहा दे रहे हैं, जिसके बम बना कर वह हमारे सब के सर फोड़ रहा है। वह कोयला दुश्मन को न देकर आप किसानों को बांटिये। हर ग्राम पंचायत के अन्दर आप कोयले का डिपो खोल दें और किसानों से कहें कि वह गोबर की खाद बनायें और देखिये कि उससे कितनी अधिक उपज होती है। भारतवर्ष में गोबर की खाद हमेशा से प्रयोग की जाती रही है, जिससे इतनी अच्छी उपज होती थी कि हम स्वयं खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे। आजकल की तरह कभी बाहर से मंगा मंगा कर खादें नहीं इस्तेमाल की जाती थीं, केवल एक मात्र गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था। अभी आप साढ़े ७ करोड़ की बात करते हैं लेकिन १५ करोड़ आदमी और आकर बढ़ने वाले हैं जिसमें आप खुद भूखों मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे यदि हमने इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर आगे का कदम न बढ़ाया।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी खुशी के साथ यह कहना चाहता हूं कि इस समय बावजूद इस के कि मेरठ जिले के बहुत नजदीक बम गिरा है, जिससे कुछ आदमी भी मरे तथा अम्बाला की भी काफी चर्चा रही। फिर भी मेरठ में मैंने मेरठ के लोगों से, किसानों से तथा मजदूरों से बातें की जिन्होंने कहा कि लड़ाई के दिनों में बातें मामूली हैं और हम प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार हैं, इस समय में जो कुछ भी न हो जाये वह थोड़ा है। इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। जिस तरह से मैं विदेशों के बारे में पढ़ा करता था कि ब्रिटेन आदि में भयंकर लड़ाइयों के समय में भी वहां क जनसाधारण का जीवन ज्यों का त्यों चलता था, उसमें किसी प्रकार की अस्त व्यस्तता नहीं आती थी। मुझे खुशी है कि इस लड़ाई में बावजूद इसके कि हमारे मुल्क से लड़ाई हो रही है, फिर भी लोगों में घबड़ाहट नहीं, तनिक भी चिन्ता नहीं और किसी प्रकार की फिक्र नहीं है और सब लोग बड़ी दिलेरी से, बड़ी बहादुरी से इस मुसीबत का मुकाबला करने के लिये तैयार हैं।

इसके साथ-साथ जो बड़ी चिन्ता की बात हो सकती है वह है खाद्य समस्या और उसका सबसे बड़ा सबब यह है कि जो कुछ हम लोग बाहर से मंगाते हैं वह वक्त पर नहीं आता। और सब बातों के बिना आदमी गुजर कर सकता है लेकिन अगर खाने को न मिले तो गुजर करना बहुत मुश्किल होता है खास तौर से बीबी बच्चों के साथ, अपने आप तो कैसे ही वह रह भी जाये। इस विषय में लोगों में बहुत संतोष है। मैंने गांव में देखा लोगों को और सुना कि शास्त्री जी आप यकीन रखिये कि हमारे गांव में एक भी आदमी भूखा नहीं मरेगा। जिस तरह से भी होगा आपस में बांट कर या उचित मूल्य पर बेंच कर हम अपने गांव में किसी को भूखा नहीं मरने देंगे बल्कि कोशिश यह करेंगे कि आस पास के गांवों में भी कुछ कर सकें तो करेंगे। लेकिन यह बतलाइये कि हमारी सरकार या हमारी फौजें लड़ाई से घबड़ा तो नहीं रही हैं। रात भी जब यहां आने की बात हुई तो एक आदमी ने यही प्रश्न किया, रविवार को आर्यसमाज का सत्संग था, उसने कहा कि आपकी फौजे या आपकी सरकार घबड़ा तो नहीं रही है। मैंने कहा कि आप निश्चित रहें अगर कभी भी हिन्दुस्तान में जोश आया है तो उससे आज हजारों गुना अधिक जोश पब्लिक में, सरकार में और फौजों में भी है। लोगों को इससे संतोष होता था और मुझ इस बात की खुशी है कि जिस खाने के मसले

[श्री मूलचन्द्र शास्त्री]

से हम डरते थे उसको गांव वाले अहमियत नहीं देते, बल्कि वह कोशिश कर रहे है कि उनके गांव में कोई आदमी भूखा न मरने पावे ।

खाद्य मंत्री जी यहां बैठे हुये ह । क्या सुधार किया जाय इस सम्बन्ध में दो, एक सुझाव मैं देना चाहता हूं । अभी तीन चार दिन पहले मेरठ में फूड ऐडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई । वहां पर प्रश्न था कि मैदे का वितरण कैसे हो । एक, दो, तीन एजेंसी करें या हर तहसील के हेडक्वार्टर पर एजेन्ट हों । वहां पर यह प्रश्न उठा कि ऐसे मौके पर सूजी, मैदा वितरित नहीं हो तो कोई गलत बात नहीं होगी । हम लोगों को यह समझावें कि जो चीजें मैदा और सूजी से बनती है उनका खाना बन्द कर दो । लेकिन उत्तर हमें यह दिया गया कि इसका सम्बन्ध तो कन्द्रीय सरकार से है । मैं समझता हूं कि चाहे केन्द्रीय सरकार ही और चाहे प्रादेशिक सरकार हो, और जिलों की तो नहीं जानता हूं लेकिन मेरठ में तीन, ४ हजार बोरी महीना में मैदा आता है और इस तरह से और जिलों में भी जाता होगा । यदि ऐसे मौके पर यह कहा जाय और हमारी सरकार इस चीज को बन्द कर दे तो अच्छा असर होगा । इसी तरह से जिन चीजों से ऐशो-आराम या विलासिता टपकती हो उसे अपने आदमियों को हम न दें । केवल अन्न ही दिया जाय जिससे लोग भूखों न मरें । मैं खाद्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बड़े-बड़े शहरों में काफी मात्रा में जो मैदा और सूजी आती है बन्द कर दी जाय और न बटे तो अच्छा है । फिर जब आपका गेहूं खुला बिकता है, दूसरा अन्न भी खुला बिकता है तो लोग सूजी आदि बनवा सकते हैं क्या जरूरी है कि सरकार ही इन चीजों का प्रबन्ध अवश्य करे ।

अभी एक बात और कही गयी कि एक-एक दुकान पर पांच-पांच हजार जाली कार्ड हैं । मुझे पता नहीं है और शहरों में क्या व्यवस्था है, लेकिन मेरठ में एक दूकान पर ४ हजार से ज्यादा कार्ड नहीं हैं । कहीं कहीं तो साढ़े तीन हजार हैं, लेकिन अधिक से अधिक ४ हजार कार्ड्स है । पता नहीं कि इतने जाली कार्डस् होंगे कैसे । जहां इतने जाली कार्डस् हैं वहां कुछ न कुछ तो कायदे के कार्ड्स होंगे ही । इस का अर्थ यह हुआ कि ८ या ९ हजार कार्ड्स हर दुकान पर होंगे ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

मैंने कार्ड्स नहीं यूनिट्स कहे हैं ।

श्री मूल चन्द शास्त्री---

अगर यूनिट्स भी लिया जाय तो भी हिसाब ठीक नहीं लगता है । क्योंकि फी कार्ड पर ज्यादा से ज्यादा औसतन ५ यूनिट्स का हिसाब होता है । और अगर एक-एक दुकान पर इतने ज्यादा कार्ड है तो मैं नहीं समझता हूं कि किस तरह से वहां का हिसाब चलता होगा । लेकिन फिर भी यह मानी हुई बात है कि कुछ कार्ड ज्यादा है तो उनकी छानबीन करनी चाहिये । हमारे यहां फूड ऐडवाइजरी कमेटी बनी हुई है और हर जिले में है । उसमें हमको हक है कि हम सुझाव दें कि किस तरह से वहां पर ठीक इन्तजाम हो सकता है । मैं अपनी कमजोरी बतलाऊं कि परसों उस दिन यह विषय हमारी कमेटी में आया था । सब लोगों ने कहा कि अपने आदमियों से जांच पड़ताल करा लो, हम लोगों को शर्म लिहाज आयेगा । हम उस इन्क्वायरी में सहयोग नहीं दे सकते । कलेक्टर ने कहा कि आप लोग साथ चलें तो तभी सम्भव है और तभी जाली कार्ड पकड़े जा सकते है । यह मैंने अपनी कमजोरी बताई कलेक्टर से कहा कि आप अपनी सरकार के लोगों से जांच कराइये और उनके द्वारा ही उनको पकड़ा जाय । लेकिन फिर भी हम लोगों ने सुझाव दिया कि हर मुहल्ले से २, ४ प्रतिष्ठित आदमी ले लीजिये और उनसे पूछ लीजिये कि किस परिवार में कितने आदमी हैं और अपने आदमियों के द्वारा ही जांच पड़ताल कराइये वहां पर सप्लाई आफसर और कलेक्टर ने कहा कि इस तरह की

हम कोशिश करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम इस बात को मानते हैं कि जाली कार्ड हैं तो उनको किस तरह से बन्द किया जाय इसको हम अपने यहां कमेटी में तय कर सकते हैं। हमारे हाथ में यह बात है कि हम इस विषय के सुझाव वहां पर दें।

एक बात और निवेदन करूं कि यह विषय पाकिस्तान के संदर्भ में खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिये रखा गया है। वैसे तो खाद्य की हर समय आवश्यकता है लेकिन मुसीबत के समय में और भी अधिक आवश्यकता है। यह बदकिस्मती की बात है कि हमारा देश कृषि प्रधान होते हुये भी बाहर से हमको गल्ला मंगाना पड़ता है। इस विषय में मैं अपने कृषि मन्त्री और खाद्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके यहां बड़े-बड़े कृषि फार्म बने हुय ह। मरठ में भी आपके फार्म हैं। सम्भावली का फार्म तो बहुत बड़ा फार्म है। मैं यह चाहता हूं कि हर एक वर्ष आप उनसे यह पूछा करें कि आपने गेहूं या दूसरा गल्ला कितना पैदा किया। हमारे सरकारी फार्मों पर ज्यादा गन्ना पैदा करने की कोशिश की जाती है ताकि हम यह दिखा सकें कि हमारे फार्मों पर घाटा नहीं होता है। सरकार को चाहिये कि वह यह कहे कि हमको आमदनी नहीं चाहिये। हमको अधिक से अधिक गेहूं और चावल और दूसरी खाद्यान्न की वस्तुओं को पैदा करने की जरूरत है।

मैं इसी संबंध में दिल्ली गया था और वहां पर पूसा इंस्टीट्यूट को देखा। वे वहां पर हजारों बीघा जमीन घेरे हुये हैं। वहां पर यह देखते हैं कि अंगूर और सेब कैसे मीठा बने, उसकी बेल कैसे फैल। यही काम वहां पर होता है। ऐसा वक्त आयेगा जब इन चीजों को सीखने की जरूरत होगी, लेकिन आज तो इस बात की आवश्यकता है कि देश का पेट कैसे भरे। हमारा कृषि प्रधान देश है। यह शर्म की बात है कि कृषि प्रधान होते हुये भी हमको बाहर से गल्ला मंगाना पड़ता है। हमारी समस्या अंगूर और सेब से हल नहीं हो सकती। जब समय आयेगा तो इनको भी उन्नत करेंगे, लेकिन आज हजारों बीघा जमीन इन बातों के लिये फेरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि गल्ले के नाम पर ५० बीघा गेहूं भी उन्होंने बोया था और एक एकड़ में ५० मन हुआ ऐसा उन्होंने बतलाया था। सरकार के पास बहुत से फार्म हैं तो मेरा यह निवेदन है कि ५, ७ साल ऐसे अनुभव बन्द कीजिये और इस समय खाने की कठिनाई को हल कीजिये और अधिक गल्ला पैदा करने की कोशिश कीजिये। तभी हमारे यहां यह समस्या हल हो सकती है और इन फार्मों का सही रूप में लाभ हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अधिक समय न लेता हुआ खाद्य तथा कृषि मंत्री जी स प्रार्थना करूंगा कि वे अधिक से अधिक गल्ला पैदा करायें तथा सही वितरण कराने की कृपा करें ताकि न केवल इस लड़ाई में बल्कि आगे भी हम उस से लाभ उठा सकें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो बयान दिया उससे मालूम हुआ तीन पांच साला प्लान खत्म होने के बाद अपनी नाकामयाबी पर उन्होंने इस में दो आंसू बहाये हैं। इससे ज्यादा वह कुछ नहीं था। आज पाकिस्तान के हमले के बाद और इससे पहले भी बार-बार इस सदन के अन्दर इस बात पर बहस हो चुकी कि खाद्य स्थिति कैसे सम्हले और कैसे हम इस लायक हों कि अपने प्रदेश के सात करोड़ रहने वालों को गल्ला दे सकें। यह प्रदेश जो सोने की चिड़िया कहलाता था और दूसरों को भी खिलाता था आज उसके लिये कमी पड़ रही है। अगर हम देखें तो पता चलेगा कि पिछले दिनों में हमारी पदावार—मेरा मतलब चावल और गहूं से है—घटी है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि १९०६ और १९०७ में आपकी गेहूं की औसत पैदावार ११·८ फी एकड़ थी और चावल की पैदावार ११·७ फी एकड़ थी जबकि आपने एक मन फर्टिलाइजर भी नहीं दिया था। उसके बाद सन् १९५०–५१ में आप की गेहूं की पैदावार घट कर ८.९ प्रति एकड़ रह गयी और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

चावल की पैदावार ५.३ रह गयी। उस समय आपने ४१,००० टन फर्टिलाइजर दिया था। अब सन् १९६३-६४ में आप के गेहूं का औसत ७.२ प्रति एकड़ और चावल की पैदावार ५.३ पर एकड़ है जबकि आपने फर्टिलाइजर दिया है १४३ हजार टन।

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)---

टोटल पैदावार भी बतला दीजिये।

श्री रियासत हुसैन--

यह पैदावार के आंकड़े मैं दे रहा हूं जो बराबर घटी है। क्यों घटी? इसके लिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप तीन आदमियों की एक कमेटी बनाइये कि बावजूद इतने इर्रीगेशन के, जबकि उसका रकबा बढ़ता रहा है, आप खाद भी देते रहे हैं, फिर भी यह पैदावार घटी है।

इसके अलावा मैं आप को बतलाऊं। आप ध्यान दें इस बात पर कि किसान अपनी जिस जमीन को इर्रिगेट करता है उसमें वह कैश क्राप बोता है। उसमें वह गन्ना, आल, टमाटर आदि लगाता है और गेहूं वह नयी तोड़ी हुई जमीन पर बोता है जिस में पानी नहीं पहुंचता। अगर आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्रतिबन्ध लगाना होगा कि किसी किसान को एक फीसदी आप निश्चित कर दीजिये, उस से ज्यादा कैश क्राप बोने का अधिकार नहीं है। मैं खुल कर इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का ज्यादातर किसान तबका गन्ना बोता है और जो ऐसा करता है वह किसान कहलाने का हकदार नहीं है। अगर किसान को अन्नदाता कहा जाता है वह इसलिये कि वह सब के लिये खाना पैदा करता है, अपने लिये भी और दूसरों के लिये भी। गन्ना पैदा करता है वह रुपया कमाने के लिये, और अपने खाने के लिये वह गेहूं बाहर से खरीदता है। इस तरह के एक किसान और सर्राफ में क्या अन्तर रह जाता है? अगर आप समझते हैं कि देश और प्रदेश को चावल और गेहूं की जरूरत है तो आपको प्रतिबन्ध लगाना होगा कैश क्राप के ऊपर वरना आपके सीरियल्स की जरायत बढ़ नहीं सकती। हम लोग आप को सुझाव देने के लिये बैठे हैं। पिछले साल जब बरफ पड़ी, पाला पड़ा तो हमने कहा कि आपकी फसल खराब हो गयी है गेहूं की, अगर सेंटर से एड नहीं बढ़वाओगे तो उत्तर प्रदेश अकाल की स्थिति में आ जायगा। लेकिन हमारी बात को हंस कर टाल दिया और कहा कि नहीं-नहीं कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई घाटा नहीं है। लेकिन आपकी १६ लाख टन की गेहूं की पैदावार कम हुई। सेंटर ने भी साधारणरूप से जो देना था वह दे दिया और आपको बहुत परेशानी पिछले दिनों में उठानी पड़ी।

आप मैदानों में जाकर देखिये कि खड़े हुए धानों की क्या हालत है। जो किसानी करते हैं वह जानते हैं कि धान १५ जुलाई से पहले बोया जाना चाहिये लेकिन वह पहली, दूसरी और तीसरी अगस्त तक बोया गया और उसको उतनी बारिश नहीं मिली जितनी कि मिलनी चाहिये थी। इधर १५ दिन से बरसात नहीं हुई है। हालत यह है कि जड़ तक में पानी नहीं है। अगर यही हालत रही तो धान तो क्या मवेशियों का चारा भी इकट्ठा नहीं हो सकेगा। मैं आज चेतावनी देता हूं कि जिस किसान ने चना और गेहूं बोने के लिये खेत छोड़ा है उसके अन्दर भी पानी नहीं जायगा। किसान आशा करता है कि बारिश होगी तो गेहूं, चना बोऊंगा, लेकिन कुदरत पर आप मुनहसिर नहीं रह सकते। आपने क्या इन्तजाम किया है? किस तरह से रबी की फसल बोयी जायगी?

मुरादाबाद में हमारी तहसील में सिरीमल पैदा होती है, वह इलाका गेहूं पैदा करता है। आज बावजूद इसके कि धान की फसल वहां सूख रही है, गेहूं, चना बोने के लिये पानी नहीं है फिर भी नहरें खुश्क पड़ी हैं। हमने कहा था पिछले साल, जहां तक स्टाक का सवाल है, मुरादाबाद में जब आप तशरीफ ले गये थे तो कहा था कि किसान को दीजिये सीमेंट, लोहा, ईंट

और उसके बदले में गेहूं और गल्ला लीजिये, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, कहा कि कम्पल्सरी नहीं चाहिये । उधर पटवारियों का कोटा बांध दिया कि हर पटवारी को २० क्विंटल गेहूं मोल लेकर अपने हलके से देना होगा । उन्होंने जबरदस्ती किसान से कहा कि ६२ रुपये के भाव में मुझे देना है और तुम से लेना है; या तो गेहूं दो वरना मेरी फर्द फीस दूनी दो । उसने दो के पांच लिये और उस एक्सट्रा रुपये से गल्ले को खरीद कर भेजा । फिर भी बमुश्किल तमाम २९,४६४ टन गल्ला इकट्ठा हुआ । आप मानते हैं कि सेंट्रल से जो आपको मिलने वाला गल्ला था, वह ६० हजार टन कर दिया, काट करके । लेकिन आज जो हालत है कि अरब नेशंस ने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान का आपके इलाके पर हमला हो और अमरीका ने कह दिया हो कि हम न आपको, न पाकिस्तान को, कोई मदद देंगे; तो वह ६० हजार भी खतरे में है । फिर क्या खिलायेंगे आप ? कहां से खिलायेंगे ? आप रोना रोते हैं पैदावार बढ़ाने का, लेकिन बार-बार मैंने कहा, और जैसा कि माननीय लखीसिंह ने भी कहा, कि अगर ईमानदारी से आप चाहते हैं कि पैदावार बढ़े तो आप अपने प्रदेश के किसानों की बात मान कर उनको वे वे चीजें दीजिये जिनको वे पैदावर बढ़ाने के लिये आपसे मांगते हैं । साथ ही मैं चाहता हूं कि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के उन आफिसरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कीजिये कि जो आज भी इस संकट के मौके पर पैदावार बढ़ाने में रुकावट पैदा करते हैं । मैं इस डिपार्टमेंट की एक मिसाल आपको दूं कि मैंने सहारनपुर स्टेट गार्डन से एक हजार आड़ू के पेड़ मंगाये जनवरी महीने में, लेकिन उनमें से ३–४ सौ पेड़ महीने बाद ही सूख गये । इस सम्बन्ध में जब मैंने उनको लिखा तो उन्होंने मेरे पास यह चिट्ठी भेजी है जिसमें लिखा है कि अगर आप उन पेड़ों को रिसीव करने के ४८ घंटे के अन्दर ही हमें सूचित कर देते कि वे खराब हैं और उनके बदले में हमें दूसरे पेड़ दे दीजिये तो हम दे देते । अब उनकी काबलियत का आप नमूना देखिये कि उनको यहां तक नहीं मालूम है कि प्रैक्टिकल में और थ्योरी में फर्क क्या है । आपके आफिसरों की यह सूरत है जो यह कहते हैं कि अगर ४८ घंटे के अन्दर आप हमें सूचना दे देते कि पेड़ सूख गये तब हम भेज दे सकते । मैं चेलेंज करता हूं कि आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या कोई भी किसान ४८ घंटे के अन्दर यह कभी भी नहीं बतला सकता कि यह पेड़ हरा रहेगा या सूख जायेगा । मैंने कुछ अमरूद के पेड़ लगाये हैं जिनके पत्ते पहले तो सूख कर झड़ गये और १५ दिन के बाद उनमें पत्तों के नये कल्ले निकले, फिर ४८ घंटे के अन्दर कोई कैसे बतला सकता है कि यह पेड़ सूख जायगा या हरा रहेगा ? जब यह हालत है आपके आफिसरों की और फिर भी आप अपनी पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा खयाल है कि ऐसे आफिसरों के रहते आपके यहां पैदावार कभी भी नहीं बढ़ सकेगी ।

इसके लिये जरूरी है कि आपके पास यानी किसानों के पास जितनी जमीन है उनको सेंचुरेट कीजिये, चाहे नहरों के, चाहे ट्यूबवेल्स के, चाहे मैसनरी वेल्स के । जहां इन सब का प्रबन्ध न हो वहां तालाब खुदवा कर सिंचाई के लिये पानी का इन्तजाम कीजिये और इस तरह से अगले दो-तीन साल के अन्दर आप एक एक इंच जमीन को पानी दीजिये फिर देखिये कि पैदावार बढ़ती है या नहीं । आज होता यह है कि मुद्दत के बाद तो आपने किसानों को सुपरफास्फेट दिया, फिर आपने कहा कि यूरिया से पैदावार बढ़ेगी, फिर तीन साल के बाद आप कहते हैं कि तीसरे तरह की खाद दीजिये । अगर आप ईमानदारी से पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिये आपको पहले किसानों में विश्वास लाना होगा और आपके ये निकम्मे आफिसर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकल कर आये हैं उनको हटाना होगा, तभी सही रूप से खेती की पैदावार बढ़ सकेगी ।

आखिर में एक बात मैं कह देना चाहता हूं । सबसे पहले मेरा सुझाव यह है कि कैश क्राप्स पर प्रतिबन्ध लगाइये और उसका रकबा घटाइये । आप यह प्रतिबन्ध लगा दीजिये कि इतने प्रतिशत से अधिक कोई किसान गन्ना, आलू या टमाटर नहीं बो सकेगा । दूसरा सुझाव यह है कि किसानों के इर्रीगेशन के जितने जराये हैं वे मुहइया कीजिये । आप उनको

[श्री रियासत हुसैन]

नहरों के जरिये, या ट्यूबवेल्स के जरिये या मेंसनरी वेल्स के जरिये पानी दीजिये। जहां इसका प्रबन्ध न हो वहां तालाब खुदवा कर सिंचाई के लिये पानी का इन्तजाम करें। तीसरा सुझाव यह है कि आप एक कमेटी बना दीजिये, उसमें चाहे तीन ही आदमी हों, लेकिन वह कमेटी इस बात को देखे कि आपने जो करोड़ों रुपये फर्टिलाइजर और इरीगेशन आदि पर खर्च किये हैं उसके बावजूद भी पैदावार न बढ़ने के कारण क्या हैं जिससे हम अन्न के मामले में सेल्फ-सफिशिएंट नहीं हो सके हैं। इस बारे में कमेटी एक रिपोर्ट दे। चौथा सुझाव यह है कि जितनी बंजर भूमि है वहां के लिए इरीगेशन का इन्तजाम सरकार करे और लैंड आर्मी के जरिये बंजर जमीनों को तोड़वा कर उनमें खेती करायें, तभी आप बढ़ती हुई आबादी के लिये अनाज की समस्या हल कर सकते हैं। वरना इस तरह से कुछ होगा नहीं।

श्री उग्रसेन--

क्या यह विवाद कल भी चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

कल थोड़ा-सा टाइम मिल जायेगा, और दूसरे आइटम्स भी हैं। मैं चाहता हूं अब ५-५ मिनट माननीय सदस्य बोल लें।

*श्री राजनारायणसिंह (जिला मिर्जापुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। जहां तक खाद्यान्न का प्रश्न है, आज हम संकटकालीन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और इस समस्या को हल करना बहुत जरूरी है। इसके लिये एक तो शार्ट टर्म पालिसी हो सकती है और एक लांग टर्म होती है। दोनों ही पालिसियों पर हमें ध्यान देना होगा। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां काफी जमीन जरखेज है। सीखड़ ब्लाक, परगना किरियात, नारायणपुर ब्लाक, परगना हवेली, और जमालपुर ब्लाक, परगना भीली, में काफी जमीन जरखेज पायी जाती है। वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। वहां पर ट्यूबवेल लगा दिये जायें। सिंचाई की व्यवस्था होने से वहां काफी अन्न पैदा हो सकेगा। सन् ६२ में जब चीन का हमला हुआ था तब हमारा ध्यान इस तरफ गया था। उसी वक्त से अगर हमने लांग टर्म पालिसी की तरफ ध्यान दिया होता तो आज अन्न की पैदावार दुगनी हो गयी होती। हमें खेद है कि हमने अभी तक लांग टर्म पालिसी की तरफ उचित ध्यान नहीं दिया।

श्रीमन्, जब मैं देहात में जाता हूं तो मुझसे शिकायत की जाती है कि नहर में पानी जमा है, वह नहीं मिल रहा है। जब मछली का ठेका दिया जाता है तो नहर का पानी बहा दिया जाता है। इसी तरह से जब जमीन का ठेका दिया जाता है, उसको खाली करना होता है, तो पानी बहा दिया जाता है। इससे बन्दोबन्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। आज हमारे कर्मचारी यदि इस विकट परिस्थिति में अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो हम अन्न अधिक पैदा करने में सहायक नहीं हो सकते। जब जून का महीना आता है तो वे पानी बहा देते हैं। जब धान का बीज बोने के लिये पानी की जरूरत होती है, वह नहीं मिलता। मैंने कई बार शिकायत भी की, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं आज संकटकाल में इन सब बातों की ओर ध्यान दिया जाय।

आज से १७-१८ साल पहले जब अंग्रेजों का जमाना था, तभी गड़ई नदी पर बांध बना था। जिस जमाने में वह बांध नहीं बना था वहां तीन रेगुलेटर्स लगे थे। वे तीनों वाराणसी के बॉर्डर्स पर हैं। इससे हमारे क्षेत्र के ३० गांव जलमग्न रहते हैं। वहां वाटरलागिंग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की समस्या है। मैं चाहता हूं इस नदी के ओरीजीनल कोर्स को गहरा किया जाय, और जो उसरौली, गाड़ीघाट, तथा पछोत्तर ताल पर रेगुलेटर हैं उनको हटा दिया जाय। लेकिन १८ वर्ष से तमाम लिखापढ़ी द्वारा कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करने के बाद भी मालूम नहीं हमारे बनारस के कर्मचारी क्यों इतने उदासीन हैं। इतने संकटकाल में गांवों में जो काफी पैदावार बढ सकती है वहां भी इस समस्या को हल नहीं कर सके। इसी तरह, श्रीमन्, जो नारायणपुर और सिखौर ब्लाक हैं वहां की जमीन भी काफी उपजाऊ है, बिजली के खम्भे वहां पर हैं। आज जनशक्ति उपयोग में लाखों रुपया सड़कों पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन दस एकड़ में ट्यूब वैल हो जाय, सिंचाई का प्रबन्ध हो जाय, बोरिंग हो जाय, पंपिंग सेट लगाया जाय, बिजली दी जाय तो कम से कम, जिला मिर्जापुर में हम दावे के साथ कहते हैं, इतना अन्न पैदा हो कि उसके लिये बाहर से एक दाना अन्न लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस संकटकाल में जनशक्ति उपयोग में लाखों रुपया सड़कों पर व्यय किया जा रहा है परलघु सिंचाई योजना पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से हम नहीं समझते कि अन्न की समस्या किस तरह से हल की जायेगी। इस तरह से मैं चाहूंगा कि जो कुछ रुपया खर्च किया जाय वह सही तरीके से खर्च किया जाय। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो रुपया ब्लाक्स में दिया जाता है वह पचास परसेंट पाकेट्स में जाता है। मैं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर एक कमीशन इस बात को देखे कि इन पांच दस वर्षों में किस तरह से ब्लाक्स का रुपया खर्च हुआ है और जब चीन ने ६२ में हमला किया तो हमने इन लघु सिंचाई योजनाओं की तरफ किस तरह अपने कर्त्तव्य का पालन किया है।

श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, आज जो खाद्य स्थिति पर विवाद है उस पर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे खाद्य मंत्री जी यह चाहते हैं कि खाद्य का वितरण कैसे किया जाय। लेकिन इस समय सिंचाई मंत्री सदन में हाजिर नहीं हैं प्लानिंग मंत्री श्री राममूर्ति, भी नहीं है, विद्युत मंत्री भी सदन में मौजूद नहीं हैं। जिन विभागों के जरिये गल्ले का उत्पादन बढ़ाना है उन विभागों के मंत्री ही मौजूद नहीं हैं तो यह कैसे हो सकता है? चीन की लड़ाई से पहिले से गल्ला बढ़ाने की ओर सरकार कदम उठा रही है, इस पर तरह तरह के सुझाव दिये जाते हैं, बड़े बड़े साइन्स वाले, जानकार खेती के अफसर बनाये गये हैं और उन्हें देहातों में भेजा जा रहा है कि वे गल्ला बढायें। लेकिन फिर भी गल्ले की औसत पैदावार कम हुई यह बात निन्दनीय है। अभी मैं अपने क्षेत्र का दौरा करता आ रहा हूं। मैंने देखा कि तमाम सूखा पड़ा था फिर भी किसान ने खरीफ की फसल को उगाया। वह इलाका नहरी है फिर भी उस नहर की सफाई ही नहीं हुई जिससे खेतों को पानी मिल सके। मैं नहीं समझता कि सरकार ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम क्यों नहीं उठाती। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसके लिये सख्त कदम उठाये और जो अधिकारी विशेष जानकारी खेती के संबंध में रखते हों उनको भेजा जाय। हमारी सोरांव तहसील, जहां से पंडित जी चुने जाते रहे हैं और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित भी चुनी जाती हैं, वहां पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं माननीय खाद्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस तरफ ध्यान दें। नहर के पानी मिलने से लाखों मन गल्ला हो सकता है, लेकिन वह सूखता जा रहा है। अर्से से हमारी तहसील में दुकानें गल्ले की बन्द हैं, चीनी की बन्द हैं। मैंने कलैक्टर को सूचना दी, लेकिन आज तक कोई इन्तजाम नहीं हुआ। वहां नहरें कुछ खुदी पड़ी हैं, लेकिन आज तक उनमें पानी का इन्तजाम नहीं हो सका। जो नहरें चल रही हैं उनमें पानी नहीं आ रहा है क्योंकि उनकी सफाई नहीं हुई।

हिन्दुस्तान में १७ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जो खेती योग्य बनाई जा सकती है और ८ करोड़ एकड़ ऐसी है जो तुरन्त बनाई जा सकती है लेकिन सरकार का इस पर कोई कदम नहीं उठा उस पर पानी सस्ता और बिना पैसे के मिले तो अन्न की समस्या आसानी से हल हो सकती है। राजा साहेब ने कहा कि अमरीका से गल्ला मंगाने से यह समस्या हल नहीं होगी, यह

[मेवालाल जायसवाल]

ठीक बात है। १८ अरब का जो गल्ला बाहर से मंगाया जाता है वह यहीं पैदा हो सकता है। आपको एक आन्दोलन चलाना होगा, तभी यह खाद्य-समस्या सुलझ सकती है। जब कोई आक्रमण होता है तभी हमारी सरकार कुछ थोड़ी सी सचेत होती है, वरना भूखों मरने की स्थिति पैदा होने पर भी सरकार ने कुछ नहीं किया है। इसलिये खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश होनी चाहिये।

सड़क और रेलों के किनारे सैकड़ों फीट तक भूमि बेकार पड़ी रहती है। उस पर अगर खेती की इजाजत दी जाय तो काफी अनाज पैदा हो सकता है, जिससे हमारी भूखी जनता का पेट भरे। गमलों में फूल लगाये जाते हैं। आज फूलों पर पानी बरबाद करने का समय नहीं है। पानी दीजिये खेतों में जहां अन्न पैदा होता है। जब हमारी खाने की समस्या हल हो जाय तब आप चाहे जितने गमलों में फूल लगा सकते हैं। ऊसर की बहुत सी जमीन पड़ी हुई है। उसे उपजाऊ बनायी जा सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इन सब बातों पर ध्यान दे।

लगान-माफी के लिये भी कुछ नहीं किया गया। किसान हर तरह से परेशान है। वह अधिक गल्ला पैदा करना चाहता है, लेकिन सरकार से उसे कोई सुविधा न मिलने से वह परेशान है। अबकी बार हमारे यहां पानी न होने से ४ आना भी फसल नहीं हुई है। इसलिये सरकार को जल्दी पानी का इन्तजाम करना चाहिये।

आगरा विश्वविद्यालय सीनेट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन के समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष---

आगरा विश्वविद्यालय के सीनेट के ५ सदस्यों के निर्वाचन हेतु नामों की वापसी की अंतिम तारीख पहले २० सितम्बर थी, जो अब २१ सितम्बर कर दी गई है। ५ बजे सायंकाल तक वापसी होगी और अगर जरूरत हुई तो २८ सितम्बर को १२ से ४ के बीच चुनाव होगा।

पाकिस्तान के आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति के संदर्भ में खाद्य स्थिति पर चर्चा---(क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---

कल यह १ घंटे चलेगा।

श्री उग्रसेन---

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। मैं आपसे चाहूंगा कि कल इसके लिये दिनभर दें। १ घंटा तक सीमित मत कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

कल एक दूसरा आइटम है।

श्री उग्रसेन---

काम तो पहली अक्तूबर तक का है लेकिन इसका संबंध सुरक्षा से है। आप हमारी पूरी बात तो सुन लें। अगर आप कहेंगे कि हम गैर आवश्यक बात कह रहे हैं तो हम बैठ जायेंगे। हमको ५ मिनट का समय ही दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, ५-५ मिनट का समय रखा जायगा।

श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न समस्या के संबंध में माननीय सदस्यों के विचारों को मैंने सुना लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि यह खाद्य पर बहस हो रही थी, उत्पादन पर थी, अथवा सिंचाई पर थी। सोशलिस्ट पार्टी के भाई जैसे कह देते हैं, भाई लखी सिंह जी ने कहा कि लगान कम कर दो, छोड़ दो तो और अच्छा, आबपाशी कम कर दो तो पैदावार बढ़ जायगी। लेकिन गांवों में हालत यह है कि १० रुपया बीघा की जमीन के आप ५० रुपया बीघा ले लीजिये। तो इससे काम नहीं चलने वाला जब तक कि आप बेकार पड़ी हुई जमीन को काम में लाने का प्रयत्न न करेंगे।

खाद्यान्न के ऊपर अब तक जो बहस हुई, मेरा खयाल है कि खाद्यान्न समस्या को सुलझाने के लिए कोई सही कदम नहीं उठाया गया। जे० डी० शुक्ला जी कानपुर गये, उन्होंने कहा कि खाद्यान्न समस्या को किस प्रकार से हल किया जाय। हमने कहा कि हालत तो खराब है लेकिन खाद्यान्न समस्या का सही हल यही है कि गल्ला इकट्ठा किया जाय और लोगों तक इसको पहुंचाया जाय। न मालूम मंत्री जी को किस प्रकार के सुझाव दिये जाते हैं कि वे सही रास्ता नहीं पकड़ पाते हैं आप कहते हैं कि बफर स्टाक कैसे बनायें तीन चार साल से इस बात को सुनते सुनते कान पक गये मगर सरकार कोई रास्ता नहीं निकाल पायी। मालूम होता है उसको सुझाव देने वाले कुछ ऐसे बड़े लोग हैं जो सरकार के लाड़ले हैं और मुनाफाखोर हैं इसलिये सरकार ठीक कदम नहीं उठा पाती। मैंने कहा कि किसानों से बेरहमी के साथ गल्ला ले लो। उन्होंने कहा कि वे नाराज हो जायेंगे। मैंने कहा कि कांग्रेस ही तो चुनाव में न आयेंगी, लेकिन देश की समस्या तो हल हो जायगी। अब देख लीजिये आपको क्या करना है। अच्छा तो आप एक काम और कीजिये कि किसानों की जरूरत की सब चीजों पर कंट्रोल कर दीजिये और कह दीजिये कि जो गल्ला देगा उसी को लोहा दिया जायगा, शकर दी जायगी, मिट्टी का तेल दिया जायगा, लेकिन समझते हैं कि उससे बड़ी अव्यवस्था हो जायगी। भला फिर बफर स्टाक किस प्रकार से बन सकता है ? किसान को तकलीफ भी नहीं देना चाहते हो और कंट्रोल की चोजों से उसको आराम भी नहीं पहुंचाना चाहते हो।

लखीसिंह जी ने कहा आटा मिलों को क्यों गेहूं दिया जाता है। यह जरूरत की चीजें हैं। अगर कहीं कमी हो जाय, बफर स्टाक्स न रहें तो आटे से जरूरत को पूरा किया जा सकता है। हमारा भय था कि उसने गल्ला सही ढंग से नहीं बेचा, उसने तिलहन बेंचकर काम चला लिया और गल्ला अभी उसके पास है। यदि आप उससे गल्ला लेना चाहते हैं तो ऐसी नीति बरतें जिस से वह गल्ला आपको दे, अगर आप उस को उस की जरूरत की कंट्रोल की चीजों के बदले में उससे गल्ला लें तो तो आप को गल्ला मिल सकता है। अगर आप ऐसा न करेंगे तो पिछले साल की तरह ही आप को एक दो हजार मन गल्ला मिलेगा, अगर कोई आढ़ती से १ हजार मन गल्ला लगा तो वह कागज पर ५०० मन ही दिखायेगा और बाकी चोर बाजारी में बेंचेगा या अपने पास रखेगा। आपके अफसर भी ऐसे हैं कि वह भी उससे मिल जायेंगे। यह समय ऐसा नहीं है कि ज्यादा किसी के बारे में कहा जाय, लेकिन जहां आप की पंचमांगियों की ओर आप की निगाह रहती है, कहीं लोग मुसलमानों की ओर गद्दारी की बात करते हैं तो आप क यहां के हिन्दू ही पाकिस्तान को सामान बेचते हैं, मैं मुसलमान हिन्दू की बात इस वक्त नहीं करना चाहता, मेरे मुंह से निकल गई, लेकिन सब तरह के लोग समाज में हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो गया। अब हम उठते हैं कल फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२० सितम्बर, १९६५।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४–६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१० पर)

१––गंगा सिंह पुत्र महासुखी अहीर निवासी अलनादादपुर, थाना कायमगंज
२––अमर सिंह पुत्र ,, ,, ,, ,,
३––गंगाराम पुत्र हल्ली ,, ,, ,, ,,
४––दुरबीन पुत्र गंगाराम ,, ,, ,, ,,
५––रामभरोसे पुत्र इन्दर ,, ,, ,, ,,
६––कल्यान पुत्र इंदर ,, ,, ,, ,,
७––तेजसिंह पुत्र मुन्नीलाल ,, ,, ,, ,,
८––सोरन पुत्र देशराज ,, ,, ,, ,,
९––होरी पुत्र नत्थू ,, ,, ,, ,,
१०––जगराम पुत्र देव सिंह ,, रमापुर ,, ,,
११––रामगोपाल पुत्र मनोहर ठाकुर जंहानपुर ,, ,,
१२––सुखराम पुत्र महाराम अहीर लुधपा ,, ,,
१३––सरनाम पुत्र शंकर ,, कैमापुर ,, ,,

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२० पर)

यात्री-कर (रेल द्वारा)

पिछले चार मेलों अर्थात् १९४८ के अर्द्ध कुम्भ, १९५४ के कुम्भ, १९६० के अर्द्ध कुम्भ तथा १९६५ के माघ मेले में यात्री-कर की दरें

मेले का नाम	श्रेणी				अन्य विवरण
	एयर कंडीशंड या प्रथम	द्वितीय	इन्टर	तृतीय	
१	२	३	४	५	६
१—१९४८ का अर्द्ध कुम्भ ..	६ आना	३आना ६ पाई	१ आना	१ आना	इस मेले में दरें नहीं बढ़ी थीं। ये कर की सामान्य दरें थीं।
२—१९५४ का कुम्भ ..	१ रु० ८ आना	१ रु०	८ आना	६ आना	५० मील से कम दूरी पर।
			१० आना	८ आना	५० मील से अधिक दूरी पर।
३—१९६० का अर्द्ध कुम्भ—					
(क) कम दूरी के यात्री (४१ से १५० मील तक अथवा ६६-२४२ कि० मी० तक)	१ रु०	०.५० पै०	(श्रेणी खत्म कर दी गई)	०.१९	..
(ख) लम्बी दूरी के यात्री (१५० मील या २४२ कि० मी० से ऊपर)	१.५०	१.००	..	०.३७	..
			..		
४—१९६५ का माघ मेला—					
(क) कम दूरी के यात्री (४१ से १५० मील अथवा ६६-२४२ कि० मी० तक)	१.००	०.५०	..	०.२०	..
(ख) लम्बी दूरी के यात्री १५० मील या (२४२ कि० मी० से ऊपर)	१.५०	१.००	..	०.४०	..

मार्ग यात्रियों पर (पथ) कर की दरें

मेले का नाम और वर्ष	वाहन-कर की दर प्रति यात्री			अन्य विवरण
	टैक्सी	बस या लारी		
		उच्च श्रेणी	निम्न श्रेणी	
१	२	३	४	५
१—१९४८ का अर्द्ध कुम्भ २—१९५४ का कुम्भ	पथ-कर नहीं लगा था।	..	..	
३—१९६० का अर्द्ध कुम्भ	०.३८ पै०	०.१३ पै०	०.६ पै०	३० मील तक के यात्रियों को कर से छूट दी गई थी।
४—१९६५ का माघ मेला				
(क) ४१ मील से १५० मील तक अथवा ६६ से २४२ किलो मी० तक के यात्रियों पर	रु० १.००	०.५० पै०	०.२० पै०	४० मील तक के यात्रियों को कर से छूट दी गई थी।
(ख) १५० मील अथवा २४२ किलो मी० से ऊपर के यात्रियों पर	रु० १.५०	रु० १.००	०.४० पै०	..

तालिका

इलाहाबाद में पिछले तीन माघ मेलों पर विभिन्न विभागों द्वारा व्यय

विभाग	१९६२–६३	१९६३–६४	१९६४–६५
१	२	३	४
	रु०	रु०	रु०
मेला का सामान्य प्रशासन विभाग	२,७९,५२८	१,९९,१४३	९,८१,१२९
स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग	१,७५,२९३	२,०७,८६३	९,१३,४१८
पुलिस विभाग ..	६९,१८६	४१,६५३	५,७५,१०४
जन स्वास्थ्य विभाग ..	१,१६,६८७	१,५६,३५०	१०,४१,५११
सूचना विभाग ..	१,५००	२,०००	२१,७५०
सार्वजनिक निर्माण विभाग परिवहन विभाग	सूचना एकत्रित की जा रही है ।		

उक्त मेले में आय

वर्ष	आय
	रु०
१९६२–६३	१,२५,०२५
१९६३–६४	१,५०,४६४
१९६४–६५	१,८२,२६४

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२९ पर)

			कोटा (मे० टन में)
अप्रैल–जून, ६२	..	२०७०	५० प्रतिशत नियोजन कार्यों
जुलाई–सितम्बर ६२	..	२०७०	के लिये निर्धारित था ।
अक्तबर–दिसम्बर, ६२	..	२१६२	
जनवरी–मार्च, ६३	..	१४४९	
	योग ..	७७५१	
अप्रैल–जून, ६३	..	१८१७	७५ प्रतिशत नियोजन कार्यों
जुलाई–सितम्बर, ६३	..	१९७८	के लिये ।
अक्तूबर–दिसम्बर, ६२	..	१८९०	७० प्रतिशत नियोजन कार्यों
		८७४ (बाढ़ का कोटा)	के लिये ।
जनवरी–मार्च, ६४	..	२१६९	
	योग ..	८७२८	
अप्रैल–जून, ६४	..	१३८०	७० प्रतिशत नियोजन कार्यों
जुलाई–सितम्बर, ६४	सिविल ..	८९७	के लिये ।
	प्लानिंग	६९०	
अक्तूबर–दिसम्बर, ६४	सिविल ..	६९०	
	प्लानिंग ..	१२६५	
जनवरी–मार्च, ६५	सिविल ..	८५१	
	प्लानिंग ..	८०५	
	योग ..	६५७८	
अप्रैल–जून, ६५	सिविल ..	१०६	
	प्लानिंग ..	२१३१	
जुलाई–सितम्बर, ६५	सिविल ..	१११९	
	प्लानिंग ..	९८९	
	योग ..	४९४५	

नत्थो 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३० पर)

नगरपालिका हरदोई क्षेत्र में स्थित सस्ते गल्ले के दूकानदारों के विरुद्ध जनवरी, १९६४ से ३१ जुलाई, १९६५ के अन्तर्गत प्राप्त हुई शिकायतों के विवरण

क्रम-संख्या	दूकानदार का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुयी	किस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई	क्या परिणाम हुआ
१	२	३	४
१	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, रेलवेगंज, हरदोई ।	शिकायत की गई कि यह दूकानदार कार्ड गृहता को मोटा अनाज लेने के लिये बाध्य करता था तथा बिना मोटा अनाज दिये अन्य राशन नहीं देता था ।	दूकानदार को चेतावनी दी गई कि वह किसी भी कार्ड गृहता को मोटा अनाज लेने के लिये बाध्य न करे ।
२	श्री लाल बिहारी गुप्ता, रेलवेगंज, हरदोई ।	शिकायत की गई कि इस दूकानदार ने आटे का फर्जी इन्दराज कार्ड में कर दिया जबकि आटा वास्तव में उस कार्ड गृहता को नहीं दिया गया था ।	जांच से तथा दूकान से लिये गये स्पष्टीकरण से पता चला कि राशन कार्ड में आटे का इन्दराज था और बिक्री रजिस्टर में यह इन्दराज करके काट दिया गया था तथा इस मात्रा को दैनिक बिक्री में भी शामिल नहीं किया गया था । दूकानदार कार्ड का इन्दराज काटना भूल गया था अतः दूकानदार को गंभीर चेतावनी दी गई कि वह भविष्य में ऐसी त्रुटी न करे ।
३	श्री विशम्भरनाथ मिश्रा, सिनेमा चौराहा, हरदोई ।	शिकायत की गई कि इस दूकानदार ने प्रार्थी के कार्ड पर ८ किलो आटा देना लिखा तथा वास्तव में कुल ६ किलो ही आटा दिया ।	जांच के फलस्वरुप शिकायत सही पायी गई । दूकानदार इस अनियमितता का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाया । अतः दूकान समाप्त कर दी गई ।

क्रम-संख्या	दूकानदार का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुयी	किस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई	क्या परिणाम हुआ
१	२	३	४
४	श्री सेवा राम मिश्रा, व्हाईटगंज, हरदोई।	शिकायत की गई कि इस दूकानदार ने प्रार्थी को जितना गल्ला मिलना था उससे कम दिया तथा बार बार आने पर भी बाकी गल्ला नहीं दिया और दूकान के मुनीम ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया।	जांच के उपरान्त शिकायत सही पाई गई तथा दूकानदार का कोटा समाप्त कर दिया गया। बाद में जिला सलाहकार समिति ने प्रस्तावित किया कि इस दुकानदार के विरुद्ध किसी अनियमितता की शिकायत नहीं थी तथा तीन माह कोटा बन्द रहने से उसे काफी सजा मिल चुकी है। मामले का पुनः विचार करके दूकानदार की जमानत में से ५० रु० जब्त करके कोटा बहाल कर दिया गया।
५	श्री बुलाकीराम वर्मा, सरायं थोक, हरदोई।	शिकायत की गई कि इस दूकानदार ने तीन कार्ड गृहताओं से मैदा का मूल्य निर्धारित मूल्य से अधिक लिया तथा बिक्री रजिस्टर में लिया गया मूल्य नहीं लिखा।	जांच से पता चला कि दूकानदार ने बिक्री रजिस्टर में इन तीनों व्यक्तियों को दिये गये मैदा का मूल्य नहीं लिया था। दूकानदार ने मूल्य का अधिक लिया जाना स्वीकार नहीं किया। शिकायतकर्ता भी मूल्य अधिक लिये जाने का कोई विशेष सबूत नहीं दे सके। मामला विचाराधीन है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३० पर)

मन् १९६२-६३, ६३–६४ तथा ६४–६५ के कृषि उत्पादन के आय-व्ययक एवं व्यय के आंकड़े

(रु० लाखों में)

वर्ष	आय-व्ययक						व्यय						योग
	३१ कृषि	१०३ कैपिटल	५० जैन निर्माण	१०९ कैपिटल	क्यू ऋण	योग	३१ कृषि	१०३ कैपिटल	५० जून निर्माण	१०९ कैपिटल	क्यू ऋण		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१९६२–६३	१८६.१२३	६१.०६२	..	२३.२२७	४५.६७३	३१६.०८५	१३१.२३५	३६.६३६	..	१०.१७०	५५.९१७	२३३.९५८	
१९६३–६४	२४१.६०५	३५.३५१	०.०३६	९.२९५	९२.२९२	३७८.५७८	१९५.४४८	३१.५९८	..	२.८५२	५४.५५०	२८४.४४८	
१९६४–६५	३४१.०२०	१४.९९८	०.००१	७.१७०	७५.५०३	४३८.६९२	३१६.४६२	१४.७९६	..	६.७८१	९१.०४४	४२९.०८३	
योग	७६८.७४८	१११.४११	०.०३७	३९.६९२	२१३.४६७	११३३.३५५	६४३.१४५	८३.०३०	..	१९.८०३	२०१.५११	९४७.४८९	

तालिका

शीर्षक			१९६२–६३		१९६३–६४		१९६४–६५	
			बजट आयोजन (प्रोवीजन)	व्यय (एक्सपेन्डीचर)	बजट आयोजन (प्रोवीजन)	व्यय (एक्सपेन्डीचर)	बजट आयोजन (प्रोवीजन)	व्यय (एक्सपेन्डीचर)
१			२	३	४	५	६	७
नान प्लान								
३१ एग्रीकल्चर	..	बी	२५२.१३८	२,४२.९९३	२४०.००२	२२८.६८०	२२७.७३०	२२६.२१०
		सी	०.७३८	०.७१७	०.७२२	०.८९५	०.०४०	०.०५९
९५ कैपिटल	..	बी	९३६.३५०	६०३.२५७	१३५१.६५७	१३८९.९४६	१८७८.५१३	१०५६.१७२
		सी	०.०२०	.००८	०.०२०	..	..	०.११५
क्यू० लोन	..		..	..	३३०.०००	३८८.४२१	८००.०००	५००.०००
१०३ कैपिटल	..		..	..	..	..	०.५६५	..
योग	..	बी	११८८.४८८	८४६.२५०	१९२१.६५९	२००७.०४७	२९०६.८०८	१७८२.३८२
		सी	०.७५८	०.७२५	०.७४२	०.८९५	०.०४०	०.१७१

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ संख्या ६४९ पर)

उद्घोषणा

१९६५–६६ के पेराई मौसम के लिये विद्युत् चालित कोल्हुओं और खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस दिये जाने के लिये निर्धारित की गई नीति इस प्रकार है :

१––(१) चीनी मिलों के आरक्षित क्षेत्रों (Reserved areas) में कोई नये लाइसेंस नहीं दिये जायंगे किन्तु ऐसे विद्युत् चालित कोल्हुओं को जिनसे गुड़ तैयार किया जाता हो और जो १९६५–६६ के पेराई मौसम से पहले ही ऐसे क्षेत्र में चल रहे हों, जिसे सर्वप्रथम १९६५–६६ के पेराई के मौसम में आरक्षित किया गया हो, अपवाद माना जा सकता है ।

(२) चीनी मिलों के ऐसे आरक्षित क्षेत्रों में जिसका विवरण निम्नलिखित है, उनकी आवश्यकताओं से अधिक गन्ना पाया जाय, अपवाद माना जा सकता है ।

जिला खीरी, फर्रुखाबाद और नैनीताल (जिसमें बाजपुर चीनी मिल का आरक्षित क्षेत्र सम्मिलित नहीं है)। सीतापुर जिले के अन्तर्गत गोविन्द शुगर मिल्स लिमिटेड, ऐरा, अवध शुगर मिल्स लिमिटेड, हरगांव और सकसरिया, बिसवां शुगर मिल्स लिमिटेड, बिसवां के आरक्षित क्षेत्र। जिला लखनऊ के अन्तर्गत अवध शुगर मिल्स लिमिटेड, हरगांव का आरक्षित क्षेत्र। देवरिया (नार्थ) रीजन के अन्तर्गत विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स (पी०) लिमिटेड खड्डा, लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स लिमिटेड, छितौनी, कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड पडरौना फैक्टरी, पडरौना और यूनाइटेड प्राविन्सेस शुगर कम्पनी लिमिटेड सेवाराही के आरक्षित क्षेत्र व गोरखपुर जिले के अन्तर्गत सिसवा बाजार चीनी मिल का आरक्षित क्षेत्र ।

(३) आरक्षित क्षेत्रों के बाहर क्षेत्रों की दशा में विद्युत् चालित कोल्हुओं और खांडसारी इकाइयों के लिये लाइसेंस दिये जा सकते हैं वशर्ते कि वहां पर इकाइयों के अधिष्ठापित कर देने से किसी वर्तमान शक्कर के कारखानों या भविष्य में संस्थापित कारखाने के कार्य संपादन में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

२––लाइसेन्सों का नवीकरण––

(१) विद्युत् चालित कोल्हुओं और खांडसारी इकाइयों के उन समस्त लाइसेन्सों के लिये जिन्हें १९६४–६५ के पेराई मौसम के लिये जारी किया गया था उनका नवीनीकरण किया गया हो उन्हें १९६५–६६ के पेराई के मौसम के लिये नवीनीकरण की अनुमति दी जा सकती है।

(२) १९६४–६५ के पेराई के मौसम में किसी प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किये गये लाइसेंस, यदि कोई हो, प्रत्येक लाइसेंस के गुण के आधार पर १९६५–६६ के पेराई के मौसम के लिये उन्हें नवीकृत या अस्वीकार किये जा सकते हैं।

(३) उन आवेदकों को भी लाइसेन्स दिये जायं जिन्हें कोई आपत्ति न होने का प्रमाण-पत्र (No objection certificate) दिया गया हो ।

(४) यदि लाइसेन्स ग्रहीता अपनी इकाई को अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य (जिसमें केवल पति, पत्नी, पिता, माता, पुत्र, अविवाहित पुत्री या सहोदर भ्राता सम्मिलित

है) को हस्तांतरित करने का इच्छुक है तो ऐसे प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायगा, बशर्ते कि इसमें लाइसेन्स ग्रहीता सामान्यतया उसके स्वीकृत का हकदार हो और इकाई के हस्तांतरित पर अपना लाइसेंस समर्पित कर दें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इकाइयों के संक्रामिती (Transferees) के पक्ष में लाइसेंस जारी किये जाने की प्रार्थना लाइसेंस के लिये आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने के लिये नियत अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने पर उस पर विचार न किया जायगा।

३—लाइसेन्स प्राप्त इकाइयों का स्थान परिवर्तन—

(१) यदि कोई लाइसेंस गृहीता अपनी इकाई को किसी शक्कर के कारखाने के आरक्षित क्षेत्र में उसके वर्तमान स्थान से उसी कारखाने के आरक्षित क्षेत्र में किसी दूसरे स्थान पर ले जाना चाहता हो तो ऐसे स्थान परिवर्तन की प्रार्थना स्वीकृत की जा सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि शक्कर कारखाने से और सब से सन्निकट केन्द्र से भी नये स्थान की दूरी मूल स्थान से जो दूरी थी उसकी अपेक्षा कम न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसे आवेदन पत्र जिनमें स्थान परिवर्तन के लिये प्रार्थना की गई हो और जो ३० सितम्बर, १९६५ के बाद प्राप्त हुए हों, उन पर विचार नहीं किया जायगा।

(२) ऐसे आवेदन पत्र जो इकाई का स्थान परिवर्तन एक शक्कर कारखाने के आरक्षित क्षेत्र से दूसरे शक्कर कारखाने के क्षेत्र में किये जाने से संबंधित हों, और जो वर्ष १९६४—६५ में प्राप्त हुए हों, किन्तु उनका निस्तारण न हो सकता हो, उन पर प्रत्येक मामले में गुण के आधार पर विचार किया जायगा।

४—इकाइयों के चलाये जाने पर नियंत्रण—

उपर्युक्त वर्णित स्थानों को छोड़कर जहां गन्ने की अधिकाई है और जहां विद्युत् चालित कोल्हुओं को किसी समय चलाया जा सकता है। शक्कर के कारखानों के आरक्षित क्षेत्रों में स्थित विद्युत् चालित कोल्हुओं को २५ नवम्बर, १९६५ से चालू होने की अनुमति दी जा सकती है सिवाय मेरठ प्रभाग (डिवीजन) के जहां विद्युत् चालित कोल्हुओं को ७ दिसम्बर, १९६५ से चालू होने की अनुमति दी जायगी।

५—केन्द्रापग (Centrifugal) और बेल (Bel)

शक्कर कारखानों के आरक्षित क्षेत्रों में बिजली से चलने वाले केन्द्रापग के लिये कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जायगा सिवाय उन मामलों के जिनमें लाइसेंस प्राप्त विद्युत् चालित कोल्हू के साथ साथ केन्द्रापग को अधिष्ठापित करने का प्रस्ताव हो। केवल उन व्यक्तियों के मामलों में बिजली से चलने वाले केन्द्रापग के लाइसेंस नवीकृत किये जाने की अनुमति दी जा सकती है यदि ऐसे व्यक्तियों के पास १९६४—६५ के पेराई के मौसम का लाइसेंस हो वर्ष १९६५—६६ में बेल (Bel) की दशा में किसी भी ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस दिया जा सकता है जिसके पास पहिले के किसी भी वर्ष का लाइसेंस हो। बेल के लिये नये लाइसेंस नहीं दिये जायँगे।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १४४ एल० ए०—१९६५—८६२।